लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
6.7.12
Fumigated
On 4.1.84
8
Parliament Library

चतुर्थ माला

Fourth Series

खंड 3, 1967 / 1889 (शक)

Volume (iii), 1967/1889 (Saka)

[22 मई से 5 जून, 1967 / 1 ज्येष्ठ से 15 ज्येष्ठ, 1889 (शक)]

[May 22 to June 5, 1967/ Jyaistha 1 to Jyaistha 15, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)

Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 3 में अंक 1 से 10 तक हैं)

(Volume (iii) Contains Nos. 1 to 10)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

1353

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 10 सोमवार, 5 जून, 1967/15 ज्येष्ठ, 1889 (शक)

No. 10 Monday, June 5, 1967/Jyaistha 15, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
271	आसाम-नागालैंड सीमाओं पर तनाव	Tension on Assam-Nagaland Borders	1259-1266
272	केनिया आप्रव्रजन कानून	Kenya Immigration Law	1266-1269
273	भारतीय क्षेत्र में परमाणु प्रक्षेपणास्त्रों का लगाया जाना	Stationing of Nuclear Missiles on Indian Territory	1270-1273
274	पाकिस्तान द्वारा प्राप्त किये गये अमरीकी लड़ाकू विमान	U. S. fighter planes secured by Pakistan ...	1273-1275

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.			
275	राष्ट्रीय छात्र सेना दल	National Cadet Corps	1275-1277
276	मिग विमान बनाने के कारखाने	Mig Factories	1277
277	राष्ट्रीय सुरक्षा कोष	National Defence Fund	1277-1278
278	इलैक्ट्रानिक्स संबंधी भाभा समिति का प्रतिवेदन	Bhabha Committee's Report on Electronics ...	1278-1279
279	विश्व संस्थाओं में भारत की सदस्यता	Indian Membership of World Bodies ...	1279
280	ब्रिटेन में जातीय भेद भाव	Racial Discrimination in Britain	1279-1280
281	एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की छंटनी	Retrenchment of Emergency Commissioned Officers	1280-1281
282	भारत तथा आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों की वार्ता	Talks Between Representatives of India and Australia	1281
283	नागालैंड के लिए एक पृथक गवर्नर तथा उच्च न्यायालय	Separate Governor and High Court for Nagaland	1282
284	भारतीय नौसेना	Indian Navy	1282

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/ ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
285	मैकमोहन रेखा पर विसैन्यीकृत क्षेत्र	Demilitarised Zone on McMahon Line	1282
286	राडार व्यवस्था	Radar System	1283
287	तंजानिया से भारतीय लोगों का निष्कासन	Expulsion of Indians from Tanzania ···	1283
288	पाकिस्तान द्वारा काश्मीर में आम चुनावों के बारे में सुरक्षा परिषद् को भेजा गया पत्र	Pak. Letter to Security Council about Elections in Kashmir ···	1284
289	पूर्वी पाकिस्तान सरकार द्वारा बूढी तीस्ता नदी पर बांध का निर्माण	Construction of Barrage by East Pak Government on Buri Teesta River	1284
291	पाकिस्तान द्वारा सैनिक तैयारियाँ	Military Preparations by Pakistan	1285
292	ब्रिटेन में स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारी का चोरी छिपे माल ले जाने में हाथ	Official of Indian High Commission in U. K. involved in smuggling ···	1285–1286
293	बर्मा में नजरबन्द भारतीय राष्ट्रजन	Indian Nationals detained in Burma ···	1286
294	युद्ध उपकरणों का निर्माण	Manufacture of war equipment	1286–1287
295	चीन-विरोधी प्रचार	Anti-China Propaganda	1287
296	राडार विरोधी उपकरण योजना	Anti-Radar Device Scheme	1287–1288
297	भारतीय राज्य क्षेत्र पर कब्जा करने का पाकिस्तान का प्रयत्न	Pak. attempt to take possession of Indian Territory	1288–1289
298	ताशकन्द समझौते के बारे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री की भारत के विरुद्ध शिकायत	Pak. Foreign Ministers Complaint against India re. Tashkent Agreement··· ···	1289
299	भारत द्वारा परमाणु बम बनाने के बारे में पाकिस्तानी प्रचार	Pak. Propaganda about Manufacture of Atom Bomb by India	1289–1290

प्रश्नों के लिखित उत्तर- (जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd·

300	भूटान का संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बनना	Bhutan's entry in U. N. O.	1290

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.

1421	बिहार में भूतपूर्व सैनिकों को फिर से रोजगार देना	Rehabilitation of Ex-Servicemen in Bihar	1290–1291
1422	सूचना और प्रासरण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पत्रिकायें	Publications brought out by I & B Ministry	1291–1292
1423	भारतीयों का विदेशों में जा बसना	Indians migrated to Foreign countries	1292–1293
1425	वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधिकारी जिनकी पत्नियां विदेशी हैं	Officials of External Affairs Ministry having Foreign Wives	1293–1294
1426	आकाशवाणी में ड्राफ्टस मैंन और ट्रेसर	Draughtsmen and Tracers in A. I. R.	1294
1427	आकाशवाणी में ड्राफ्टस मैन	Draughtsmen in A. I. R.	1294
1428	भारतीयों को ब्रिटेन में प्रवेश की अनुमति का न दिया जाना	Indians refused Entry in U. K.	1294–1295
1429	आकाशवाणी का इम्फाल केन्द्र	A. I. R. station at Imphal	1295
1430	आकाशवाणी का इम्फाल केन्द्र	A. I. R. station at Imphal	1295
1431	नागा सेना	Naga Army	1295–1296
1432	पालमपुर के निकट छोटा तिब्बत बनाने की योजना	Plans for Development of Little Tibet near Palampur ...	1296
1434	मध्य प्रदेश में परमाणु बिजली घर	Atomic powers station in Madhya Pradesh ...	1296
1435	फार्मोसा द्वारा भारत को चावल बेचा जाना	Sale of Rice by Formosa to India ...	1296–1297
1436	विद्रोही नागाओं से बरामद युद्ध सामग्री	Ammunition Recovered from Nagas	1297

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

1437	क्विलोन के निकट समुद्री बालू से इल्मेनाइट तैयार करना	Ilmenite Processing near quilon	1297
1439	एक समान मनोरंजन कर	Uniform Entertainment Tax	1298
1440	परमाणु ऊर्जा	Nuclear Energy	1298
1441	छिपी हुई नागा सेना का सेनाध्यक्ष	Chief of Naga Underground Forces	1298–1299
1442	भूतपूर्व सैनिकों का महंगाई भत्ता	Dearness Allowance to Ex-Servicemen	1299
1443	भारत और चीन के बीच डाक का आदान–प्रदान	Exchange of Mail between India and China ...	1299–1300
1444	"डा० जिवागो" पर फिल्म	Film on "Dr. Zhivago"	1300
1445	नेशनल एसोसिएशन आफ इन्डिया	National Rifle Association India	1300–1301
1446	चलते फिरते राडार	Mobile Radars	1301
1447	आकाशवाणी के कलाकार	Radio Artistes	1301–1302
1448	खेलकूद तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय	Ministry for sports and cultural affairs...	1302
1449	आणविक क्षेत्र में नवीन आविष्कार	New Discoveries in Nuclear Field ...	1302
1450	चीन - सिक्किम सीमा के बारे में चीन द्वारा विरोध	Chinese protest re-erection of Pillars on China-Sikkim Border ...	1302–1303
1451	एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी	Emergency Commissioner Officers ...	1303–1304
1452	सैनिक स्कूल	Sainik Schools	1304
1453	लंदन में भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति	Appointment of Indian High Commissioner in London ...	1304
1454	युद्ध संवाददाता	War Correspondents	1305
1455	हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल	Sainik School in Himachal Pradesh	1305
1456	राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्थायी कल्याण कार्यालय	Permanent Welfare Offices for Ex-servicemen in States ...	1305–1306

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

1457	भारत - पाक समस्याओं पर गोष्ठी	Semenar on Indo–Pak. Problems ...	1306
1460	'नाइट' फिल्मों पर प्रतिबन्ध	Ban on 'Night' films	1306–1307
1461	सैनिक स्कूल, भुवनेश्वर	Sainik School Bhubaneswar	1307–1308
1462	विदेशों में भेजे गये प्रतिरक्षा अधिकारी	Defence Officers sent abroad	1308
1463	विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के प्रमुख	Heads of Indian Missions sent abroad	1308–1309
1464	भारत–पाकिस्तान संघर्ष में घायल सैनिक	Soldiers wounded during Indo–Pak. Conflict ...	1309
1465	प्रतिरक्षा प्रशिक्षण संस्थाएं	Defence Training Institutions	1309
1466	भारी पानी संयंत्र	Heavy Water Plant	1310
1467	पूना में भारतीय फिल्म संस्था	Indian Film Institute of Poona	1310–1311
1468	तुलिहाल हवाई अड्डा	Tulihal Airport	1311
1469	पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय वायु सीमा का उल्लघंन	Violation of Indian Air space by Pak. Plane ...	1311–1312
1470	पुनर्निवासन निदेशालय	Resettlement Directorate	1312–1313
1472	अहमदाबाद के निकट उपग्रह संचार केन्द्र	Satelite Communications Centre near Ahmedabad	1313
1473	समुद्री डीजल इंजनों का निर्माण	Manufacture of Marine Diesel Engines	1313–1314
1474	चीन का भारत–विरोधी प्रचार	Anti–Indian Propaganda by China ...	1314
1475	इसराइल के साथ सांस्कृतिक अथवा व्यापार करार	Cultural or Trade Agreement with Israel ...	1314
1476	टेलीविजन उपकरण में आत्म निर्भरता	Self-sufficiency in T. V. Equipment	1314–1315
1477	पनडुब्बियों का निर्माण	Manufacture of submarines	1315
1478	गन एण्ड शैल फैक्टरी, काशीपुर (कलकत्ता)	Gun and shell Factory, Cossipore ...	1315–1316
1479	छावनियों का पुनर्गठन	Reorganisation of Cantonments	1316–1317
1480	राजस्थान का परमाणु बिजली घर	Atomic Power station in Rajasthan...	1317

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1481	ईसाई लोकतन्त्रीय गण–राज्य की स्थापना का ग्रान्दोलन	Movement for creation of 'Christian Democratic Republic	1317
1483	जनरल कोंग ली की वीसा के लिए अर्जी	Application for issue of Visa from General Kong Le	1317–1318
1484	पख्तूनों का सामूहिक नरसंहार	Genocide of Pushtoons	1318
1485	धारवाड़ आकाशवाणी केन्द्र के कलाकार	A. I. R. Artistes in Dharwar Station	1318–1319
1486	भारतीय वायु सेना के डकोटा विमान की दुर्घटना	I. A. F. Dakota Accident	1319
1487	वैलिंगटन छावनी	Willington Cantonment	1319–1320
1488	सऊदी अरब में भारतीय ग्रौद्योगिक संस्थान	Indians in Industrial Establishments in Saudi Arabia	1320
1489	भारत ग्रौर चीन में फिर से राजदूतों की नियुक्तियां	Exchange of Ambassadors with China	1320–1321
1490	समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापन	Government Advertisement in News papers ...	1321
1491	बड़े सामाचार पत्रों को रियायतें	Concessions to Bigger News Papers	1321–1323
1492	प्रेस परिषद्	Press Council	1323
	अतारांकित प्रश्न संख्या 1, 2 ग्रौर 2883 (1966) के उत्तर में शुद्धि	Correction in answers to Unstarred Questions Nos. 1, 2 & 2883 (1966)	1323–1324
	स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाग्रों के बारे में (प्रश्न)	Re. Motion for Adjournment and Calling Attention Notcies (Query)	1324–1325
	ग्रविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ग्रोर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ..	1325–1332
	राजस्थान सीमा पर पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन ग्रौर पाकिस्तानी सेना का भारी भारी जमाव	Air violance and Heavy Coocentration of troops bp Pakistan on Rajasthan Border	
	श्री यशवन्तसिंह कुशवाह	Shri Yeshwant Singh Kushwah	
	श्री स्वर्णसिंह	Shri Sawaran Singh	
	ध्यान दिलाने के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention (Query)	1332–1333

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

हिन्दी "हिन्दुस्तान" के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against the "Hindustan" Hindi	1333–1334
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	1334
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Joint Committee on Offices of Profit ..	1335–1336
पश्चिमी एशिया की स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement on Situation in West Asia	1337
रेलवे आय व्ययक (1667 68) सामान्य चर्चा–जारी	Railway Budget-General Discussion-Contd.	1338–1339
श्री च मु. पुनाचा	Shri Poonacha	
सामान्य आय-व्ययक (1967-68) सामान्य चर्चा	General Budget (1267 - 68) General Discussion	1343–1350
श्री. मी. रू. मसानी	Shri M. R. Masani	
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani	
श्री हरदयाल देवगुण	Shri Hardayal Devgun	
ब्रिटेन की सरकार द्वारा हिन्द-महासागर में द्वीपों की खरीद के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion Re. Purchase of Islands in Indian ocean by British Government	1351–1352
श्री चक्रपाणि	Shri C. K. Chakrapani	
श्री प. गोपालन	Shri P. Gopalan	
श्री नायनार	Shri E. K. Nayanar	
श्री मु. क चागला	Shri M. C. Chagla	

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, जून 5, 1967/15 ज्येष्ठ, 1889 (शक)
Monday, June 5, 1967/Jyaistha 15, 1889 (Saka

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आसाम–नागालैण्ड सीमाओं पर तनाव

271. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री बेणीशंकर शर्मा :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री रामसिंह आयरवाल :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री डी० एन० देव :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री शारदानन्द :
श्री जे० बी० सिंह :
श्री रणजीतसिंह :
श्री भारत सिंह :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री स्वैल :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती शारदा मुखर्जी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छिपे नागाओं ने आसाम के 12 मील लम्बे बन्दरचूलिया से न्यूसोनोवाल तक सारे क्षेत्र में किलेबन्दी कर ली है तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ स्थानों पर सशस्त्र विद्रोही नागाओं को तैनात कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) सरकार के पास सुलभ सूचना के अनुसार, छिपे नागाओं के गिरोह असम राज्य की सीमावर्ती न्यूसोनोवाल, क्षेरेमिया, पनिमोरा, बंदरचूलिया, गहोरीचोरा, गर्जन तेगाजन, और राइदानगुड़ी की चौकियों पर अप्रैल 1967 में देखे गए थे। सरकार को उपद्रवी नागाओं द्वारा इस इलाके की किलेबंदी किए जाने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ग) इस बात के लिए समुचित ऐहतियाती कारंवाई कर ली गई है कि अगर उपद्रवी नागा गैर-कानूनी कार्रवाइयां करें तो उस स्थिति का मुकाबला किया जा सके।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister has just now stated that he does not know anything what is happening in Nagaland. It appears from the Papers that Nagas have some relations with China and that Nagas have come back after receiving training in China and that some Chinese have also intruded in Nagaland. I would like to know the steps taken by Government to protect the Naga people and also to keep its control on Nagaland.

श्री मु० क० चागला : हम यथासम्भव जानकारी प्राप्त करने का यत्न करते हैं। परन्तु प्रश्न एक विशिष्ट मामले के बारे में पूछा गया था तथा उसी प्रकार उत्तर दिया गया है। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं जानते वहां पर क्या हो रहा है। नागा लोगो के चीन जाने, प्रशिक्षण लेकर वापिस आने के बारे में हम जानते हैं परन्तु क्योंकि प्रश्न एक विशिष्ट क्षेत्र के बारे में था इसलिये उत्तर भी विशिष्ट था।

Shri Bibhuti Mishra : My question has not been answered. My question was related to the same thing that Nagas are fortifying the Assam border after getting training from abroad and that Chinese are already there.

श्री मु० क० चागला : आसाम सरकार ने छिपे नागाओं द्वारा कानून तथा सीमा उल्लंघन को रोकने के लिए ग्राम सुरक्षा दल गठित किये हैं तथा अन्य कठोर सुरक्षा उपाय भी किये हैं।

श्री बलराज मधोक : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आसाम तथा नागालैंड दोनों ही भारत संघ के राज्य हैं तथा गृह-कार्य मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं। वैदेशिक कार्य मत्री किस क्षमता से इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और क्या इस मामले को वैदेशिक कार्य मंत्रालय में निपटाने से नागालैंड तथा दूसरे सभी क्षेत्रों की स्थिति में और जटिलताएं उत्पन्न नहीं हो जायेंगी ?

श्री मु० क० चागला : मैं इस प्रश्न का अनेक बार उत्तर दे चुका हूं। नागालैंड भारत का एक राज्य है, यह एक आन्तरिक मामला है जिसको गृह-कार्य मंत्रालय को सौंपा जाना चाहिए और वैदेशिक कार्य मंत्रालय को इस मामले को गृह-कार्य मंत्रालय को सौंपने से प्रसन्नता होगी।

An Hon. Member : Why it is not being transferred ?

श्री मु० क० चागला : नागालैंड के मंत्रिमंडल ने कुछ समय के लिये इस विषय को वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन रखने के लिये विशेष रूप से प्रार्थना की है।

श्री कंवरलाल गुप्त : इसके क्या कारण हैं ?

श्री मु० क० चागला : नागालैंड के मंत्रिमण्डल की इच्छाओं को देखते हुए इस मामले को वैदेशिक कार्य मंत्रालय में रखा गया है।

श्री बलराज मधोक : यदि केरल सरकार ऐसी ही प्रार्थना करे तो क्या उसको स्वीकार कर लिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर कई बार चर्चा हो चुकी है और यह प्रथम अवसर नहीं है जबकि वैदेशिक कार्य मंत्रालय इससे निपट रहा है। मैं आप से सहमत हूं परन्तु निश्चय ही इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। (अन्तर्बाधायें)

श्री विभूति मिश्र : आन्तरिक किलाबन्दी तथा उनको जो विदेशी सहायता मिल रही है उसको देखते हुए सरकार का इस तथाकथित शान्ति वार्ता को कब तक जारी रखने का विचार है ?

श्री मु० क० चागला : मैं इस प्रश्न का पहले भी उत्तर दे चुका हूँ। हम महसूस करते हैं कि इस बातचीत से कुछ अच्छे परिणाम निकले हैं और जब तक हमारी यह भावना है और हमें आशा है कि इस बातचीत से अच्छे परिणाम निकलेंगे बातचीत जारी रखी रहेगी।

Shri K. N. Tiwary : I would like to know whether it is a fact that large number of Nagas have come back from China after getting training and equipment and are indulging in fortification of other areas ? If so, steps being taken by Government in this regard ? If not, whether it is a failure on the part of the C.I.D.

श्री मु० क० चागला : जी, हाँ। हमारी जानकारी यह है कि नागाओं के एक अथवा दो ग्रुप चीन गये थे और वे वहां से वापिस भी आ गये हैं। स्थिति से निपटने के लिये समूचे सुरक्षा तथा पूर्वोपाय किये जा रहे हैं।

श्री क० प्र० सिंह देव : क्या अमगुरी में एक ऐसे नागा जवान का पता लगा है जो पाकिस्तान से नागालैंड में चोरी-छिपे हथियार ला रहा था। क्या ऐसी घटनाएं निरन्तर नहीं घट रही हैं क्योंकि मार्च के महीने में एक ट्रक का पता लगा था जिसमें विस्फोटक पदार्थ भरे हुए थे और जिसको चोरी-छिपे लाया जा रहा था। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि पाकिस्तान

से नागालैंड में हथियारों को निरन्तर चोरी-छिपे लाया जा रहा है और यदि हां, तो इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

श्री मु० क० चागला : हमें इस बात का पता है कि पाकिस्तान से चोरी-छिपे हथियार नागालैंड में लाये जा रहे हैं और कि इसमें कुछ छिपे हुए नागाओं का हाथ है। जिस प्रकार कुछ नागा चीन गये थे तथा प्रशिक्षण लेकर वापस आये हैं। हम इस पर निगाह रखे हुए हैं। वह मार्ग ऐसा है जहां कि नागाओं को पाकिस्तान तथा चीन जाने से रोकना कठिन है। बर्मा हमें पूरा सहयोग दे रहा है। परन्तु यदि किसी को इस मार्ग, घने जंगल तथा लम्बी सीमा की जानकारी हो तो वह नागाओं के बाहर जाने तथा वापस आने में उनको रोकने में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों की सराहना करेगा। हम अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं।

श्री लीलाधर कटकी : (ग) के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने कहा है कि छिपे नागाओं की गतिविधियों की रोकथाम के लिए उचित उपाय किये जा रहे हैं। इन उपायों के बावजूद सिबसगढ़ के पड़ोसी जिलों में छिपे नागाओं की लूटमार जारी है। क्या सरकार ने इस मामले पर गम्भीरता से विचार करने तथा छिपे नागाओं की गतिविधियों के रोकने को लिये प्रभावशाली कदम उठाने का निर्णय किया है ?

श्री मु० क० चागला : हम इस समस्या को बहुत गम्भीर तथा देश की सुरक्षा के लिये खतरनाक समझते हैं। इन गतिविधियों का मुकाबला करने के लिये सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं।

श्री नि० रं० लास्कर : बात केवल एक ही है कि हमें छिपे नागाओं को चीन तथा पाकिस्तान से हथियार लाने से रोकना चाहिए। सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस क्षेत्र के कठिन मार्गों तथा लम्बी सीमा के बारे में व्याख्या की है।

श्री नि० रं० लास्कर : अन्य देशों से नागाओं द्वारा हथियार लाये जाने की रोकथाम के लिए क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री मु० क० चागला : हमें सर्वप्रथम छिपे नागाओं को देश से बाहर शत्रु देशों में जाने से रोकना है। हम इसके लिये पूरा प्रयत्न करेंगे कि वे जा न सकें। परन्तु वहां मार्ग इतना कठिन है क्योंकि 50 अथवा 60 नागाओं के ग्रुप को कई बार रोकना असम्भव हो जाता है। दूसरी बात यह है कि यदि हमें पता चल जाये कि वे चले गये हैं तो उनको वापस आने मे रोकना है।

श्री धीरेश्वर कलिता : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने कहा है कि वहां मार्ग बहुत कठिन है इसलिए निगाह रखना असम्भव है। वह सदा यही कहते हैं, तो बार बार उसी बात पर चर्चा करने की क्या उपयोगिता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह अलग बात है कि आप उत्तर से संतुष्ट न हों।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : हम लगभग प्रतिदिन नागाओं द्वारा लूटमार के बारे में सुनते हैं। प्रतिदिन नागाओं द्वारा ऐसी लूटमार को रोकने के लिए मित्र नागा तथा नागालैण्ड के मंत्रिमण्डल ने किस हद तक सहायता की है ?

श्री मु० क० चागला : मैं केवल यही कह सकता हूं कि मित्र नागा छिपे नागाओं की इन गतिविधियों को ठीक नहीं समझते। जैसा कि आप जानते हैं प्रधान मन्त्री तथा छिपे नागाओं के बीच बातचीत हो रही है इसलिए कोई राय व्यक्त करना मेरे लिए उचित नहीं होगा।

Shri Madhu Limaye : I would like to know whether there is any border dispute between Assam and Nagaland which is disturbing the peace of the area ?

श्री मु० क० चागला : जी, हां, वहां कुछ सीमा के झगड़े हैं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हाल ही में शिलांग में आसाम तथा नागालैंण्ड के मुख्य मन्त्री आपस में मिले हैं तथा उन्होंने सीमा पर तनाव को कम करने के लिए सचिवों के स्तर पर बातचीत को जारी रखने का निर्णय किया है।

मुख्य मन्त्री इस समस्या को करने का यत्न कर रहे हैं। वे मामूली समस्याएं हैं जिनका आसानी से समायोजन किया जा सकता है।

Shri George Fernandes : This matter of Nagas escape to China and coming back is going on for a long time. May I know whether any question was asked to the Naga representatives who came here last to see the Prime Minister? Whether it was told to them that as long these discussions are going on they should not indulge in such activities ?

श्री मु० क० चागला : नागाओं के साथ सैनिक कार्यवाही न करने का समझौता कर रखा है। इस समझौते के अन्तर्गत वे अपनी जिम्मेदारी को जानते हैं। जहां तक हम जानते हैं वे समझौते की शर्तों का पालन करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु एक छोटा सा वर्ग है जो शत्रुता कर रहा है। वही चीन अथवा पाकिस्तान जा रहा है तथा अन्य कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है। हमारी समस्या यह है कि यह छोटा सा ग्रुप और अधिक छोटा हो जाये जो मित्र हैं उनसे और मित्रता बढ़े तथा वे भारत संघ के अन्दर रहने के लिये सहमत हो जायें।

Shri George Fernandes : I would like to know whether the Nagas which are meeting the Prime Minister are friends or hostiles ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Smt. Indira Gandhi): They are friendly hostile Nagas. We have raised the question of their going to China with them.

श्री हेम बरुआ : इससे पूर्व कि भारत सरकार तथाकथित युद्ध-विराम करार की अवधि को बढ़ाये छिपे नागा पहले ही इसको बढ़ा देते हैं क्योंकि इससे उनको सहायता मिलती है। उन्होंने एक समानान्तर सरकार बना ली है। वे हथियार लेने के लिये चीन तथा पाकिस्तान भी गये हैं। नवीनतम सूचना यह है कि उन्होंने पूर्वी युरोप के देशों से भी हथियार लिये हैं। वास्तव में उन्होंने जान-बूझ कर तथा तरीके से युद्धविराम का उल्लंघन किया है। क्या सरकार ने

नागा प्रतिनिधियों से इस मामले को उठाया है जो कि लन्दन में मि फिजो से मिलने के लिए प्रतिनिधि भेज रहे हैं। इस प्रकार के उल्लंघनों से नागालैण्ड के शान्तिपूर्ण हल में सहायता नहीं मिलेगी और कि उन्हें इस प्रकार युद्ध-विराम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

श्री मु० क० चागला : मुझे यह स्वीकार करते हुए खेद है कि युद्ध-विराम का उल्लंघन हुआ है। मैं इसको युद्ध-विराम नहीं कहूंगा क्योंकि हम किसी अन्य देश से नहीं निपट रहे हैं। सैनिक कार्यवाही स्थगित की गई है यही उचित अभिव्यक्ति है। बातचीत के दौरान उनका ध्यान इन घटनाओं की ओर दिलाया गया है और यदि इस ओर कोई प्रगति करनी है तो समझौते का सख्ती से पालन करना होगा परन्तु यह तभी हो सकता है जबकि सारे नागा मित्र नागाओं के नियंत्रण में हों।

श्री हेम बरूआ : यदि सभी नागा वर्तमान नेतृत्व के अधीन नहीं हैं तो प्रधान मन्त्री किससे बातचीत कर रही हैं और इसका प्रयोजन क्या है जबकि यह लोग अपने अनुयायियों पर नियन्त्रण नहीं रख सकते जो कि हमारी सरकार को नष्ट करने के लिए चीन तथा पाकिस्तान हथियार लेने जा रहे हैं।

श्री मु० क० चागला : क्या हमें इतिहास का अनुभव नहीं है जहां कि बहुमत एक अल्पसंख्यकों को नियन्त्रण में नहीं रख सकता। मित्र नागा शत्रु नागाओं को चीन अथवा पाकिस्तान से हथियार लाने से रोकने के लिए कार्यवाही करें।

श्री रणजीतसिंह : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस बातचीत की आड़ लेकर छिपे नागा अपनी सेना में वृद्धि कर रहे हैं तथा अधिक क्षेत्र में विद्रोह फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या सरकार ने नागा समस्या को बातचीत के अलावा किसी अन्य ढंग से हल करने के बारे में विचार किया है। इसी प्रकार के क्षेत्र में बर्मा सरकार कारेनम विद्रोहियों को दबाने में सफल हुई है जब कि उनकी सेना हम से बहुत कम है। क्या सरकार ने बर्मा सरकार से पूछा है कि उन्होंने इन विद्रोहियों को किस प्रकार दबाया है। 29 मई को मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि जिस प्रकार मिजो समस्या हल की गई है उसी प्रकार नागा ग्रामों को पुनः ग्रुप बनाकर इस समस्या को भी हल किया जायेगा ? क्या इस ओर कुछ कार्यवाही की गई है ?

श्री मु० क० चागला : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस समझौते की आड़ में छिपे नागा अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं। मित्र नागाओं के लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। वे भी किसी प्रकार के समझौते पर पहुँचने के लिए उतने ही उत्सुक हैं जितने कि हम। बर्मा सरकार भी कुछ विद्रोहियों को अन्य देशों में जाने से नहीं रोक सकी। जहां तक छिपे नागाओं के निकल जाने का प्रश्न है बर्मा सरकार हमें पूरा सहयोग दे रही है। इसके लिए हमें बर्मा सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। हमें इस बातचीत को जारी रखना चाहिए और आशा करनी चाहिए कि अच्छे परिणाम निकलेंगे।

श्री स्वैल : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि कुछ छिपे नागाओं को आसाम के साथ मिलती सीमा के पास देखा गया है। इस प्रकार छिपे नागाओं को चिदमा

तथा कोहिमा से तीन मील दूर कैम्प लगाये भी देखा गया है। इसलिए इस भाग में नागाओं को देखा जाना शत्रुता वाली कार्यवाही नहीं समझा जाना चाहिए। क्या सरकार ने नागालैण्ड सरकार से इस बारे में पूछताछ की है कि छिपे नागाओं का इस भाग में कोई जमाव नहीं है ? क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने सिबसगढ़ जिले के अयोमपुरी वनों को एक ठेकेदार को किराये पर दिया है और उक्त ठेकेदार नागालैण्ड के द्रिसांग वनों में गैर-कानूनी तौर पर घुस कर पेड़ काटता रहा है ; और क्या यह भी सच है कि नागालैण्ड सरकार ने इस प्रकार गैर-कानूनी तौर पर टिम्बर को ले जाने की रोकथाम के लिये नागालैण्ड के ट्यन्सांग जिले के नामसा स्थान पर चौकी स्थापित की है और क्या सरकार ने इस बारे में जाँच की है। आसाम सरकार का छिपे नागाओं के जमाव का समस्त शोर एक राजनीतिक ढोंग के अतिरिक्त कुछ नहीं ?

श्री मु० क० चागला : मुझे इस बात का पता है कि नागालैण्ड राज्य सरकार तथा असम राज्य सरकार के बीच कुछ ऐसे जंगलों तथा कुछ अन्य क्षेत्रों के बारे में विवाद है जिनसे आसाम और नागालैण्ड की सीमा निर्धारित की जाती है। मैंने यह पहले ही बता दिया है कि इन मतभेदों को दूर करने के लिये अप्रैल में मुख्य मंत्रियों की एक बैठक हुई थी और उन्होंने अपनी बातचीत आगे जारी रखने का निश्चय किया है। जहां तक नागाओं के जमाव का प्रश्न है, मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है।

श्री स्वैल : यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। मंत्री महोदय का उत्तर देते हुए इस प्रकार टालमटोल नहीं करना चाहिये। मैंने कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछे थे और मंत्री महोदय ने उन सब का टालमटोल कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा के दौरान ये सब बातें उठाई जा सकती हैं।

श्री स्वैल : मैंने जो प्रश्न पूछे हैं मुझे उनका उत्तर मिलना ही चाहिये। हम इस प्रकार सभा का काम नहीं कर सकते। मैं पूछ कुछ रहा हूं और वह उत्तर कोई और ही देते जा रहे हैं।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या सरकार ने नागालैण्ड और असम की सीमा पर लोगों के पुनर्वास के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और यदि नहीं तो क्या सुरक्षा की दृष्टि से सरकार इस बात पर विचार करेगी ?

श्री मु० क० चागला : यह एक सुझाव मात्र है। मैं निश्चय ही इस सुझाव पर विचार करूंगा।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या सरकार ने नागालैंड से सम्बन्धित गुप्त समाचार प्राप्त करने के लिये कोई और अच्छा तरीका निकाला है। गृह-कार्य मंत्रालय, प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय इन सब का इसमें हाथ है। मुझे समझ में नहीं आता कि समन्वय किस प्रकार हो रहा है। क्या सरकार ने विद्रोही नागाओं का समर्थन प्राप्त करने के लिये कोई नीति निर्धारित की है या उस क्षेत्र में विधि के अनुसार कार्यवाही करने का कोई निश्चय किया है ?

श्री मु० क० चागला : हमें प्रतिदिन तो नहीं, परन्तु अनवरत रूप से नागालैंड से गुप्त समाचार मिलते रहते हैं जिनका वैदेशिक-कार्य मंत्रालय, गृह-कार्य मंत्रालय तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में अध्ययन किया जा रहा है। इनका समन्वय करने के पश्चात् मैं देखूंगा कि इस विषय में क्या किया जा सकता है। दूसरे प्रश्न के बारे में मैंने बताया था कि हमारी वर्तमान नीति मित्र नागाओं के साथ शान्ति वार्ता जारी रखने की है ताकि राष्ट्र–हित का ध्यान रखते हुए हम इस समस्या को सुलझा सकें।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मेरा तात्पर्य विद्रोही नागाओं से था न कि मित्र नागाओं से।

श्री मु० क० चागला : हम नागाओं को भारत छोड़ने अथवा शस्त्रों के आयात आदि से रोकने के लिये हर सम्भव प्रयास करेंगे। हम यह काम कैसे कर सकते हैं, यह मामला प्रतिरक्षा और सुरक्षा से सम्बन्धित है। हम इस दिशा में कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री रंगा : हम दो गुटों के बीच में हैं अर्थात् अपने और तथाकथित मित्र नागाओं के बीच में, यदि छोटे से अल्पसंख्यक गुट के साथ निपटने के लिये सरकार की ओर से हमारी सेना को आज्ञा हो जो तथाकथित मित्र नागाओं के साथ सहमत नहीं होते और जो इस प्रकार की शरारत करते हैं तो क्या इस प्रकार की कार्यवाही को करार का उल्लंघन न समझा जाय।

श्री मु० क० चागला : मैं इसे करार का उल्लंघन समझता हूं। वे करार का उल्लंघन कर रहे हैं। करार के अन्तर्गत वे विदेशों से शस्त्रों का आयात नहीं कर सकते। उन्हें करार के अनुसार शान्ति बनाये रखनी चाहिये। इसलिये यदि हम कोई कार्यवाही करते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी।

श्री रंगा : क्या आप कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री मु० क० चागला : हम कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : वे कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह अपना अपना विचार है।

केनिया आप्रव्रजन कानून

\+

* 272. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री नि० रं० लास्कर
श्री प्र० के० देव :
श्री डी० एन० देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री चितरंजन राय :

क्या वैदेशिक–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केनिया सरकार ने आप्रव्रजन के बारे में हाल में एक कानून बनाया है जिससे लगभग दो लाख भारतीय और एशियाई उस देश में व्यापार करने के अपने अधिकार से वंचित हो जायेंगे; और

(ख) केनिया में भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) केनिया के लिए प्रस्तावित नया आप्रवासी कानून अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि केनिया कि राष्ट्रीय असेम्बली में जल्दी ही आवश्यक विधान पेश किया जाएगा ।

इस प्रस्तावित विधान से केनिया के नागरिकों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा चाहे वे मूलतः किसी भी जाति या धर्म के क्यों न हों । नए कानून के अंतर्गत ऐसे गैर-नागरिकों को भी वहां बने रहने की इजाजत दे दी जाएगी जिनका उस देश में रहना केनिया के लिए लाभदायक समझा जाएगा ।

(ख) केनिया में रहने वाले भारतीय मूल के अधिकांश व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम और उपनिवेशों के नागरिक हैं । लेकिन, केनिया में (और पूर्व अफ्रीका में अन्यत्र) भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों की केनिया में (तथा पूर्व अफ्रीका में अन्यत्र) उनके हितों के संदर्भ में हमेशा यथासम्भव मदद दी है और उनका मार्गदर्शन किया है । इसके अलावा, भारतीय मूल का जो भी व्यक्ति (वे भी जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है) अपनी मर्जी से भारत आना चाहते हों, उनके भारत में प्रवेश करने पर कोई प्रतिबंध नही है । ऐसे जो व्यक्ति पूर्व अफ्रीका के विभिन्न भागों से स्थायी रूप से भारत में रहने के लिए आ गए हैं, उन्हें भारत सरकार ने अपनी निजी चीजों और अपनी फर्मों का माल, मशीनरी तथा मोटर गाड़ियों का आयात करने के लिए कुछ खास-खास रियायतें दी हैं ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : हमें पता चला है कि केनिया हमारा मित्र देश है । क्या राजनयिक स्तर पर कोई ऐसी कार्यवाही की गई है जिससे भारत मूल के लोगों को, जो वहां पर व्यापार चला रहे हैं, उन पर इस कानून का कोई प्रभाव न पड़े ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हम माननीय सदस्य के साथ सहमत हैं कि हमारे सम्बन्ध केनिया के साथ मित्रतापूर्ण अवश्य हैं । परन्तु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि केनिया एक प्रभुसत्ता-सम्पन्न स्वतंत्र राष्ट्र है और हम उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते । यदि वह इस प्रकार का कोई विधेयक पास करता है तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : मैंने तो पूछा था कि क्या राजनयिक स्तर पर इस दिशा में कोई कार्यवाही की गई है । मैं यह नहीं कहता कि भारत सरकार उन्हें कानून बनाने या न बनाने के लिये विवश करे । मैं तो केवल यह पूछना चाहता हूँ कि क्या भारतीय मूल के लोगों के हितों की सुरक्षा के लिये राजनयिक स्तर पर कोई कार्यवाही की जा रही है । मेरा प्रश्न केवल इतना ही है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस विषय पर हम अपने विचार केनिया सरकार को कई बार बता चुके हैं । मेरे विचार में हाल की स्थिति में किसी राजनयिक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने राजनयिक माध्यम से अपने विचार बनाये हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह तो स्वाभाविक ही है ।

श्री नि० रं० लास्कर : बहुत से भारतीयों के पास ब्रिटिशपार-पत्र हैं और क्या यह सत्य है कि ब्रिटिश सरकार इन लोगों के हितों के बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही । मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन लोगों के बारे में ब्रिटेन सरकार के साथ राजनयिक स्तर पर कोई कार्यवाही की जा रही है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : केनिया में 1,88,000 लोग एशियाई मूल के हैं, उनमें से 1,30,000 के पास ब्रिटिश पारपत्र हैं । (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : भारतीय मूल के लोग ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : उनमें से कुछ पाकिस्तानी मूल के भी हैं । मैं समझ नहीं सका कि माननीय सदस्य चाहते क्या है । हमें ब्रिटिश सरकार के पास इस बात के लिये क्यों जाना चाहिये, यह तो उनका कर्तव्य ही है ।

श्री नि० रं० लास्कर : वे अपना उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करते ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह ब्रिटिश सरकार और केनिया सरकार का आपस का मामला है । हम इसमें कैसे कुछ कह सकते हैं ।

श्री प्र० के० देव : केनिया में जो आप्रव्रजन कानून पास होने वाला है उसके फलस्वरूप भारतीय मूल के लोगों में बहुत घबराहट पैदा हो गई है और बहुत से भारतीय इस देश में वापिस लौट कर आ रहे हैं । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि वह वापिस लौट कर आये हुये भारतीय नागरिकों को, यदि वे वापिस आयेंगे तो, इस देश में उनके पुनर्वास की व्यवस्था करेगी ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूँ कि इस विधेयक का उद्देश्य यह नहीं है कि एशियाई मूल के सभी लोगों को केनिया से निष्कासित कर दिया जाये । कुछ वर्गो के अनुसार उस देश में विदेशियों के ठहरने को केवल नियमित करने के लिये यह विधेयक पास किया जा रहा है और हमें आशा है कि ऐसे बहुत से लोग वहीं रुक जायेंगे और सामान्य रूप से अपना व्यापार चला सकेंगे ।

श्री प्र० के० देव : सभी देशों से भारतीयों को निकाला जा रहा है । हम सरकार से इस बात का आश्वासन चाहते हैं कि वह इन लोगों के पुनर्वास की उपयुक्त व्यवस्था करेगी ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस बात को फिर दोहराना चाहता हूँ कि यह विधेयक भेदभाव-पूर्ण या जातीय भेदभाव वाला नहीं है । यह कानून केनिया में सभी विदेशियों के लिये लागू होगा चाहे वे भारतीय या अफ्रीकी मूल के हों, ब्रिटेन के रहने वाले हों या किसी और देश के हों ।

श्री अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि क्या भारत में इन लोगों के पुनर्वास के लिये कोई व्यवस्था की जा रही है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जी हां । हमारी नीति यह है कि यदि इन्हें केनिया छोड़ना पड़े तो भारत सरकार उन्हें अपनाने के लिये सदा तैयार है । (**व्यवधान**)

श्री रंगा : इन्होंने ' पुनर्वास ' का सही अर्थ नहीं समझा । यह क्या बात हुई कि आप उनके यहां रहने की व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : वे यहाँ पर आ सकते हैं । हमने उनके इस देश में आने पर किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं लगाई । वे प्रसन्नतापूर्वक आ सकते हैं । परन्तु उस देश से यदि उन्हें निष्कासित किया जाये तो हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे । (**व्यवधान**)

श्री रंगा : मंत्रिमंडल के स्तर के मंत्री इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें । महोदय, पुनर्वास का अर्थ यह है....

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : अब तक हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जिसने पुनर्वास के लिये सहायता मांगी हो । इस समय हमारी नीति यह है कि हम पुनर्वास के लिये कोई अनुदान या वित्तीय सहायता नहीं देते ।

श्री पीलु मोडी : आप ऐसा कहते क्यों नहीं ? आप को ऐसा कहते हुए लज्जा क्यों अनुभव हो रही है ?

श्री रंगा : हमारे देश के इन दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों के लिये, उन्हें रोजगार दिलाने या किसी उद्योग-धन्धे को चलाने में सरकार क्या सहायता कर रही है । पुनर्वास से मेरा यही तात्पर्य है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : वास्तव में इस प्रकार का कोई प्रश्न ही हमारे पास नहीं आया क्योंकि वहां से आकर किसी व्यक्ति ने पुनर्वास के लिये सहायता मांगी ही नहीं । मैंने यह पहले ही बता दिया है कि यदि कोई व्यक्ति वहाँ से निष्कासित किया जाता है या किन्हीं परिस्थितियों के कारण उसे लौटना पड़ता है तो हम उसे आवश्यक सुविधाएँ देंगे । वे अपना व्यक्तिगत सामान वहां से मंगवा सकते हैं । पुनर्वास या वित्तीय सहायता का इसमें प्रश्न नहीं है; यदि वे इस प्रकार की सहायता के लिये कहेंगे तो इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री प्र० के० देव : वे अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति भी नहीं ला सकते ....

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : वे अभी यहाँ आए नहीं हैं...

श्री प्र० के० देव : बर्मा से आने वाले लोगों के साथ ऐसा गन्दा व्यवहार किया गया है कि वे यहां रहने के लिये कोई स्थान तक नही प्राप्त कर सके । केनिया से आने वालों के साथ भी ऐसा ही व्यहवार किया जायेगा ।

भारतीय क्षेत्र में परमाणु प्रक्षेपणास्त्रों का लगाया जाना

*273 श्री मधु लिमये : श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया : श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका तथा रूस, दोनों ने परमाणु युद्ध अथवा उसके संभावित खतरे से बचने के लिये भारतीय क्षेत्र में, इन दोनों देशों में निर्मित परमाणु हथियारों वाले प्रक्षेपणास्त्र लगाने का सुझाव दिया है; और

(ख) क्या भारत की ओर से इस सुझाव को अस्थायी रूप से स्वीकार करने के लिये प्रधान मंत्री के सचिव श्री एल० के० झा को प्राधिकार दिया गया था ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) जी नहीं ।

Shri Madhu Limaye : I would like to know whether various spokesmen of the Government have not said repeatedly that we will not sign the non-proliferation treaty o, nuclear arms unless we have some protection from the nuclear attack expected from China or unless we have some guarantee or nuclear umbrella for the purpose. I want to ask the Hon'ble Minister what is meant by nuclear umbrella or guarantee.

श्री० मु० क० चागला : मेरे विचार में मैंने सभा में यह बात कई बार कही है कि देश की सुरक्षा का प्रश्न उस प्रश्न से बिल्कुल भिन्न है कि हम इस सन्धि पर हस्ताक्षर करते हैं या नहीं । हमने इस सम्बन्ध में अभी अगले ही दिन चर्चा की है ।

जहां तक सन्धि पर हस्ताक्षर करने या न करने का सम्बन्ध है, वह सन्धि के गुणों और दोषों पर निर्भर करता है, सुरक्षा का प्रश्न इससे भिन्न है । दोनों को पृथक पृथक रूप में देखा जाना चाहिये । यदि सन्धि हमें मान्य नहीं है, यदि यह सन्धि राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव के अनुसार नहीं है, यदि इससे व्यापक निरस्त्रीकरण की सम्भावना न हो, यदि इससे शान्तिपूर्ण ध्येय के लिये अनुसन्धान में बाधा उपस्थित होती है तो हम इस सन्धि को मान्यता नहीं देंगे ।

Shri Madhu Limaye : My question has not been replied to. I had asked that what is meant by nuclear umbrella or guarantee.

श्री मु० क० चागला : आणविक छत्र के विषय में कोई बात नहीं हुई ।

Shri Madhu Limaye : Shri Shastri had said this thing and the Hon'ble Minister says that there has been no talk of any nuclear umbrella.

श्री मु० क० चागला : मेरा अपना विचार यह है कि शास्त्री जी ने कभी भी नहीं कहा कि उन्होंने आणविक छत्र के प्रश्न की कहीं चर्चा की है । यह ब्रिटिश प्रेस में कहा गया था.......

श्री नाथपाई : शास्त्री जी ने आणविक 'परिरक्षण' की बात कही थी, 'छत्र' की नहीं ।

श्री मु० क० चागला : मैं आणविक छत्र की बात कर रहा हूं।

Shri Madhu Limaye : It is jugglery of words only.

The Hon'ble Minister has just now mentioned about 'security.' Will he be in a position to tell this House, what is meant by 'security' ? How does he propose to defend the country in case of a nuclear attack and what steps have been taken by him in that direction ?

श्री मु० क० चागला : हम इस समस्या पर स्वतंत्र रूप से विचार कर रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि यह राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है कि चीन के सम्भावित आणविक आक्रमण से हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : The Hon'ble Minister is taking it as an ordinary discussion. My questions should be replied to. If they are considering this matter seriously. I want to know the result thereof whether Government want to depend on the foreign powers in so far as the question of security of the country is concerned ?

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय ने अभी अभी करार या सन्धि की बात कही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने से पूर्व इस सभा में इस सन्धि की चर्चा की जायेगी और सभा की राय ली जायेगी ?

श्री मु० क० चागला : इस सन्धि की चर्चा इस सभा में तथा दूसरे सदन में कई बार हो चुकी है और सरकार ने इस पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कुछ शर्तें रखी हैं। हमने यह भी कहा था कि जब तक हम इस सन्धि का अन्तिम रूप नहीं देख लेते तब तक हम इस विषय में कोई निश्चय नहीं कर सकते। अभी यह आरम्भिक अवस्था में है। जनेवा में हमारे प्रतिनिधि ने इस सन्धि के सम्बन्ध में भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। परन्तु उसके अतिरिक्त सन्धि के प्रारूप पर की जा रही चर्चा में कोई प्रगति नहीं हुई।

Shri George Fernandes : China has exploded nuclear bomb only a few days before. It has also been reported that they are going to test Inter-continental Balliatic Missiles. In this connection I have two questions to ask Viz. (a) whether Government of India has raised the issue of explosion of nuclear bomb and test of I. C. B. M. by China in the United Nations Organisation, or in any international field ? (b) whether there is any change in Government policy with regard to the making of atom bomb keeping in view the continued increase of nuclear power of China ?

श्री मु० क० चागला : समाचार पत्रों से ऐसा मालूम हुआ है कि चीन शीघ्र ही अन्तर्महाद्वीपीय प्राक्षेपिकास्त्र (आई० सी० वी० एम०) से आक्रमण करने में समर्थ हो जायेगा। इससे भारत को चीन से खतरा बढ़ गया है। स्थिति वास्तव में गम्भीर है। अपने मित्र देशों का हम इस ओर बराबर ध्यान दिलाते रहते हैं। इस सम्बन्ध से सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है कि अभी हमारा अणु बम के परीक्षण करने का कोई इरादा नहीं है।

Shri Sidheshwar Prasad : May I know whether it is a fact that the draft of the treaty meant for non-proliferation of atomic power contains a clause that the provision of the said treaty will not apply to those nations, which have exploded the nuclear devices

earlier to 1967; whether they do not want India to be the atomic power; and whether the Government will not sign the treaty so far as this clause is there ?

श्री मु० क० चागला : मैं उस मसौदे के प्रति जागरूक हूं, उसमें यह उपबन्ध है कि जिस राष्ट्र ने 1 जनवरी 1965 से पहले आणविक परीक्षण कर लिया था उसे अणु शक्ति-सम्पन्न राष्ट्र माना जायेगा । यदि मसौदा इसी रूप में पास हो जाता है तो चीन एक अणु-राष्ट्र बन जायेगा, जबकि भारत अणु-राष्ट्रों में शामिल नहीं होगा । यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है ।

Shri Prakash Vir Shastri : Some time ago it was reported in the newspapers that China has constructed some launching pads from where she can launch an attack on Indian cities at a distance of 500 miles from there. Is it correct ? Have the Government taken some steps to allay the fear, created by this news in Indian masses ?

श्री मु० क० चागला : अखबारी खबर के अतिरिक्त मुझे भी इस सम्बन्ध में कोई जानकारी गुप्तचर विभाग या किसी अन्य देश के माध्यम से नहीं मिली है । जहाँ तक भय उत्पन्न हो जाने की बात है, उसे दूर करने के लिये और देश की सुरक्षा के लिये रक्षा मंत्री हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इस संधि का ध्येय क्या है ? क्या इस पर हस्ताक्षर करने पर भारत सुरक्षात्मक दृष्टि से और अधिक शक्तिशाली बन जायेगा ?

श्री मु० क० चागला : अणु शस्त्रों के प्रसार पर रोक लगाने वाली इस सन्धि का ध्येय यह है कि विश्व में सामान्य तथा पूर्ण निःशस्त्रीकरण हो जाये । इसका आशय यह है कि गैर-अणु राष्ट्र अणु-राष्ट्रों से अणु-शस्त्र न लें तथा अणु-राष्ट्र, यदि अपने शस्त्रों के भंडार को कम न कर सकें तो वे उसे और अधिक न बढ़ायें । इस दृष्टि से इस संधि-पत्र का सम्बन्ध सुरक्षा से जुड़ जाता है । अब सामान्य और पूर्ण निःशस्त्रीकरण के प्रश्न पर ही विचार किया जा रहा है ।

श्री नाथपाई : विदेश मंत्री, विदेश सचिव और प्रधान मंत्री के मुख्य निजी सचिव का एक दल भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने और विदेशों के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से जानने के लिये विदेशों की यात्रा पर गया था । क्या उन तीनों का जाना जरूरी था ? उनकी यात्रा के दौरान किन-किन विषयों पर बातचीत हुई ? सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर करने और भारत की सुरक्षा के सम्बन्ध में क्या विचार-विमर्श हुआ ?

श्री मु० क० चागला : श्री एल० के० झा की विदेश-यात्रा का मुख्य उद्देश्य तटस्थ और गैर-अणु-राष्ट्रों की सुरक्षा की समस्या के सम्बन्ध में मुख्य अणु-राष्ट्रों के विचार जानना था । उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि ऐसे देश जो तटस्थ और गैर-अणु-राष्ट्र हैं, आणविक हमले से अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे । यह यात्रा सुरक्षा की सम्भावनाएं जानने के लिये की गई थी, न कि सुरक्षा की गारन्टी लेने के लिये । जेनेवा में विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय 18–सदस्यीय समिति के सदस्यों से मुख्य रूप से उक्त सन्धि के बारे में बातचीत की ।

श्री नाथपाई : क्या उन तीनों का विदेश जाना जरूरी था, ऐसे समय जबकि विदेशी मुद्रा का अभाव है । उनकी यात्रा के परिणामस्वरूप भारत को क्या लाभ हुआ ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह सच है कि अमरीका सरकार और रूसी सरकार ने श्री एल० के० झा को यह इशारा किया था कि अणुशक्ति-प्रसार-निरोधक संधि के वर्तमान मसौदे में कुछ संशोधन किया जायेगा ?

श्री मु० क० चागला : श्री एल० के० झा ने विदेशों में इस संधि के गुण-दोषों के बारे में बातचीत नहीं की थी। विदेशों में उनकी बातचीत का मुख्य विषय यह था कि यदि तटस्थ और गैर-अणु-राष्ट्रों पर आणविक हमला होता है तो उनकी सुरक्षा के लिये क्या किया जायेगा।

पाकिस्तान द्वारा प्राप्त किये गये अमरीकी लड़ाकू विमान

*** 274. श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान को अमरीका द्वारा दिये गये लड़ाकू विमानों का एक नया दस्ता मिला है। इस दस्ते में जो लड़ाकू विमान हैं वह अपने किस्म के सबसे नये लड़ाकू विमान माने जाते हैं;

(ख) क्या भारत ने पाकिस्तान को इन विमानों के दिये जाने के विरुद्ध अमरीका सरकार से विरोध प्रकट किया है; और

(ग) यदि हां, तो भारत के विरोध के सम्बन्ध में अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारत सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि पाकिस्तान ने अमरीका द्वारा दिए गए लड़ाकू विमानों (सबसे नए) का कोई नया स्क्वाड्रन प्राप्त कर लिया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : समाचार पत्रों में ऐसी खबर छपी थी कि पाकिस्तान को स्टार फाइटर एफ–104 विमानों का एक स्क्वाड्रन ईरान या सऊदी अरब के माध्यम से मिला है। क्या यह सच है ?

श्री मु० क० चागला : हमने इस सम्बन्ध में पूछताछ की है और यह पता चला है कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस के उत्सव में भाग लेने के लिये ईरान से 15 एफ–5 और लगभग 2631 विमान पाकिस्तान गये थे जो अप्रैल के पहले सप्ताह में ईरान वापिस लौट गये थे। अखबारी रिपोर्ट के अनुसार उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रीय-दिवस पर देखा गया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि ईरान के लड़ाकू विमान पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस के उत्सव में जा सकते हैं तो वे पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली आक्रामक कार्रवाइयों में भी भाग ले सकते हैं। इस बारे में मन्त्री महोदय के विचार क्या हैं ?

श्री मु० क० चागला : यह विचित्र बात है कि एक देश के विमान दूसरे देश के राष्ट्रीय उत्सवों में भाग लें। ईरान और पाकिस्तान के बीच कुछ रक्षा समझौते पहले ही हो चुके हैं और यदि भविष्य में भारत–पाकिस्तान संघर्ष होता है, तो ईरान पाकिस्तान की सहायता अवश्य करेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस सम्बन्ध में भारत ने अमरीका को कोई अभ्यावेदन भेजा है, क्योंकि सैनिक समझौते अमरीका के संरक्षण में सम्पन्न हुए हैं।

श्री मु० क० चागला : चूंकि विमान वापिस ईरान जा चुके हैं, इसलिये अमरीका को किसी प्रकार का अभ्यावेदन भेजना उचित नहीं है। यदि ईरान ने ये विमान पाकिस्तान को बेच दिये होते तो हम इस मामले के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अवश्य करते।

Shri Madhu Limaye : It may be possible that the planes may have been sold by Saudi Arabia to Pakistan. It should be confirmed.

Shri Nath Pai : It may be a benami deal. It should be enquired into.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर ध्यान दिया है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच एक और सैनिक समझौता हुआ है और इसी के अनुसार ये जहाज ईरान ने पाकिस्तान भेजे थे ?

श्री मु० क० चागला : ईरान और पाकिस्तान दोनों देश ही दक्षिण-पूर्व एशिया सन्धि संगठन (सीटो) और मध्य संधि संगठन (सेन्टो) के सदस्य हैं। हो सकता है उनमें इनके अतिरिक्त भी कोई रक्षा-समझौता हो गया हो। परन्तु इस बारे में हमें निश्चित रूप से कोई जानकारी नहीं है। वह एक गुप्त समझौता भी हो सकता है। हां, उन विमानों के बारे में हमें पता है जो ईरान ने जर्मनी से खरीदे थे जो पाकिस्तान को तथाकथित सफाई के लिये भेजे गये थे। वे सब विमान ईरान वापिस पहुंच गये हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ईरान के अलावा और कौन से देश ऐसे हैं जिन्होंने सफाई और मामूली मरम्मत के बहाने से पाकिस्तान में अपने विमान ठहराये हुए हैं ? सरकार ने उन्हें ऐसा न करने के लिये राजी करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मु० क० चागला : 'नाटो' संगठन के किसी भी सदस्य ने ईरान को वे विमान नहीं बेचे हैं जो उन्होंने अमरीका से खरीदे थे। पाकिस्तान यूरोप से अधिकाधिक शस्त्र खरीदने का प्रयास कर रहा है। परन्तु उसे टैंक और विमान आदि भारी शस्त्र केवल चीन से ही प्राप्त हुए हैं।

श्री पं० वेंकटासुब्बया : ईरान के अतिरिक्त, सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को ऐसे लड़ाकू विमान दिये हैं जो उसने अन्य देशों से खरीदे थे। क्या सरकार ने वर्तमान मध्य एशिया स्थिति को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब का ध्यान इस ओर दिलाया है कि पाकिस्तान को हथियार देकर भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनाये रखना उसके हित में नहीं है ?

श्री मु० क० चागला : हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को विमान भेजे हैं या सऊदी अरब ने किसी 'नाटो' संगठन के सदस्य देश से विमान खरीदे हैं।

Shri A. B. Vajpayee : May I know whether the Govt. of India have received any note from the Govt. of Iran after the visit of Foreign Minister to that country, and if so, the contents there of ?

श्री मु० क० चागला : ईरान की सरकार से मेरे वहां से लौटने के बाद हमें कोई नोट नहीं मिला है।

श्री हेम बरुआ : ऐसा पता चला था कि सऊदी अरब पाकिस्तान को अमरीकी लड़ाकू विमान और चीन उसे रूसी लड़ाकू विमान दे रहा है। यदि यह सच है तो क्या सरकार ने इस बात का ठीक अनुमान लगाया है कि पाकिस्तान की वायु शक्ति हमारी अपेक्षा अब कितनी बढ़ गई है ? क्या राजनयिक सूत्रों से इस बात की कोई जानकारी मिली है।

श्री मु० क० चागला : जहां तक हमारे राजनयिक सूत्रों का सम्बन्ध है, पाकिस्तान स्थित हमारे मिशनों से बराबर उन सौदों की जानकारी हमें मिलती रहती है जो सैनिक सामान के बारे में किये जाते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर मेरे अन्य साथी देंगे।

श्री हेम बरुआ : प्रतिरक्षा मन्त्री यहाँ बैठे हैं और वह हमें इस विषय में बतलायें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल के दौरान ऐसा नहीं किया जा सकता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीय छात्र सेना दल

* 275. **श्री मं० रं० कृष्ण :**
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय छात्र सेना दल की संख्या घटा कर वर्तमान संख्या से आधा कर देने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) जिन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये राष्ट्रीय छात्र सेना दल बनाया गया था क्या उनको प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) क्या संकटकालीन स्थिति में प्रतिरक्षा सेवाओं में भरती के लिये लोगों को तैयार करने और उन्हें शारीरिक दृष्टि से योग्य बनाये रखने के लिये उनका मंत्रालय शिक्षा संस्थाओं में शारीरिक योग्यता कार्यक्रम को जोरदार ढंग से चलाने की योजना बना रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) 1962 में चीनी आक्रमण के बाद जनता की आम मांग पर 1963 में कालेज के लड़कों के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रशिक्षण अनिवार्य केवल इसलिए ही नहीं कर दिया गया था कि इससे उनके चरित्र का विकास होगा और उनमें मित्रता, सेवा के आदर्श और नेतृत्व की क्षमता आएगी अपितु इसलिए भी कि देशरक्षा के प्रति उनकी अभिरुचि बढ़ेगी और राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति में हम अपनी सशस्त्र सेनाओं को जल्दी ही बढ़ाने के लिए पहले ही से एक शक्तिशाली जनशक्ति बना कर रख सकेंगे। अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के बाद सभी विश्वविद्यालयों ने सभी कालेज छात्रों के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाते हुए अध्यादेश जारी किए। तब से निम्नलिखित बातों को देखते हुए इस मामले का पुनरीक्षण किया गया :-

(1) प्रतिवर्ष कालेजों में छात्रों की बढ़ती हुई संख्या के परिणामस्वरूप कालेज छात्रों के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के सीनियर डिवीजन की बढ़ती हुई संख्याशक्ति, जो रक्षा आवश्यकताओं से असम्बन्धित है।

(2) प्रभावी प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण अमला और उपस्कर की वर्तमान लगातार कमी।

(3) राष्ट्रीय कैडेट कोर में अनिवार्य रूप से भाग लेने में विद्यार्थियों में अभिरुचि की कमी और हिचकिचाहट।

(4) विश्वविद्यालयों में और विशेषकर शिक्षाविदों में बढ़ती हुई यह भावना कि राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण को ऐच्छिक बनाया जाय, और

(5) राष्ट्रीय सेवा कोर (नेशनल सर्विस कोर) बनाने के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग और कुठारी समिति की सिफारिशें।

अब राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण को ऐच्छिक बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया तो इससे राष्ट्रीय कैडेट कोर की संख्याशक्ति काफी कम हो जाएगी।

(ग) भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित सीमाओं के अन्तर्गत, राष्ट्रीय कैडेट कोर ने काफी हद तक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की।

(घ) राष्ट्रीय कैडेट कोर के अतिरिक्त, जिसके पाठ्यक्रम में शारीरिक स्वस्थता के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है और जिसका एक लक्ष्य मिलिट्री तथा सैनिक स्कूलों जिनसे इस मंत्रालय का सम्बन्ध है और सशस्त्र सेनाओं के लिए एक रिजर्व जनशक्ति बनाना भी है, रक्षा-

मंत्रालय के पास शैक्षिक संस्थाओं में शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम को तेज करने के लिए कोई और योजना नहीं है ।

मिग विमान बनाने के कारखाने

*276. **श्री शारदा नन्द :**
श्री जे० बी० सिंह :
श्री भारत सिंह :
श्री रणजीत सिंह :
श्री के० हाल्दर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री धीरेन्द्र नाथ :
श्री प्र० के० देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रा० बरुआ :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री बाबूराव पटेल :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मिग विमान बनाने वाले कारखानों की स्थापना करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इन कारखानों की कुल क्षमता कितनी होगी; और

(ग) इन कारखानों पर अब तक कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) मिग कारखानों में तकनीकी और उत्पादन बिल्डिगों के निर्माण में पर्याप्त प्रगति हुई है । मिग निर्माण के समन्वित कार्यक्रम के अनुकूल ही संयंत्र, मशीनरी और उपस्करों की प्राप्ति, दस्तावेजों का अनुवाद, कार्मिकों की भर्ती और प्रशिक्षण व्यवस्था में संतोषजनक प्रगति हुई है ।

(ख) इस सूचना को देना लोकहित में उचित नहीं है ।

(ग) मार्च 1967 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार मिग कारखानों पर कुल पूंजीगत व्यय लगभग 24 करोड़ रुपये है ।

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष

*277. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री बृज भूषण लाल :
श्री शारदा नन्द :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ दुर्लभ सिक्के, जो भारतीयों ने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान में दिए थे, इंगलैंड और अमरीका भेजे गए और वहां वे बहुत ही कम मूल्यों पर बेचे गये;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सिक्कों का इससे अधिक मूल्य भारत में ही नहीं मिल सकता था;

(ग) क्या इस विषय में कुछ पूछ-ताछ की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) कुछ सिक्के, जो सिक्कों के विशेषज्ञों के विचार से दुष्प्राप्य थे, अमरीका और इंगलैंड भेजे गए थे। इनमें से 103 सिक्के अमरीका में और 271 इंगलैंड में बेचे गए थे। इनका कुल विक्रय-मूल्य उनमें लगे हुए सोने की मात्रा के मूल्य से, उस समय के अन्तर्राष्ट्रीय भाव के अनुसार, अधिक था। राष्ट्रीय रक्षा कोष की कार्यकारिणी समिति के निर्णय के अनुसार यह बिक्री हमारे दूतावासों के जरिये हुई थी। सिक्के, प्राप्त पेशकशों में से सब से ज्यादा मूल्य पर बेचे गए थे। विदेश में इनकी बिक्री से विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। विदेश में विक्रय से विकल्प के तौर पर भारत में अधिक अच्छे मूल्य पर बेचने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ था। जांच किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

इलेक्ट्रानिक्स सम्बन्धी भाभा समिति का प्रतिवेदन

*** 278. श्री वीरेन्द्रकुमार शाह :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री ख० प्रधानी :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रानिक्स संबंधी भाभा समिति की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में इलैक्ट्रानिक के विषय में अनुसंधान एवं विकास के प्रोत्साहन के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में इलैक्ट्रानिक उद्योग में अनुसंधान और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिये इलैक्ट्रानिक औज़ारों और उपकरणों का कोई केन्द्रीय संगठन बनाने के बारे में सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) भाभा समिति की रिपोर्ट को प्रशासकीय कार्यरूप देने के लिए सितम्बर 1966 में सरकार ने "इलैक्ट्रानिक्स कमेटी" नामक एक समिति बनाई, इस समिति का काम इलैक्ट्रानिक्स के तीव्र विकास के लिए तात्कालिक आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, डिजाइन और विकास में किए जा रहे अनुसंधान के सम्बन्ध में जानकारी बनाए रखना, ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जहां देशी उत्पादन व्यवस्था बनाई जा सके, और ऐसी क्षमता को तेजी से स्थापित करना है।

(ख) (1) सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में इलैक्ट्रानिक्स के विकास के लिए उपलब्ध सुविधाओं का पता लगाने में सहायता देने और उनके साथ विकासात्मक समझौते करने के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए इलैक्ट्रानिक्स कमेटी ने एक तकनीकी समिति बनाई है।

(2) इलैक्ट्रानिक्स कमेटी अनुसंधान और विकास कार्यों में संलग्न संस्थाओं और उद्योग की सहायता के लिए इलैक्ट्रानिक्स हिस्से पुर्जों, उपस्करों आदि के विकास और उत्पादन से सम्बन्धित सूचनाओं को एकत्रित करने और उनके प्रचार के लिए एक उपयुक्त संस्था स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, फिर भी दो क्षेत्रीय इलैक्ट्रानिक मूल्यांकन परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाने वाली हैं जिनमें निजी और सरकारी क्षेत्र में इलैक्ट्रानिक उद्योगों के लिए उनके उत्पादित सामान का मूल्यांकन और परीक्षण के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था होगी।

विश्व संस्थाओं में भारत की सदस्यता

*** 279. श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो बनर्जी :
श्री एस० एम० जोशी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कितने अन्तर्राष्ट्रीय तथा विश्व निकायों, संस्थाओं, संगठनों तथा समितियों का सदस्य है;

(ख) इन संगठनों में से प्रत्येक को भारत द्वारा कितना तथा किस देश की मुद्रा में वार्षिक अंशदान दिया जाता है; और

(ग) रुपये के अवमूल्यन के बाद भारत द्वारा दिये जाने वाले अंशदान में कितनी वृद्धि हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) उन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की एक सूची, सदन की मेज पर रख दी गई है, भारत जिनका सदस्य है। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 514/67.**]

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

ब्रिटेन में जातीय भेद-भाव

*** 280. श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री उमानाथ :
श्री गणेश घोष :
श्री वि० कु० मोदक :

श्री भगवान दास : श्री प्र० के० देव :
डा० रानेन सेन : श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री जार्ज फरनेन्डीज : श्री बाबूराव पटेल :
श्री० जे० एच० पटेल : श्री हेम बरुग्रा :
श्री मधु लिमये : श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : श्री नाथपाई :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में राजनैतिक तथा आर्थिक आयोजन (पी० जी०) द्वारा किये गये सर्वेक्षण से हाल में इस बात का पता लगा है कि सारे ब्रिटेन में काले रंग वाले प्रव्रजकों के विरुद्ध जिनमें भारतीय लोग भी शामिल हैं, जातीय भेद-भाव बरता जाता है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस प्रश्न पर ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत की है ; और

(ग) क्या सरकार मानवीय अधिकारों का प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघ की तत्सम्बन्धी समिति में उठाने का विचार कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) : जी हाँ ।

(ख) हमारे हाई कमीशन ने ब्रिटिश अधिकारियों के साथ अलग-अलग मामलों को उठाया है ।

(ग) इस तरह की कार्रवाई करने की अभी जरूरत नहीं मालूम होती क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी स्वयं इस सम्बन्ध में कानून बनाने की सोच रहे हैं ।

Retrenchment of Emergency Commissioned Officers

*** 281. Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Gadilingana Gowd :**
Shri Ram Singh Ayarwal : Shri Mohamed Immam :
Shri S. K. Tapuriah : Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to retrench Emergency Commissioned Officers ;

(b) if so, the alternative employment to be provided to these Officers ;

(c) whether Government are contemplating to absorb these trained officers in other Departments in his Ministry or the Border Security Force; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir. Those Emergency Commissioned Officers who are overage or those who have neither opted for Permanent Commission nor been found fit for the grant of Permanent Commission will be released according to a phased programme in four batches during the years 1967-70.

(b) Government have taken steps to reserve certain percentages of permanent vacancies in the All India Services and various Central Services/posts Class I and Class II which are filled on the basis of a competitive examination and/or interview by the Union Public Service Commission, advertisements for which are published in all important newspapers of the country. It is for the individual officers to be on the look-out for such advertisements and apply for them, if they are eligible,

Most of the State Governments have also issued orders reserving certain percentages of vacancies in their services for the Emergency Commissioned Officers. For these vacancies also the Emergency Commissioned Officers themselves have to apply to the appropriate authority as and when advertisements appear.

As for public undertakings and private firms, the Emergency Commissioned Officers could apply for such vacancies as they come across, direct to the authority concerned with a copy to the Director General Resettlement who would then use his good offices to see that preference is given to the Emergency Commissioned officers while making recruitment. The Ministry of Defence has also written to a number of important industrialists in the private sector for absorption of as many Emergency Commissioned Officers as possible in their organisations.

(c) Yes, Sir.

(d) Does not arise.

Talks between Representatives of India and Australia

*** 282. Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Madhu Limaye :
Shri S. M. Banerjee :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri George Fernandes :
Shri H. P. Chatterjee :
Shri Dattatraya Kunte :
Shri S. C. Samanta :
Shri Yashpal Singh :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :
Shri Y. A. Prasad :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that talks were held for three days between the representatives of India and Australia in New Delhi recently ; and

(b) if so, the broad details of topics on which discussion took place and agreement, if any, reached ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) The discussions covered the international situation in general and problems of South East Asia in particular. The subjects included India-Pakistan relations, Vietnam, China, Nuclear non-proliferation and disarmament, regional economic and cultural cooperation, issues of common interest before the United Nations and the Commonwealth. The possibilities of increased cooperation between the two countries in the cultural and commercial spheres were also explored in general terms.

The talks were in the nature of an exchange of views and no formal agreement, as such, was reached.

नागालैण्ड के लिए एक पृथक गवर्नर तथा उच्च न्यायालय

* 283. **श्री स्वैल :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड की सरकार ने नागालैंड के लिये एक पृथक गवर्नर तथा उच्च न्यायालय बनाने की मांग की है ;

(ख) क्या नागालैंड तथा आसाम के लिये एक ही गवर्नर तथा उच्च न्यायालय की वर्तमान व्यवस्था सफल सिद्ध नहीं हुई है ; और

(ग) क्या नागालैंड की सरकार ने अपनी इस प्रार्थना के समर्थन में कुछ कारण दिये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारतीय नौसेना

* 284. श्री क० हाल्दर : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौसेना के विकास तथा आधुनिकीकरण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) भारतीय नौसेना के विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए कदमों की लगातार समीक्षा होती रहती है और उन्हें कार्यान्वित किया जाता रहता है । इस सम्बन्ध में कोई विवरण देना लोक–हित में उचित नहीं है ।

Demilitarised Zone on McMahon Line

* 285. **Shri Hardayal Devgun :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state

(a) whether Government recognise the demilitarised zone created by China after 1962 invasion on this side of the McMahon line; and

(b) whether the Indian Army is guarding the McMahon Line in the North Eastern Sector ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

राडार व्यवस्था

* 286. श्री वी० चं० शर्मा : श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री ओंकारलाल बेरवा : श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री भोगेन्द्र झा : श्री काशीनाथ पाण्डे :
श्री महाराज सिंह भारती : श्री महादेव प्रसाद :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार राडार लगाने के उस काम को पूरा करने की इच्छुक है जिसके लिये चीन के आक्रमण के बाद भारत को मिलने वाली सहायता में व्यवस्था की गई थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) और (ख) : अमरीकी सरकार ने अपने मिलिट्री क्रेडिट सेल्स प्रोग्राम के अधीन, उनके दिए हुए राडारों के साथ इस्तेमाल करने के लिए, कुछ संचार उपस्कर देने का प्रस्ताव रखा है; वह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

Expulsion of Indians From Tanzania

* 287. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the concerned Foreign Governments consult the Government of India or Indian Embassies before taking a decision for turning persons of Indian origin out of those foreign countries; and

(b) whether the Government of Tanzania consulted India on the question of expulsion of 50 Indians ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs **(Shri Surendra Pal Singh)** : (a) It is not obligatory for sovereign Governments concerned to consult others in the matter of deportation or expulsion of foreigners which is within the internationally recognised rights of such Governments to order. The Government of India have, however, made it quite clear to these Governments that in all cases of deportation to India of persons who are not Indian citizens, the Government of India's prior assent would have to be obtained before they are deported to India and that the deportees themselves would have to signify their willingness to be sent to India.

(b) No, Sir. But on our advice our High Commissioner in Dar-es-Salaam urged the Tanzanian Government not to issue expulsion orders on persons of Indian origin who had lived and worked in the country over a period of many years, without careful consideration and valid reasons in each case. We also conveyed our views in this matter to the Tanzanian High Commissioner in Delhi.

Our High Commissioner's reports indicate that the Tanzanian Government have appreciated this position and the indications are that the issue of further expulsion orders has been halted. Expulsion orders issued previously are also to be reviewed and, in appropriate cases, those orders are likely to be revoked.

पाकिस्तान द्वारा काश्मीर में आम चुनावों के बारे में सुरक्षा परिषद् को

* 288. श्री य० अ० प्रसाद : श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री न० कु० सांघी : श्री प्र० के० देव :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् को एक पत्र लिखा है कि जिसमें आरोप लगाया गया है कि हाल के काश्मीर में हुआ आम चुनाव, चुनाव का दिखावा मात्र था ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) : जी हाँ।

(ख) पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि के पत्र में झूठे और अनावश्यक आरोप लगाए गए हैं जिसका अर्थ भारत के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप करना है। भारत में आम चुनाव होने से पाकिस्तान सरकार का कोई सरोकार नहीं है पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि के पत्र का समुचित उत्तर यथासमय भेज दिया जाएगा।

पूर्वी पाकिस्तान सरकार द्वारा बूढ़ी तीस्ता नदी पर बांध का निर्माण

* 289. **श्री वे० कृ० दास चौधरी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान और भारत की सीमा के अन्दर बूढ़ी तीस्ता नदी के किनारे पर, पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में हल्दीबाड़ी पुलिस थाने के अन्तर्गत देवांगनी नामक स्थान के बिल्कुल निकट एक बड़ा बांध बनाना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस बांध के बन जाने पर देवांगनी क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो जायेगा ; और

(ग) इस सीमा क्षेत्र के भारतीय नागरिकों को संकट से बचाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : भारत सरकार के पास सुलभ सूचना के अनुसार, पाकिस्तान ने अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक स्कीम रखी है कि तीस्ता की एक छोटी सहायक नदी, बूढ़ी तीस्ता पर, व्यावर्तक बांध बनाया जाय। यह भारत-पाक सीमा के दक्षिण में लगभग 15 मील की दूरी पर है और इसे 'बड़ा बांध' नहीं कहा जा सकता।

भारत सरकार के पास इस प्रायोजना के बारे में कोई सूचना नहीं है जिस पर काम शुरू होना है। इस बांध के पूरा हो जाने पर, भारत के कौन-कौन से इलाके डूब जाने की सम्भावना है, इसकी जांच की जा रही है। इस बीच, हमने पूर्व पाकिस्तान स्थित अपने मिशन से और पश्चिम बंगाल सरकार से इस प्रायोजना के बारे में विस्तृत सूचना मांगी है।

पाकिस्तान द्वारा सैनिक तैयारियां

*291. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने कूचबिहार सीमा क्षेत्र में झाड़लिगेश्वर की सीमा पर चतनई क्षेत्र में एक बांध बनाया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में मेखलीगंज क्षेत्र के साथ-साथ पाकिस्तान बंकर बना रहा है और खाइयाँ खोद रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सेना ने मेखलीगंज के सामने के सीमा क्षेत्र में सब सीमा चौकियों की सैन्य शक्ति बढ़ा दी है ;

(घ) क्या यह सच है कि त्रिपुरा की बेलोनिया सीमा के साथ-साथ भी पाकिस्तानी सेना बंकर बना रही है और खाइयाँ खोद रही हैं ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने, जिनकी संख्या हाल में बढ़ाई गई है बेलोनिया के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले भारतीय लोगों पर कई बार गोलीबारी की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) यह सच है कि पूर्व पाकिस्तान के अधिकारियों ने हाल ही में जिला कूचबिहार, थाना-हल्दीबाड़ी में भार सिद्धेश्वर के सामने कालीगंज चटनई से रतनसिंह चटनई तक बांध बनाना शुरू किया था। इस पर हमारी सीमा सुरक्षा सेना ने और पश्चिम बंगाल सरकार ने भी पूर्व पाकिस्तान के अधिकारियों से कड़ा विरोध प्रकट किया। इन विरोधों के परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस बांध का निर्माण बन्द कर दिया है।

(ख) विश्वस्त समाचारों के अनुसार कूच-बिहार में मेखलीगंज के सामने की सीमा पर पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के कर्मचारियों ने हाल ही में पुरानी खाइयों और खंदकों की सफाई और मरम्मत की है।

(ग) मेखलीगंज के सामने वाले सीमावर्ती इलाके में पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा और कुमुक लाए जाने के विषय में कोई सूचना नहीं है। लेकिन, हमें इस आशय की खबरें मिली हैं कि कुछ पाकिस्तानी सीमा चौकियों में पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है।

(घ) जी हाँ।

(ङ) पिछले तीन महीने में पूर्व पाकिस्तान राइफल्स ने सिर्फ एक बार, 20-4-1967 को बेलोनिया की ओर गोली चलाई थी। कोई हताहत नहीं हुआ।

ब्रिटेन में स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारी का चोरी छिपे माल ले जाने में हाथ

*292. **श्री यशपाल सिंह** : **श्री काशीनाथ पांडे** :
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री भगवान दास : **श्री प्र० के० देव** :
श्री चक्रपाणि : **श्री क० प्र० सिंह देव** :
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री सु० कु० तापड़िया** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मई, 1967 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली से लन्दन भांग (हशीश) चोरी छिपे ले जाने वाले एक गिरोह के कार्य में भारतीय उच्चायोग के एक वरिष्ठ राजनयिक का हाथ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) : विदेश मंत्रालय को 22 मई 1967 को हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे समाचार की जानकारी है और इस मामले में कुछ पूछताछ की गई है । हमारी पूछताछ से यह पता चला है कि लन्दन-स्थित हमारे हाई कमीशन का कोई भी अवरत था प्रवर राजनयिक अथवा कोई अन्य अधिकारी चोरी-छिपे भांग (हशीश) लन्दन भेजने के गिरोह में शामिल नहीं है ।

(ख) लन्दन-स्थित भारतीय हाई कमीशन ने ब्रिटेन के अखबारों में इस तरह की गलत खबरें छापने के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ इस मामले को पहले ही उठा लिया है ।

बर्मा में नज़रबन्द भारतीय राष्ट्रजन

* 293. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 3 अप्रैल, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 218 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 27 मई 1964 के बाद बर्मा सरकार द्वारा आर्थिक अपराधों के आरोप में नज़रबन्द भारतीय राष्ट्रजनों को रिहा कराने तथा स्वदेश में लौटने में इस बीच क्या अग्रेतर प्रगति हुई है ; और

(ख) इस दिशा में क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : बर्मा में जिन भारतीय राष्ट्रिकों को तथाकथित आर्थिक अपराधों के लिए बन्दी बना रखा है, उनके मामले पर हमारा राजदूतावास बर्मा के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है । उन भारतीय राष्ट्रिकों के मामलों को तरजीह दी जा रही है जो 27 मई 1964 से पहले से जेल में हैं, क्योंकि वे लोग ज्यादा देर से बन्दी हैं । सदन में 3 अप्रैल 1967 को जो जवाब दिया गया था, उसके बाद हमें दो और ऐसे भारतीयों के रिहा किए जाने की सूचना मिली है जो 27 मई 1964 से पहले पकड़े गए थे । हमारा राजदूतावास बाकी लोगों के मामलों पर भी बर्मा अधिकारियों से बात कर रहा है ।

युद्ध उपकरणों का निर्माण

* 294. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अब भी टैंक, युद्ध में काम आने वाली ट्रक, जीप, स्वचालित बन्दूकें, लड़ाकू विमान तथा लड़ाकू जहाज जैसे समस्त आवश्यक युद्ध उपकरणों का

निर्माण करने की स्थिति में नहीं है ; और इसके लिये उसे विदेशी सहायता पर निर्भर करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो भारत इनके मामले में कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) हमारा यह लक्ष्य है कि आवश्यक उपस्करों के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो जाएं। रक्षा उत्पादन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें अधिकाधिक बहुत सूक्ष्म यन्त्रों का उत्पादन निहित है। हमने छोटे हथियारों में तो पर्याप्त आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है।

हमें अभी भी अलौह धातु, विशेष इस्पात और मिश्र धातु तथा इलेक्ट्रानिक्स, एरोनाटिक्स, साधन विनियोग के क्षेत्र में सूक्ष्म उपकरणों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। देश में विकासशील औद्योगिक संस्थाओं के सहयोग से इन क्षेत्रों में तेजी से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

चीन-विरोधी प्रचार

*** 295. श्री आत्मदास :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने अग्रिम क्षेत्रों में चीन द्वारा किये जा रहे भारत-विरोधी प्रचार को निष्प्रभावी बनाने के लिये चीन-विरोधी प्रचार करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इन क्षेत्रों में तैनात हमारे जवानों के मनोबल पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है तथा चीन के प्रचार का खण्डन करने पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रचार की अवधि और गति बढ़ाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हाँ ; भारत सरकार ने नाथूला के अग्रिम क्षेत्रों में चीन द्वारा किए जा रहे भारत-विरोधी प्रचार को निष्प्रभावी बनाने के लिए अभियान चलाया है।

(ख) हमारे जवाबी प्रचार से हमारे जवानों का मनोबल बढ़ा है ; इसका चीनी प्रचार का खण्डन करने में वांछित प्रभाव पड़ रहा है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

राडार विरोधी उपकरण योजना

*** 296. श्री वीरेन्द्रकुमार शाह :**
श्री पिलु मोडी :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री प्र० के० देव :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के एक भूतपूर्व प्राध्यापक ने राडार विरोधी उपकरण योजना बनाई है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में महान प्रगति की जा सकती है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय के वैज्ञानिकों ने इस विधि के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिये उनसे भेंट की है ;

(ग) सरकार द्वारा इस योजना को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि इस प्राध्यापक ने कहीं और नौकरी कर ली है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) से (घ) एक वैज्ञानिक द्वारा, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान का एक भूतपूर्व प्राध्यापक था, राडार विरोधी उपकरण का विकास करने और इस सम्बन्ध में उसके द्वारा प्रारम्भिक आंकड़े एकत्रित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी । इस सम्बन्ध में उसके साथ रक्षा मन्त्रालय के एक प्रवर वैज्ञानिक ने बातचीत की और उसने बाद में 27 लाख रुपये की कीमत की एक सहायता अनुदान योजना प्रस्तुत की । इन प्रस्तावों पर रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में विस्तृत रूप से विचार किया गया । इस सम्बन्ध में विचारगोष्ठियां की गई जिनमें प्रस्ताव रखने वाला वैज्ञानिक भी उपस्थित था । योजना के मूल्यांकन पर यह मालूम पड़ा कि 27 लाख रुपए व्यय करने से सम्भावित परिणाम अधिक अच्छे नहीं हो सकेंगे । उस वैज्ञानिक को रक्षा इलेक्ट्रानिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद में काम करने के लिए आमन्त्रित किया गया जहां उस वैज्ञानिक द्वारा विकसित उपकरण के मूल्यांकन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध थीं । उसने ऐसा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की और परिणामतः उस योजना पर और आगे विचार नहीं किया गया । सरकार को पता है कि उस वैज्ञानिक ने उत्तर प्रदेश में एक और संस्था में नियुक्ति ग्रहण कर ली है ।

भारतीय राज्य क्षेत्र पर कब्जा करने का पाकिस्तान का प्रयत्न

*** 297. श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान सरकार दक्षिण बेरूबाड़ी में सीट संख्या 28 भारतीय राज्य क्षेत्र पर अपना कब्जा करने का प्रयत्न कर रही है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण बेरूबाड़ी के किसानों तथा गरीब ग्रामीणों को यह धमकी दी गई है कि यदि वे अपने मकानों को छोड़ कर अन्यत्र नहीं चले जाते तो उन्हें उसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे ; और

(ग) यदि हाँ, तो उन ग्रामवासियों के जीवन तथा स्वाधीनता की रक्षा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) हमें रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान में बड़ाशाही सीमा चौकी के पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के सैनिक बार-बार हमलावर और उत्तेजनात्मक कार्यवाइयां कर रहे हैं और ज़िला जलपाईगुड़ी—थाना कोतवाली, दक्षिण बेरूबाड़ी में पठानयुग गांव के भारतीय राष्ट्रिकों को अपनी ज़मीनें न जोतने की धमकियां दे रहे हैं ।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व पाकिस्तान सरकार से कड़ा विरोध प्रकट किया है और उसका ध्यान उनके जनवरी 1967 के इस आश्वासन की ओर दिलाया, जो पहले

विरोध-पत्र के उत्तर में दिया गया था, कि भारतीय राष्ट्रिकों को ज़मीन जोतने में पाक राष्ट्रिकों द्वारा किसी प्रकार का दखल न देने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी खाइयां खोदने और पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों द्वारा सीमा से 150 गज अन्दर अग्रिम शिविर लगाने के खिलाफ विरोध-पत्र भेजा है क्योंकि ऐसा करना बार्डर ग्राउन्ड रूल्स का उल्लंघन है। ढाका—स्थित भारत के उप हाई कमीशन को भी यह आदेश दिया गया है कि वह पूर्व पाकिस्तान सरकार से कड़ा विरोध प्रकट करें।

ताशकन्द समझौते के बारे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री को भारत के विरूद्ध शिकायत

***298 श्री य० श्र० प्रसाद : श्री वेदव्रत बरुग्रा :**
श्री न० कु० सांघी : श्री पार्थसारथी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने हाल में इसकी सरकार से यह शिकायत की है कि भारत ताशकन्द समझौते का पालन नहीं कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस शिकायत से क्या-क्या स्पष्ट उदाहरण दिये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन आरोपों का खण्डन करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क), (ख) और (ग) अखबारों की खबरों के अनुसार बताया जाता है कि एक पाकिस्तानी प्रवक्ता ने मास्को में 11–5–1967 को कहा था कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सोवियत नेताओं के साथ अपनी बातचीत में इस बात की शिकायत की थी कि भारत ताशकंद घोषणा की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। बताया जाता है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने हमारे द्वारा ताशकंद घोषणा के तथाकथित उल्लंघन को खासतौर से किसी घटना का हवाला नहीं दिया। किन्हीं कारणों से हम यह विश्वास करते हैं कि सोवियत नेताओं ने, जो ताशकंद घोषणा को बहुत महत्व देता है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ अपनी बातचीत में इस ऐतिहासिक प्रलेख को क्रियान्वित करने के लिए दिल से प्रयत्न करने की आवश्यकता पर बल दिया जिस पर कि दोनों सरकारों के अध्यक्षों ने मुक्त रूप से और अपनी ईर्षा से दस्तखत किये थे।

हमने कई मौकों पर सोवियत सरकार को यह बताया है कि ताशकंद घोषणा के अनुसार पाकिस्तान से मित्रता के संबंध विकसित करने में हमारे सामने क्या कठिनाइयां पेश आ रही है सोवियत सरकार हमारी स्थिति को समझती है और यह समझती है कि हम अपने प्रयत्नों को जारी रखना चाहते हैं।

भारत द्वारा परमाणु बम बनाने के बारे में पाकिस्तानी प्रचार

***299 श्री दी० चं० शर्मा : क्या वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या पाकिस्तान नेशनल एसेम्बली में यह कहा गया है कि भारत परमाणु बम का परीक्षण करने वाला है।

(ख) यदि हां, तो इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) ऐसे निराधार प्रचार का खण्डन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) : जी हां

(ख) : ये आरोप तो बिल्कुल निराधार हैं। इस तरह के आरोप दोहराने से यह संदेह होने लगता है कि पाकिस्तानी एटमी हथियार प्राप्त करने का बहाना ढूंढ रहा है।

(ग) : सरकार ने अन्य देशों को स्थिति स्पष्ट कर दी है जो कि, हम समझते हैं, इस मामले में भारत की सदस्यता से आश्वस्त हैं। उन्होंने पाकिस्तान की भावी प्रचार का प्रभाव मिटाने के लिए कारगर उपाय भी बरत लिए हैं।

भूटान का संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बनना

*300 **श्री मधु लिमये** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूटान की सरकार ने यह कहा है कि भूटान को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता पाने के लिये प्रार्थना-पत्र देने की अनुमति दी जाये तथा भारत उसका प्रार्थनापत्र पेश करे ;

(ख) क्या इस बारे में औपचारिक रूप से प्रार्थना की गई है अथवा केवल अनौपचारिक रूप से ही कहा गया है ; और

(ग) भारत सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) 25 जुलाई 1966 को इस सदन में तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उत्तर में ऐसे ही प्रश्न का उत्तर दिया गया था। इस संबंध में कोई और घटना नहीं हुई है और तब से औपचारिक अथवा अनौपचारिक तौर पर कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में सदस्यता के लिए उस समय भूटान का नाम भेजने पर खुश होगी जबकि भूटान यह कहेगा कि वह इस प्रकार की सदस्यता की जिम्मेदारियों और दायित्वों को निभाने के लिए तैयार है।

Rehabiltaton of Ex-Servicemen in Bihar

1421. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of ex-servicemen at present in Bihar ;

(b) the steps so far taken by Government to rehabilitate them ; and

(c) the number of those who are still unemployed ?

The Minister of State in the Ministry of Defenc e (Shri B.R. Bhagat) (a) According to approximate statistics available with the Bihar state Soldiers' sailors & Airmen's Board the number of ex-servicemen in Bihar would be about 1, 25,000 at present.

(b) and (c) The following facilities and concession have been or are being provided to rehabilitate these ex-servicemen :-

For Direct Employment :

(i) Permission for registration in an Employment Exchange of their own choice, six months before their release.

(ii) Grant of priority III for Civil employment by Employment Exchanges.

(iii) Age relaxation to the extent of service in the Armed Forces Plus a grace period of 3 years, wherever necessary.

(iv) Relaxation of minimum educational qualification for appointment to Class IV posts.

(v) Preference for jobs in Defence installations and in security posts for which they have special background.

(vi) Reservation of vacancies in permanent posts in Class III and Class IV to the extent of 10% and 20% respectively for a period of two years in the first instance from 1st July 1966.

For training in order to improve employment prospects :

(vii) Vocational training at the Industrial Training Institutes for which 5% seats have been reserved with stipends.

(viii) Preference for teachers' training.

(ix) Tractor and Agricultural Farm Machinery Training (the first batch to go in for training in July 1967).

(x) Pre-release training for about 3,000 Army personnel every year in certain selected trades in the various Industrial Training Institutes located near-about their Regimental Centres, (the scheme to be implemented shortly).

The State Governments including the Government of Bihar have been requested to extend the concessions mentioned at (iii), (iv) and (vi) above for direct employment in the corresponding State Services and posts.

According to the statistics of Employment Exchanges of the Bihar State, the number of ex-servicemen for whom jobs were found in the year 1966 was 483 and the number waiting for jobs at the end of that year as shown on the live register was 2303.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पत्रिकायें

1422 **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा कितनी साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकायें प्रकाशित की जाती हैं और प्रति पत्रिका का मूल्य क्या है ;

(ख) इनकी प्रतिवर्ष कुल कितनी प्रतियाँ बिकती हैं ;

(ग) इन प्रकाशनों के निकलने के काम में लगे हुए कर्मचारियों तथा अधिकारियों के के वेतन भत्तों सहित इन सब पत्रिकाओं पर प्रतिवर्ष कितना व्यय होता है ;

(घ) इन प्रकाशनों की बिक्री से कुल कितनी आय होती है ? और

(ङ) सरकार को प्रतिवर्ष कितनी हानि उठानी पड़ती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह) (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। **(पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 515/67)**

(ख) से (घ) सूचना इस प्रकार है :-

	बेची हुई प्रतियों की कुल संख्या	कुल खर्चा		कुल प्राप्ति	हानि
				रुपये	रुपए
(1) प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिकायें	8,32,835	12,01,535	बिक्री से	3,33,961	8,03,103
			विज्ञापन से	64,471	
			कुल :	3,98,432	
(2) आकाशवाणी द्वारा प्रकाशित प्रोग्राम पतिकायें	31,20,024	18,07,356	बिक्री से	11,06,530	3,30,741
			विज्ञापन से	3,70,085	
			कुल :	14,76,615	

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिकायें मुख्य रूप से प्रचार कार्यों के लिये होती हैं, आजकल और 'बाल-भारती' पत्रिकाओं के अतिरिक्त अन्य सभी पत्रिकायें अन्य मंत्रालयों आदि की ओर से प्रकाशित की जाती है और योजना के विभिन्न पहलुओं, सामुदायिक विकास तथा सहकारी आन्दोलन और पंचायती राज का प्रचार करने के लिए या विदेशों में भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए होती हैं। इन पत्रिकाओं की नीति, वर्ण्य विषय वितरण लक्ष्य, आदि प्रायोजक मंत्रालयों आदि द्वारा निश्चित किये जाते हैं। इन पत्रिकाओं की 6,16,148 प्रतियां प्रचार के लिये निः शुल्क बांटी गई।

भारतीयों का विदेशों में जा बसना

1423. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1947 के पश्चात् कितने भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता का परित्याग किया और स्वदेश छोड़कर अन्य देशों में चले गए ;

(ख) वे किन-किन देशों में जा बसे हैं और उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) इन भारतीय प्रव्रजकों में से कितने लोग डाक्टर, वैज्ञानिक तथा अन्यथा विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति थे और कितने व्यक्ति कारीगर तथा मजदूर थे ;

(घ) कौन कौन से देश भारतीय डाक्टरों, वैज्ञानिकों तथा व्यावसायिक विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों को अपने यहां बुलाते हैं और वहां जाने के लिये उन्हें प्रोत्साहन देते हैं ;

(ङ) क्या देश में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार की नीति ऐसे प्रव्रजनों को प्रोत्साहन देने की है।

(च) क्या ये प्रव्रजक अपनी सभी आस्तियां भारत से बाहर ले जा सकते हैं ;

(छ) यदि नहीं तो किस अनुपात में तथा किस तरीके से ये लोग अपनी आस्तियां बाहर ले जाते हैं ;

(ज) क्या सरकार का विचार डाक्टरों, वैज्ञानिकों तथा अन्य व्यवसायिक विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा छोड़ कर अन्यत्र जाने की इस प्रवृति को रोकने अथवा उसे कम करने के लिये कार्यवाही करने का है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (झ) तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं और प्राप्त होने पर सदन को मेज़ पर रख दिए जायेंगे । सरकार की नीति यह है कि अगर भारत को ऊंची शिक्षा पाने अथवा विशेषज्ञता प्राप्त करने की भारत में सुविधाएं सुलभ न हों तो सुयोग्य व्यक्तियों को उस कार्य के लिए विदेश जाने से हतोत्साहित न किया जाय । साथ ही भारत सरकार देश से ऐसे सुविज्ञ लोगों को बाहर नहीं जाने देना चाहती जिनकी सेवाओं की भारत में आवश्यकता है ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधिकारी जिनकी पत्नियां विदेशी हैं

1425. श्री बाबूराव पटेल : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में कितने पदाधिकारियों की पत्नियां विदेशी हैं;

(ख) उन विदेशी पत्नियों की राष्ट्रीयता क्या है;

(ग) कितने पदाधिकारी ऐसे हैं जिनकी भारत में भारतीय पत्नियां भी हैं;

(घ) क्या उन हिन्दू पदाधिकारियों पर द्विविवाह विरोधी कानून लागू किया गया है, जिनकी पत्नियां भारत में हैं और विदेशी पत्नियां भी हैं;

(ङ) कितने पदाधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने विदेशी महिलाओं से विवाह करने से पहले कानूनी रूप से भारतीय पत्नियों को तलाक दे दिया था;

(च) क्या विदेशी महिलाओं के साथ विवाह करने से पहले उन्होंने सरकार से अनुमति ली थी; और

(छ) यदि हां, तो उन्हें किस आधार पर अनुमति दी गई थी ।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) 17–18 अधिकारियों को छोड़कर–जिनकी पत्नियों ने भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त कर ली है (इन सारी 17 पत्नियों के वर्तमान राष्ट्रीय दर्जे के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है) ।

(ख) :	ब्रिटिश	(4)
	फ्रांसीसी	(1)
	स्पेनी	(1)
	जर्मन	(3)
	हिंदेशियाई	(1)
	मलयेशियाई	(1)
	जापानी	(1)
	पोलिश	(1)
	चैक	(1)
	इटालवी	(1)
	डच	(1)
	थाई	(1)

(ग), (घ) और (ङ) यह सूचना इकट्ठी की जा रही है।

(च) : दो मामले ऐसे हैं जिनमें अधिकारियों ने इस मंत्रालय में आने से पहले ही शादी कर ली थी। 12 मामलों में इजाजत दे दी गई। एक मामले में शादी अप्रैल 1967 में हुई और अफसर का इस्तीफा मंजूर करने का निर्णय कर लिया गया है। दो मामले ऐसे थे जिनमें भारतीय विदेश सेवा (ख) में आने से पहले संबद्ध अधिकारी विदेशों में स्थानीय रूप से भर्ती किए गए थे।

(छ) : प्रत्येक मामले के गुण-दोष का ध्यान रखते हुए इजाजत दी गई और ऐसा करते समय सुरक्षा तथा अन्य पहलुओं पर विचार किया गया।

आकाशवाणी में ड्राफ्टस्मैन और ट्रेसर

1426. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 7 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 639 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ड्राफ्टस्मैन और ट्रेसर के पद अभी भी खाली पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : जी, हां। ड्राफ्टस्मैन और ट्रेसर के पद चौथी पंचवर्षीय योजनाओं को अन्तिम रूप देने में देरी के कारण खाली पड़े हैं। अब क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना के विभिन्न प्रोजेक्ट हाथ में ले लिये गये हैं, इन पदों को भरने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

आकाशवाणी में ड्राफ्टस्मैन

1427. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में ग्रेड एक और ग्रेड दो के ड्राफ्टस्मैनों के कितने पद मंजूर किये गये थे; और

(ख) अब तक उनमें से कितने पद भरे जा चुके हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) : आकाशवाणी में पिछले तीन वर्षों में ड्राफ्टस्मैन ग्रेड एक और ड्राफ्टस्मैन ग्रेड दो के दो-दो पदों की मंजूरी दी गई थी।

(ख) : इनमें से अब तक ड्राफ्टस्मैन ग्रेड एक का एक पद भर लिया गया है। अन्य पदों को भरने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।

भारतीयों को ब्रिटेन में प्रवेश की अनुमति का न दिया जाना

1428. डा० रानेन सेन : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में वैध कागजात तथा पासपोर्ट वाले कितने व्यक्तियों को ब्रिटेन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी; और

(ख) इसके क्या कारण थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 516/67**]

आकाशवाणी का इम्फाल केन्द्र

1429. श्री मेघचन्द्र : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र में एक बड़ा शक्तिशाली ट्रान्समिटर लगाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना काल में इम्फाल में ऊंची शक्ति वाला एक मीडियम वेव ट्रांसमिटर लगाने का प्रस्ताव है। इस ट्रांसमिटर के 1970 में चालू हो जाने की संभावना है।

आकाशवाणी का इम्फाल केन्द्र

1430. श्री मेघचन्द्र : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र में कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) उनमें से कितने लोग स्थानीय हैं तथा कितने लोग मनीपुर के बाहर के हैं; और

(ग) क्या मनीपुर से बाहर के स्थानों के लोगों को वही सुविधायें दी जाती हैं जो प्रतिनियुक्ति पर मनीपुर में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 91

(ख) 66 स्थानीय लोग हैं और 25 मणिपुर से बाहर के हैं।

(ग) जी, नहीं।

नागा सेना

1431. श्री रणजीत सिंह : **श्री रामसिंह आयरवाल** :
श्री हुकमचन्द कछवाय : **श्री वेणीशंकर शर्मा** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तथाकथित नागा सेना कितनी बड़ी है और उसका संगठन कैसा है;

(ख) अप्रैल, 1967 में मेरापोणी, बन्दरछलिया, नमतोला, नमसाई आदि स्थानों में भारी सैनिक तैयारी करने का इस सेना का उद्देश्य क्या था; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) पहले तो, भारत सरकार इस ग्रुप का कोई आधिकारिक दर्जा ही स्वीकार नहीं करती। सरकार को छिपे सशस्त्र कर्मचारियों के बारे में जो सूचना सुलभ है वह गोपनीय और दूसरे साधनों से प्राप्त होती है। इसलिए, ऐसी सूचना को बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

(ख) और (ग) सरकार के पास सुलभ सूचना के अनुसार सशस्त्र छिपे नागाओं के दल नागालैंड-असम सीमा के पास देखे गए थे। सरकार को नहीं मालूम कि छिपे नागाओं की मंशा क्या हो सकती है, हालांकि यह तो साफ है कि वे शांतिपूर्ण नहीं हैं। समुचित ऐहेतियाती उपाय बरत लिए गए हैं जिससे कि अगर इनके उपद्रवी दल गैर-कानूनी कार्रवाइयां करें तो उसका मुकाबला किया जा सके।

पालमपुर के निकट छोटा तिब्बत बनाने की योजना

1432. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पालमपुर के निकट एक 'छोटा तिब्बत' बनाने की दलाई लामा की योजना से अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) हमारी सूचना के अनुसार दलाई लामा की कोई ऐसी योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में परमाणु बिजली घर

1434. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में एक परमाणु बिजली घर स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के बारे में लिखा था;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी परियोजना के लिये कोई योजना तैयार की थी;

(ग) क्या उस दिशा में कोई काम किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

अणु शक्ति विभाग में राज्य मंत्री : (श्री एम०एस० गुरूपद स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) अणु शक्ति विभाग को यह पता नहीं है कि राज्य सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने उस राज्य के मोरेना नामक स्थान पर परमाणु बिजली घर के स्थापित करने की सम्भावना के बारे में पूछताछ की थी। इसके उत्तर में मध्य प्रदेश सरकार को बताया गया था उस क्षेत्र में बिजली की मांग सीमित है तथा अधिक बिजली की मांग वाले केन्द्र इससे दूर हैं, इसलिये उस क्षेत्र में परमाणु बिजली घर स्थापित करने से कोई लाभ न होगा।

फार्मोसा द्वारा भारत को चावल बेचा जाना

1435. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री डी० एन० देव :
श्री प्र० के० देव :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री मु० कु० तापड़िया :
श्री गार्डिलिंगन गौड़ :
श्री मुहम्मद इमाम :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फार्मोसा सरकार ने भारत को खाद्यान्न की कमी पूरी करने के लिये 2,00,000 मीट्रिक टन चावल बेचने का अनन्तिम प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

AMMUNITION RECOVERED FROM NAGAS

1436. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the ammunition recovered in the attack by Naga rebels at Kherimiya check-post in Assam bore marks of 'Made in Pakistan';

(b) if so, whether any correspondence was made with the Government of Pakistan in this regard; and

(c) if so, the reaction of the Government of Pakistan in the matter ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) The Government have received no such report.

(b) and (c) : Do not arise.

क्विलोन के निकट समुद्री बालू से इल्मेनाइट तैयार करना ।

1437. श्री जार्ज फरनेन्डीज : **श्री श्रीधरण :**
श्री जे० एच० पटेल : **श्री मधु लिमये :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी भारतीय और अमरीकी फर्मों के नाम क्या हैं जो केरल में क्विलोन के निकट समुद्री बालू से इल्मेनाइट तैयार करती हैं;

(ख) अमरीकी फर्म के साथ हुए सहयोग करार की शर्तें क्या हैं; और

(ग) परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

अणु शक्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरूपदस्वामी) : (क) इस समय मेसर्स एफ० एक्स० पी० मिनरलस एक केरल सरकार के उपक्रम-द्वारा केरल में समुद्री बालू से इल्मेनाइट तैयार करने का काम कर रही है । कोई भी अमरीकी फर्म इल्मेनाइट तैयार करने का काम नहीं कर रही है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

एक समान मनोरंजन कर

1439. श्री यशपालसिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय फिल्म व्यापार सम्मेलन ने यह सिफारिश की है कि मनोरंजन कर सारे देश में, एक समान अर्थात् 20 प्रतिशत होना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) : जी, हां ।

(ख) यह मामला राज्य सरकारों से सम्बन्धित है । सारे देश के लिए 20 प्रतिशत के एकसार मनोरंजन कर के बारे में फिल्म जांच समिति 1951 ने भी सिफारिश की थी । केन्द्रीय सरकार इस बारे में राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार कर रही है, परन्तु, आय में परिण कमी घाटे को देखते हुए, राज्य सरकारें इस प्रस्ताव को मानने के लिए सामान्यतया अनिच्छुक हैं । मामले पर कार्रवाई चल रही है ।

परमाणु ऊर्जा

1440. श्री यशपाल सिंह : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु उर्जा तैयार करने के लिये अपेक्षित बुनियादी सामग्री के मामले में भारत आत्म निर्भर है;

(ख) यदि नहीं, तो आत्म-निर्भरता प्राप्ति के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ?

अणु शक्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरूपदस्वामी) : (क) से (ग) भारत परमाणु ऊर्जा तैयार करने के लिये अपेक्षित यूरेनियम और थोरियम जैसी बुनियादी कच्ची सामग्री में आत्म-निर्भर है । भारी पानी (हैवी वाटर) जिर्कोनियम जैसी आधुनिक सामग्री में, जिसकी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में आवश्यकता पड़ती है, जैसे ही उनके उत्पादन के लिये लगाये जाने वाले संयंत्र काम करने लगेंगे, तैसे ही तैसे ही आत्म-निर्भरता प्राप्त करली जायेगी ।

फिर भी पूरी आत्म-निर्भरता तो तभी प्राप्त हो सकेगी, जबकि परमाणु बिजली संयंत्रों के पुर्जों के निर्माण में काम आने वाली स्टेनलैस और विशेष प्रकार का एलोय स्टील जैसे परम्परागत कच्चे माल का उत्पादन देश में होने लगेगा ।

छिपी हुई नागा सेना का सेनाध्यक्ष

1441. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वैदेशिक-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल जुहेतो हाल ही में छिपी हुई नागा सेना का सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि 1962–63 में जनरल जुहेतो ने शस्त्रास्त्र प्राप्त करने और सैनिक प्रशिक्षण लेने के उद्देश्य से पाकिस्तान जाने के लिए नागाओं के जत्थों का नेतृत्व किया था; और

(ग) क्या सरकार उसकी नई नियुक्ति को कोई असाधारण महत्व की घटना मानती है ?

वैदेशिक-कार्य-मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारत सरकार ऐसी किसी अनधिकृत रैंक के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती ।

(ख) सरकार के पास छिपे सशस्त्र नागा कर्मचारियों के बारे में सुलभ सूचना गोपनीय तथा अन्य साधनों से प्राप्त होती है। इसलिए, ऐसी सूचना को बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा ।

(ग) गैर-कानूनी छिपे नागाओं के ओहदों में परिवर्तन होने से भारत सरकार की उस नीति में कोई फर्क नहीं पड़ता जिसपर भारत सरकार इस समस्या के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए चल रही है ।

भूतपूर्व सैनिकों का महंगाई भत्ता

1442. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों के महंगाई भत्ते में कोई वृद्धि करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) भूतपूर्व सैनिकों को कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता। कुछ ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें कमपेन्शन मिलती है, केन्द्रीय सरकारी असैनिक पेन्शन पाने वाले लोगों पर लागू होने वाली दरों पर ही पेन्शन में अस्थाई और या तदर्थ वृद्धि प्राप्त करते हैं। केवल भूतपूर्व सैनिकों के ही मामले में इन दरों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत और चीन के बीच डाक का आदान-प्रदान

1443. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के अधिकारियों ने नाथला के तिब्बत की ओर वाले उस स्थान को अपने आप ही बदल दिया है जहां भारतीय हरकारे तथा चीन के डाक विभाग के कर्मचारी 1960 से लेकर सप्ताह में दो बार डाक का आदान-प्रदान किया करते थे ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) : जी हां ।

(ख) : चीनियों का कहना है कि डाक थैलों के विनिमय का स्थान चुम्बी थांग से नाथूला बदल देने से भारतीय डाकिए के सफर का फासला कम हो गया है ।

(ग) : चीन सरकार की कार्रवाई के इकतरफा होने की बात उनके ध्यान में लाई गई है ।

Film on "Dr. Zhivago"

1444. Shri Atal Behari Vajpayee :
Shri Balraj Madhok :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Ministry of External Affairs had first raised objections to 35 portions of the film "Dr. Zhivago" but later on it was satisfied on the exclusion of only five portions;

(b) whether the attention of Government has been drawn to the statement of the producer-Director, Mr. David Lean, that censor objections were "more political in nature than moral"; and

(c) if so, the reaction of the Government there to ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) The total number of objections raised by the Ministry of External Affairs was 35, but later on it was satisfied with 10 deletions which were reconsidered in the light of the explanation given by Mr. David Lean.

(b) Yes, Sir.

(c) In fact, some of the cuts were agreed to by Mr. David Lean with or without variations. We do not consider it desirable to raise a controversy over this issue.

नेशनल एसोसिएशन आफ इंडिया

1445. डा० कर्णीसिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि असैनिक राष्ट्रीय निशाने बाजी प्रतियोगिताएं हर वर्ष आयोजित होती हैं और इस बात को भी ध्यान में रखते हुये कि सरकार नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया को अपने चांदमारी क्षेत्रों के निर्माण करने के लिये भूमि का नियतन नहीं कर सकी है, जिसके परिणाम स्वरूप नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया अपनी प्रतियोगिताएं केवल तभी आयोजित कर सकती है जब उस सेना के चांदमारी क्षेत्र इस कार्य के लिये उपलब्ध होते हैं; क्या सरकार इस बात का विचार करेगी कि एरिया कमाण्डर को इस आशय के स्थायी अनुदेश दे दिये जाएं कि जब कभी नेशनल राइफल्स

एसोसिएशन आफ इंडिया अपनी प्रतियोगिताएं आयोजित करने के सम्बन्ध में उससे प्रार्थना करे तो वह सेना के चांदमारी क्षेत्रों में इस कार्य के लिये सुविधाएं प्रदान करे; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) और (ख) कुछ शर्तों पर राइफल क्लबें सेना के चांदमारी क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में पहले से ही हिदायतें मौजूद हैं। जहां तक तम्बुओं या कार्मिकों सम्बन्धी अतिरिक्त सुविधाओं को देने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में निवेदन प्राप्त होने पर विशेष अनुमति दी जाती है। सरकार यह आशा करती है कि एक समयावधि के बाद नेशनल राइफल एसोसिएशन को कम से कम इन अतिरिक्त सुविधाओं के सम्बन्ध में आत्म निर्भर हो जाना चाहिए।

Mobile Radars

1446. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Defence** be pleased to **state :**

(a) whether it is a fact that India does not possess any Mobile Radar; and

(b) if so, the arrangements made by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Radio Artistes

1447. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri R. S. Vidyarthi :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Madhu Limaye :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that radio artistes are employed on daily basis and not on permanent basis in All India Radio;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government have received any representation from them in this regard; and

(d) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) For the various kinds of programmes broadcast, AIR needs the services of talented artists and performers. Where a person is required to broadcast a specific item such as a musical recital or a talk etc., he or she is engaged on a programme contract which specifies the particular programme for which his or her services are required and stipulates the fee that is to be paid for such services. In such cases, there is no question of the person being employed on daily basis or monthly basis. Where the services of a particular artist are required frequently or continuously, the person is engaged as a Staff Artist. They are not regular Government servants and are engaged on contract, the normal tenure of which is generally five years. Where the need is for a shorter duration, the engagement is for the specific period required in each case. Occasionally, to meet short-term requirements, or to try out persons, they are engaged

on month to month contract. Where the need is for periods even shorter than a month, persons are engaged for the duration for which their services are required and are paid fees on prorata basis, on the total fee and allowances admissible to Staff Artists of the same category. Since Staff Artists or artists engaged on casual contract are not regular Government servants, the question of their being employed on permanent basis does not arise.

(c) The A. I. R. Staff Artists' Association recently represented that the service on casual basis followed by engagement of the Artists concerned on a regular contract should be treated as on regular contract from the beginning.

(d) The matter is under consideration.

खेलकूद तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय

1448. श्री जार्ज फरनेन्डीज : श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया : श्री एस० एम० जोशी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेलकूद तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय की स्थापना के लिये देश के विभिन्न खेलकूद निकायों से अभ्यावेदन आये हैं; और

(ख) क्या उनका विचार ऐसे मन्त्रालय की स्थापना करने का है ?

प्रधान मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आणविक क्षेत्र में नवीन आविष्कार

1449. **श्री नी० श्रीकान्तन नायर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूट्रोन विस्फोट के द्वारा थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलने तथा प्ल्यूटोनियम को रिएक्टर ईंधन का रूप देने के सम्बन्ध में आणविक क्षेत्र में किये गये नवीन आविष्कारों के परिणामों के बारे में क्या सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या तेज रिएक्टरों के सम्बन्ध में सरकार का रूस से तकनीकी सहयोग प्राप्त करने का विचार है ?

अणु शक्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरूपद स्वामी) : (क) जी, हाँ।

(ख) तीव्र रिएक्टरों के क्षेत्र में रूस ने बड़ी खोज की है। अणु शक्ति सम्बन्धी विद्यमान सहयोग करार के अन्तर्गत हम रूस में किये गये अनुसंधान कार्य से वैसे ही लाभ उठाने की आशा करते हैं, जैसे उन अन्य देशों से हम लाभ उठा रहे हैं जिनके साथ इसी प्रकार के करार किये हुए हैं ।

चीन-सिक्किम सीमा के बारे में चीन द्वारा विरोध

1450. श्री न० कु० सांघी : श्री रामसिंह आयरवाल :
श्री भारत सिंह : श्री राम चन्द्र वीरप्पा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन सरकार ने एक विरोधपत्र भेजा है जिसमें यह बताया गया है कि भारतीय सैनिकों ने चीन की ओर चीन-सिक्किम सीमा पर पत्थर के खम्भे बना लिये हैं।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय सैनिकों ने हाल में तिब्बत-सिक्किम सीमा पर चीन की ओर कैला ला पर सात पत्थर के खम्भे बना लिए हैं और मणि खम्भा गिरा दिया है जो कि कैलू ला पर परम्परा-गत सीमा निशान समझा जाता था।

(ग) इन आरोपों की सावधानी पूर्वक जांच की गई है और वे झूठे पाए गए हैं। विरोध को अस्वीकार करते हुए एक उत्तर जल्दी ही भेज दिया जाएगा।

Emergency Commissioned Officers

1451. Shri Hukam Chand Kachwai :

Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government propose to grant permanent Commission to the Emergency Commissioned Officers;

(b) whether it is a fact that such officers who had obtained good marks and were placed in the merit list at the time of selection have now been found unfit for the grant of a permanent Commission;

(c) if so, the number of such officers;

(d) whether Government have any proposal to promote those persons who have shown bravery during the conflict and are senior; and

(e) if so, the number of such persons ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) There is a proposal to grant Permanent Commission to those Emergency Commissioned Officers who are otherwise eligible and are graded as fit for this by the Services Selection Boards. Permanent Commissions will be given to about 1/3rd of the total number of Emergency Commissioned Officers, releasing the rest, according to a phased programme, during 1967-1970. However, Emergency Commissioned Officers of the Army Medical and Remount Veterinary Corps will not be released.

(b) This is possible, as selection for Emergency Commission was based on lower standards whereas the norms of selection by Services Selection Boards for Permanent Commission are higher.

(c) The information is not available, as no such statistics have been maintained.

(d) Bravery is rewarded by various measures, viz., by means of decorations, mention in despatches, commendation cards and so on. The fact that an officer has been decorated is taken into consideration, alongwith other qualities while considering him for promotion to selected grades. The Emergency Commissioned Officers with gallantry awards will be given due consideration for grant of Permanent Commission.

(e) Information is not available as no such statistics have been maintained.

Sainik Schools

1452. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number and location of Sainik Schools in the country;

(b) the number of students receiving education therein; and

(c) the annual expenditure incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) There are 15 Sainik Schools in the country, located at Satara (Maharashtra), Kunjpura (Harayana) Balachadi (Gujarat), Kapurthala (Punjab), Chitorgarh (Rajasthan), Korukonda (Andhra Pradesh), Kazhakootam (Kerala), Purulia (West Bengal), Bhubaneswar (Orissa), Amaravathinagar (Madras), Rewa (Madhya Pradesh), Tiliaya (Bihar), Bijapur (Mysore), Goalpara (Assam) and Ghorakhal (Uttar Pradesh).

(b) 5887 (as on 31-3-1967).

(c) The Board of Governors of the Sainik Schools Society which runs these Schools has sanctioned a total budget of Rs. 96.43 lakhs for the year 1967 for the 15 Sainik Schools.

Appointment of Indian High Commissioner in London

1453. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Y. A. Prasad :
Shri Rama Chandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena
Shri Heerji Bhai :
Shri K. Pradhani :
Shri N. K. Sanghi :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 40 on the 27th March, 1967 and state :

(a) whether the appointment of the Indian High Commissioner in London has been made;

(b) if so, the period during which the office of the High Commissioner remained vacant; and

(c) the reasons for the delay in the said appointment ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir.

(b) The post of High Commissioner for India in London is vacant since 24-12-1966.

(c) The gentleman earlier selected for this office was not in a position to accept it, hence a new selection is under active consideration.

युद्ध संवाददाता

1454. श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री ब० कु० मोदक :**
श्री गरोश घोष : **श्री भगवान दास :**
श्री उमानाथ :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों तथा कैमरामैनों को युद्ध संवाददाताओं के रूप में तैनात करने के बारे में एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उम्मीदवारों के चुनाव की कसौटी क्या होगी; और

(ग) सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का ब्यौरा क्या है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) : जी हां।

(ख) : समाचार एजेन्सियों और विभिन्न भाषाओं के समाचार-पत्रों से आमंत्रित नामों में से चुनाव किया गया। जहां तक विभिन्न भाषाओं के समाचार-पत्रों का सम्बन्ध है उनके क्षेत्रीय फैलाव, साख् और प्रचार संख्या को ध्यान में रखा गया। पत्र-प्रतिनिधि उपयुक्त और सुविधाजनक टुकड़ियों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

(ग) : इस सूचना को देना जन हित में नहीं है।

हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल

1455. श्री हेमराज : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को देखते हुए इस राज्य में सैनिक स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव है कि हिमाचल प्रदेश में डोगरा जाति के लोग रहते हैं, जिनका मुख्य पेशा सेना में नौकरी करना है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्थायी कल्याण कार्यालय

1456. श्री हेमराज : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये राज्यों की राजधानियों में स्थायी कार्यालय स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरूप तथा कार्य क्या होंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए राज्यों में सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड स्थापित किए गए हैं ।

(ख) ये स्थायी निकाय हैं, जिनका काम अपने अधीन जिला सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्डों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना और उनका प्रशासन करना तथा राज्य में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए तथा सेवा कर रहे सैनिकों और दिवंगत सैनिक कर्मचारियों के परिवारों के लिए सामान्यरूप से उनके कल्याण के लिए अधिक प्रयास करना है ।

भारत–पाक समस्याओं पर गोष्ठी

1457. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत–पाक समस्याओं पर विचार करने के लिए गांधी अध्ययन दल द्वारा 1 मई, 1967 को एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के किसी अधिकारी ने इस चर्चा में भाग लिया था;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस गोष्ठी के आयोजन में किसी प्रकार की सहायता दी थी; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । लेकिन विदेश मंत्रालय के दो अधिकारियों ने प्रेक्षकों के रूप में उस गोष्ठी में भाग लिया ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

"नाइट" फिल्मों पर प्रतिबन्ध

1460. श्री बाबूराव पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 तक कितनी तथा कौन-कौन सी तथाकथित 'नाइट' फिल्मों पर जैसे "ओरिएन्ट बाई नाइट", "पैरिस बाई नाइट", "अमेरिका बाई नाइट" आदि फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ख) जब ये फिल्में पहली बार देश में मंगाई गई थीं तब किन-किन तारीखों को उनका सेंसर किया गया तथा उन्हें चलाने की अनुमति दी गई तथा प्रत्येक फिल्म देश में कितने-कितने समय तक चली;

(ग) प्रत्येक फिल्म की कितनी-कितनी कापियां देश में मंगाने की अनुमति दी गई तथा उन पर कितना शुल्क दिया गया;

(घ) इतनी लम्बी अवधि तक उन फ़िल्मों को चलाने देने के बाद उन पर प्रतिबन्ध लगाने से हमारे देश के लोगों को क्या खास सामाजिक लाभ हुआ है; और

(ङ) सेंसर अधिकारियों ने उस समय 'नाइट' फ़िल्मों पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया, जब वे पहली बार देश में मंगाई गई थीं तथा सेंसर के लिये उनके समक्ष पेश की गई थीं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) "बाई नाइट" श्रृंखला की 11 फ़िल्में 24 अप्रैल, 1967 से सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये अप्रमाणित कर दी गई हैं, इन फ़िल्मों के नाम, केन्द्रीय फ़िल्म सैन्सर बोर्ड द्वारा प्रमाणित करने की तारीख, आयात की गई प्रतियों की संख्या, उन पर दिया गया सीमा-शुल्क, इन सब के बारे में जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 517/67] प्रत्येक फ़िल्म कितने समय तक दिखाई गई, इसकी जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है । इन फ़िल्मों के प्रदर्शन के विरूद्ध जनता से काफी संख्या में शिकायतें मिलने पर, जो जांच करने पर उचित पाई गई चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अनुसार इन फ़िल्मों पर पुनर्विचार करना पड़ा ।

(ङ) केन्द्रीय फ़िल्म सेंसर बोर्ड को यह अधिकार था कि वह अपने विवेक में जिन हिस्सों को काटा जाना जरूरी समझे उनके काटे जाने के बाद इन फ़िल्मों को "ए" प्रमाण-पत्र देकर प्रदर्शन के लिए अनुमति दे दे ।

सैनिक स्कूल, भुवनेश्वर

1461. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर स्थित सैनिक स्कूल में घोर अव्यवस्था है;

(ख) क्या यह सच है कि वहां के विद्यार्थियों के अभिभावकों ने इस स्कूल की अव्यवस्था के बारे में कई शिकायतें की हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस स्कूल पर राज्य सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं; और

(घ) यदि हां, तो इस स्कूल के प्रबन्ध को सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) यद्यपि सरकार को लड़कों के माता-पिताओं से स्कूल की प्रबन्ध व्यवस्था के प्रति किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है, फिर भी उड़ीसा के समाचार पत्रों में स्कूल के चलाए जाने के तरीकों के विरूद्ध विभिन्न शिकायतें देखने में आई हैं । उन शिकायतों की जांच की गई और उन्हें सामान्यरूप से बेबुनियाद पाया गया ।

(ग) तथा (घ) : सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे सैनिक स्कूलों की योजना के अधीन, राज्य सरकार के प्रतिनिधि प्रशासन के स्थानीय बोर्ड और बोर्ड आफ गवर्नरस् में शामिल रहते हैं और इस प्रकार स्कूल की प्रबन्ध व्यवस्था के सम्बन्ध में राज्य सरकार को केवल अपने विचार व्यक्त करने का अवसर ही नहीं मिलता अपितु उस सम्बन्ध में जो निर्णय लिए जाते हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।

विदेशों में भेजे गये प्रतिरक्षा अधिकारी

1462. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो महीनों में प्रतिरक्षा सेनाओं से कितने अधिकारी विदेश भेजे गये; ौर

(ख) वे किन–किन देशों को भेजे गये ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखदी जाएगी।

विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के प्रमुख

1463. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो महीनों में किन विदेशों में भारतीय दूतावास के प्रमुखों के पदों पर नियुक्तियां की गईं; और

(ख) अभी तक किन–किन विदेशों में ये पद रिक्त हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) नीचे ऐसे देशों की सूची दी गई है जहां पिछले दो महीनों में नए मिशन प्रमुख भेजे गए हैं ?

1. रूमानिया	—बुखारेस्ट
2. डेनमार्क	—कोपनहागन
3. मलयेशिया	—कुआला लम्पुर
4. थाइदेश	—बंगकोक
5. ईरान	—तेहरान

(ख) : तुर्की, कुवाइत, पोलैंड, हिंदेशिया, सेनेगल, सीरिया, मारिशस और नाइजीरिया में मिशन प्रमुखों के पदों के लिए चुनाव कर लिया गया है और संबद्ध मिशन प्रमुख इन

देशों में जल्दी ही अपने पदों का कार्यभार संभाल लेंगे; मारीशस इसका अपवाद है क्योंकि वहां पर मिशन प्रमुख पहले ही काम कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम और आस्ट्रेलिया में मिशन के प्रमुख चुनाव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष में घायल सैनिक

1464. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में घायल हुए कुल कितने सैनिकों को प्रशिक्षण तथा पुनः रोजगार देने के लिये विभिन्न व्यावसायिक चिकित्सा केन्द्रों में दाखिल किया गया है और जिनके लिये केन्द्रीय सरकार ने अनुदान दिये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : इस समय 12 घायल सैनिकों का विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में इलाज हो रहा है, जिनके नाम इस प्रकार हैं—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं, क्वीन मेरी टेक्निकल स्कूल, ब्लाइन्ड, देहरादून ।

लगभग 240 घायल सैनिकों की, जो अभी सैनिक अस्पताल में हैं, जहां आवश्यक होता है भौतिक चिकित्सा की जा रही है। ऐसे सैनिकों की भौतिक चिकित्सा और बहलाव चिकित्सा व्यवस्था के लिए जिन्हें कि अपनी डाक्टरी चिकित्सा के बाद इनकी आवश्यकता पड़ती है, एक अलग डाक्टरी पुनः स्थापन केन्द्र स्थापित किया गया है।

डाक्टरी पुनः स्थापन केन्द्र और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में जितना समय इन लोगों का बीतता है वह जवानों के मामले में तो 'डयूटी' की रूप में समझा जाता है और अफसरों के मामले में "डाक्टरी छुट्टी" के रूप में समझा जाता है, इसके अतिरिक्त उन्हें और कोई सरकारी अनुदान नहीं दिया जाता है।

प्रतिरक्षा प्रशिक्षण संस्थाएं

1465. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में देश में कितनी प्रतिरक्षा प्रशिक्षण संस्थाएं खोलने का विचार है; और

(ख) इसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) कुछ नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारी पानी संयंत्र

1466. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ख० प्रधानी :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना काल में देश में भारी पानी तैयार करने का कोई संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

अणु शक्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपद स्वामी) : (क) और (ख) यह निश्चय किया गया है कि 200 मीटरी टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला एक हैवी वाटर प्लांट लगाया जाये। इस संयत्र की स्थापना कहां की जाये, इस बात पर अभी सरकार विचार कर रही है।

पूना में भारतीय फ़िल्म संस्था

1467. श्री मोहसिन :
श्री नाघनूर :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) पूना स्थित भारतीय फ़िल्म संस्था पर प्रति वर्ष कितना आवर्ती तथा अनावर्ती खर्च होता है;

(ख) इस संस्था में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है;

(ग) इस संस्था में कितने विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं तथा उसमें कौन-कौन से पाठ्यक्रम हैं;

(घ) इस संस्था में कितने कर्मचारी हैं; और

(ङ) प्रत्येक कर्मचारी पर कितना खर्च होता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 1966–67 में भारतीय फ़िल्म संस्थान, पूना का खर्चा इस प्रकार था :—

आवर्ती	–	11.92 लाख रुपये
अनावर्ती	–	3.00 लाख रुपये

(ख) 1960 में स्थापना के समय से भारतीय फिल्म संस्थान, पूना का कुल खर्चा 77,50,720 रुपये हुआ।

(ग) 1966–67 के शिक्षा-सत्र में 124 विद्यार्थी संस्थान में अध्ययन कर रहे थे। विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है :—

(1)	पट-कथा लेखन	—	9
(2)	निर्देशन	—	15
(3)	मोशन पिक्चर फोटोग्राफी	—	30
(4)	साउण्ड रिकार्डिंग व साउण्ड इन्जीनियरी	—	26
(5)	फ़िल्म सम्पादन	—	21
(6)	फ़िल्म अभिनय	—	23
		कुल	124

(घ) 175

(ङ) पिछले पांच वर्षों में प्रति विद्यार्थी औसत वार्षिक खर्चा 9,679 रुपये था।

तुलिहाल हवाई अड्डा

1468. श्री मेघचन्द्र : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में तुलिहाल हवाई अड्डे के विस्तार के लिये भूमि का अर्जन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस विस्तार के कारण कितने परिवारों को हटाना पड़ेगा और अर्जित की जाने वाली भूमि में से कितनी भूमि में खेती होती है; और

(ग) क्या हवाई अड्डे के इस विस्तार से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को प्रतिकर के रूप में दूसरी भूमि दी जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) भूमि के अधिगृहण से लगभग 75 परिवारों को हटाना पड़ेगा। इस क्षेत्र में लगभग 170 एकड़ खेतिहर भूमि है।

(ग) जी नहीं। प्रभावित व्यक्तियों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नकद मुआवजा दिया जाएगा।

पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन

1469. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री काशीनाथ पाण्डे :
श्री धीरेन्द्रनाथ :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 मई, 1967 को एक जेट विमान पूर्वी पाकिस्तान के गोगा की ओर से वरास्ता जोडाँगा सीमा की बाहरी चौकी होकर भारतीय राज्य क्षेत्र में घुस आया था;

(ख) क्या इस घटना के बारे में कोई जाँच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 7 मई 1967 को 1810 घंटे के करीब पाकिस्तानी विमान ने पश्चिमी बंगाल में वानगांव के पूर्व में एक जगह से भारतीय वायु सीमा में प्रवेश किया और फिर उत्तर दिशा की ओर मुड़ कर पाकिस्तानी प्रदेश में पुनः प्रवेश किया। यह विमान भारतीय प्रदेश में लगभग 8 समुद्री मील तक अन्दर आया।

(ख) 16 मई 1967 को पाकिस्तान सरकार को एक विरोध पत्र भेजा गया।

(ग) पाकिस्तान सरकार के उत्तर की प्रतिक्षा की जा रही है।

पुर्नानवासन निदेशालय

1470 श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री मुहम्मद इमाम : **श्री गार्डलिंगन गौड :**

क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के पुर्नानिवासन निदेशालय ने आपातकालीन कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों के लिये जिन्हें सेवा से मुक्त करने के नोटिस दिये गये हैं, अन्य रोजगार दिलाने की जो व्यवस्था की है उसका व्यौरा क्या है; और

(ख) क्या पुर्नानिवासन निदेशालय के असंतोषजनक कार्य के बारे में शिकायतें मिली है ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) पुनः स्थापन निदेशालय सम्भाव्य नियोक्ताओं और भूतपूर्व एमरजेंसी कमीशंड अफसरों के मध्य केवल एक सम्पर्क कार्यालय के रूप में काम करता है। इसका काम सम्भाव्य नियोक्ताओं को अपने कार्यालयों में रिक्त स्थानों की पूर्ति में एमरजेंसी कमीशंड अफसरों को प्राथमिकता दिलाने के लिए कहना है। हां ऐसे रिक्त स्थानों के लिए किसी प्रकार का नियुक्ति आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं और विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं के प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के पदों में उन स्थाई जगहों का कुछ प्रतिशत आरक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं, जो कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा और या इन्टरव्यू के आधार पर भरे जाते हैं और जिनके लिए देश भर के सभी महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। यह काम प्रत्येक अफसर का अपना है कि वह ऐसे विज्ञापनों को देखे और जिन पदों के लिए वे योग्य हों, उनके लिए आवेदन पत्र भेजें।

बहुत से राज्य सरकारों ने भी आपात्कालीन कमीशंड अफसरों के लिए अपनी सर्विस में रिक्त स्थानों का कुछ प्रतिशत आरक्षित करने के लिए आदेश जारी किए हुए हैं इन रिक्त

स्थानों के लिए विज्ञापन प्रकाशित होने पर आपातकालीन कमीशंड अफसरों को स्वंय उपयुक्त प्राधिकारी को आवेदन पत्र भेजना होता है ।

जहां तक सरकारी संस्थाओं और निजी फर्मों का प्रश्न है, आपातकालीन कमीशंड अफसर सम्बन्धित प्राधिकारी को खाली जगहों के लिए सीधे आवेदन पत्र भेज सकते हैं और उसकी एक प्रति पुनः स्थापना महानिदेशक को भेजनी होती है जो अपनी ओर से यह देखेगा कि भर्ती के समय आपातकालीन कमीशंड अफसरों को प्राथमिकता दी जाय । रक्षा मंत्रालय ने गैर सरकारी क्षेत्र में बहुत से उद्योगपत्तियों को लिखा है कि वे अपने यहां यथासम्भव अधिक से अधिक आपात्कालीन कमीशंड अफसरों को खपाने का प्रयत्न करें । आपात्कालीन कमीशंड अफसरों की सुविधा के लिए पुनः स्थापन निदेशालय एक सामयिक पत्रिका जारी करता रहेगा जिसमें, उन्हें बताए गए सभी रिक्त स्थानों के विवरण उन आपात्कालीन कमीशंड अफसरों की सूचना के लिए होंगे जो कि सेना से विमुक्त होने वाले हैं या विमुक्त हो चुके हैं । अभी तक पुनः स्थापन निदेशाल को निम्न रिक्त स्थानों की रिपोर्ट दी गई है उनका विवरण संलग्न है । **[पुस्कालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 518/66]**

(ख) पुन : स्थापन निदेशालय के विरुद्ध कोई ऐसी शिकायत सरकार को नहीं मिली है जिसमें यह कहा गया हो कि उसका काम असन्तोषजनक है ।

Satellite Communications Centre Near Ahmedabad

1472. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether an experimental satellite communications centre near Ahmedabad has been set up and started functioning ;

(b) if so, when; and

(c) the expenditure likely to be incurred thereon ?

The Minister of State in the Department of Atomic Energy (Shri M. S. Gurupada swamy) (a) and (b)] Not yet, Sir. The Centre is in the process of being established and is scheduled to start functioning by August 1967.

(c) The Centre is being established with financial and technical assistance provided by the U. N. Special Fund which is contributing : 625,000 towards the project. The Government's share of capital expenditure on civil works, additional equipment, etc., upto the end of the Fourth Five Year Plan period is expected to be about Rs. 97.50 lakhs, which is exclusive of the cost of land valued at Rs. 22.00 lakhs approximately donated by the Gujarat Government.

समुद्री डीज़ल इंजनों का निर्माण

1473 श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत में समुद्री डीज़ल इंजनों के निर्माण की एक परियोजना की स्वीकृति प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) इस परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां

(ख) 31 मार्च 1967

(ग) इस परियोजना पर लगभग 363 लाख रुपए का अनुमानित पूंजिगत व्यय होगा।

चीन का भारत-विरोधी प्रचार

1474 श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मीठा लाल :
श्री आत्म दास :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारत विरोधी प्रचार तथा भारत में विध्वंसात्मक गति-विधियां तेज कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो गतिविधियों का मुकाबला करने के लिये क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां

(ख) सरकार चीनी खतरे की ओर से पूरी तरह सजग हैं तथा अपनी राष्ट्रीय रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

Cultural or Trade Agreement with Israel

1475. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state ;

(a) whether India has entered into any cultural or trade agreement with Israel ;

(b) whether Israel had offered to formulate a pipeline irrigation scheme for converting Rajasthan desert into a green land sometime back;

(c) if so, the reasons, for which Government did not agree to that , and

(d) the steps taken to safeguard India's interests in Israel at present ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir.

(b) and (c) In 1963, the Government of Israel, in contravention of prescribed channels, made direct offer to the Government of Rajasthan for assistance in the field of irrigation and agriculture. As the prescribed procedure had not been observed the proposal was not pursued.

(d) Indian consular interests are at present being looked after by the British Embassy in Tel Aviv.

Self-Sufficiency in T. V. Equipment

1476. Shri Maharaj singh Bharati : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the time by which India would be self-sufficient in regard to all the television equipment required right from the transmission stage up to the manufacture of receiving sets so that foreign exchange is not incurred on imports; and

(b) the amount of Indian currency and foreign exchange likely to be incurred on the establishment of the said industry keeping in view the needs of the entire country ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (b)

TV Transmission equipment

TV Transmission has been set up at Delhi only so far using foreign equipment. The proposals for indigenous manufacture of TV Transmission and studio equipment have not yet been finalised.

TV Receiving Sets

Two companies have been licensed each for manufacture of 10,000 TV receivers a year utilising indigenous technical knowhow developed by Central Electronic Engineering Research Institute, Pilani. The capital cost to be incurred by the two companies would be in the neighbourhood of 50 lakhs of which foreign exchange would be Rs. 20 lakhs.

The foreign exchange needed for each TV receiver would in the beginning be about Rs. 223/- which will come down to Rs. 40 or so per receiver in the 5th year as the imported components are gradually produced indigenously.

One of the important imported components used in the receiver viz. the TV Picture Tube is likely to be manufactured indigenously and this would be mainly instrumental in reducing the cost of imported components per TV receiver.

Manufacture of Submarines

1477. **Shri Maharaj Singh Bharati** : will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme to manufacture submarines in the country ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether in relation to their nuclear policy, Government have taken the decision not to manufacture atomic submarines for defence purpose; and

(d) whether it is a fact that the cost of production of the atomic submarines is more than that of others but the maintenance cost is comparatively less and their performance is far better ?

The Minister of State in The Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise

(c) No such decision has been taken

(d) According to information available with us, the cost of production and the running cost of nuclear submarines is higher than that of conventional submarines and the performance of nuclear submarines is much superior.

Gun and Shell Factory, Cossipore

1478. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri C. K. Bhattacharyya :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that twenty persons were injured in a clash in the Gun and Shell Factory at Cossipore, Calcutta on the 10th May, 1967;

(b) if so, the cause of the clash; and

(c) the loss of life and property suffered as a result thereof ?

The Minister of state in the Ministery of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (c) It is a fact that there was a clash on 10-5-1967. A Fact-Finding Board has been convened under the Chairmanship of a senior officer of the Directorate General of Ordinance Factories. There has been no loss of life, but there has been some damage to property and injuries to individuals. The details are expected to be available after the report of the Fact-Finding Board is received.

छावनियों का पुनर्गठन

1479. श्री नाघनूर :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1924 के छावनी अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है;

(ग) क्या छावनियों के पुनर्गठन के बारे में श्री एस० के० पाटिल की अध्यक्षता में बनाई गई समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर विशेषकर छावनियों में जायदादों के असैनिक (सिविलियन) स्वामियों को राहत देने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) छावनी अधिनियम 1924 को, अन्य बातों के साथ सरकारी नीति के निर्देशित सिद्धान्तों के अनुसार अनिवार्य और निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था चालू करने; सैनिक स्टेशनों के रूप में छावनियों की प्रकृति के अनुसार छावनी प्रशासन को और अधिक लोकतन्त्रीय रूप देने; जिन स्थानों में भारतीय नौसेना के कार्यालय हैं। वहां इस अधिनियम को लागू करने की अनुमति देने; अदालती निर्णयों के फलस्वरूप इस अधिनियम की कुछ व्यवस्थाओं की खामियों को दूर करने; और इस अधिनियम के अनुसार कार्य करने में अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने; की दृष्टि से संशोधित करने का विचार है।

(ग) जी हां। ऐसी एक रिपोर्ट 1951 में प्राप्त हुई थी।

(घ) समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई हैं :

(1) छावनी क्षेत्रों के कुछ भाग उनकी सीमाओं से निकाल दिए गए हैं और उन्हें पास की नगरपालिकाओं के साथ मिला दिया गया है;

(2) छावनी चुनाव नियमों को संशोधित किया गया है;

(3) 1957 में यह निर्णय लिया गया था कि भूमि देने की पुरानी शर्तों पर छावनियों में भूमि धारित व्यक्तियों को कुछ शर्तों पर स्वतंत्र रूप से उस भूमि को अपने पास रखने का अधिकार दिया जाय। देश में समाजवाद स्थापित करने की आवश्यकता के संदर्भ में और 1962 में आपातकालीन स्थिति की घोषणा के फलस्वरूप छावनियों में भूमि के सम्बन्ध में बढ़ती हुई रक्षा आवश्यकताओं के संदर्भ में, इस मामले पर अब विचार किया जा रहा है।

राजस्थान का परमाणु बिजली घर

1480. श्री काशीनाथ पाण्डे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के परमाणु बिजली घर में लगाये जाने वाले परमाणु बिजली घर रिएक्टर के दूसरे यूनिट के लिये कनाडा द्वारा कितने धन की व्यवस्था की जा रही है ?

अणु शक्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरूपद स्वामी) : कनाडा राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना के दूसरे यूनिट के लिये अपने एक्सपोर्ट करेडिट इन्स्योरेन्स कार्पोरेशन के माध्यम से 385 लाख कनाडा के डालरों का ऋण दे रहा है।

ईसाई लोकतन्त्रीय गणराज्य की स्थापना का आन्दोलन

1481. श्री मु० कु० तापड़िया :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 मई, 1967 के इन्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि बर्मा, नागालैंड, मनीपुर और आसाम के उन क्षेत्रों को, जहां पर नागा लोग रहते हैं, मिलाकर एक "ईसाई लोकतन्त्रीय गणराज्य" स्थापित करने के लिए उत्तरी बर्मा के कोचीन राज्य में एक आन्दोलन आरम्भ कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) जी हां। चूंकि यह मामला किसी दूसरे देश में होने वाली किन्हीं घटनाओं से संबंध है, इसलिए भारत सरकार को कुछ नहीं कहना है। जहां तक नागालैंड, मणिपुर, नेफा और आसाम के उन इलाकों का संबंध है, जहां नागालोग रहते हैं, ये इलाके भारत के अभिन्न अंग हैं और भारत सरकार ऐसी कोई कार्रवाई करने की इजाजत नहीं देगी जो संविधान की परिधि से बाहर पड़ती हो।

जनरल कोंग ली की वीसा के लिए अर्जी

1483. श्री म० ला० सोंधी : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनरल कोंग ली से वीसा के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या यह सच है कि जनरल कोंग ली 1964 में सरकारी अतिथि के रूप में भारत आये थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) औपचारिक रूप से कोई प्रार्थना-पत्र नहीं मिला लेकिन उन्होंने हाँगकाँग में हमारे कमिश्नर से जबानी अनुरोध किया था और तार के जरिये अनुरोध भेजा था।

(ख) पता चला है कि वह अब फिलिपीन पहले जा रहे हैं। फिलिपीन की यात्रा करने के बाद अगर वह भारत आना चाहते हैं तो हम उनकी प्रार्थना पर विचार करेंगे।

(ग) जनरल कोंग ली 1963 में भारत सरकार के अतिथि के रूप में भारत आए थे।

पख्तूनों का सामूहिक नरसंहार

1484. श्री म० ला० सोंधी : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का विचार पाकिस्तानियों द्वारा किये जा रहे पख्तूनों के सामूहिक नरसंहार के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो सामूहिक नरसंहार के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए भारत को विशिष्ठ नीति क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

धारवाड़ आकाशवाणी केन्द्र के कलाकार

1485. श्री अगाड़ी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान धारवाड़ में आकाशवाणी की स्थानीय समिति द्वारा आकाशवाणी के कलाकारों के साथ किये जा रहे पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा साम्प्रदायिक भेदभाव के बारे में मैसूर राज्य में हुबली से प्रकाशित होने वाले एक प्रमुख कन्नड़ साप्ताहिक पत्र प्रपंच दिनांक 14 मई, 1967 में प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) सलाहकार समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(घ) सलाहकार समिति का गठन किस आधार पर किया जाता है; और

(ङ) सलाहकार समिति के गठन करने का अधिकार किसको है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं है, क्योंकि लेख में लगाए गए आरोप बिना किसी आधार के हैं।

(ग) माननीय सदस्य स्पष्टतया स्थानीय स्वर परीक्षा समिति के बारे में पूछ रहे हैं; आकाशवाणी के धारवाड़ केन्द्र से संलग्न इस समिति के गैर-सरकारी सदस्य ये हैं :--

1. श्री बी० जी० अंगदी
2. श्री वी० एच० इनामदार
3. श्री एस० एस० तुप्पड़
4. श्री एस० बी० भिडींकर
5. श्री वी० वे० कोरगांवकर
6. श्री डी० बी० पाठक

(घ) स्थानीय स्वर परीक्षा समिति के सदस्य संगीत में उनकी जानकारी के आधार पर चुने जाते हैं।

(ङ) महानिदेशक, आकाशवाणी।

भारतीय वायु सेना के डकोटा विमान की दुर्घटना

1486. श्री काशीनाथ पाण्डे : क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भरातीय वायुसेना का एक डकोटा विमान 5 मई, 1967 को खासी तथा जैन्तियां पहाड़ी जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां। वह विमान कुम्भीग्राम के उत्तर-पश्चिम में लगभग 35 मील दूर शेरपाई क्षेत्र के उत्तर में पहाड़ियों में ध्वंस हुआ था।

(ख) वह विमान कुम्भीग्राम और गोहाटी के बीच संदेशहर उड़ान पर था। 1000 घंटों के बाद विमान से सम्पर्क समाप्त हो गया था और तब शीघ्र ही उसकी खोज शुरू हो गई। विमान के ध्वंसावशेष 7 मई, 1967 को शेरपाई क्षेत्र के उत्तर में पहाड़ियों पर दिखाई दिए। विमान में 14 व्यक्ति थे जिनमें हवाई कर्मी बेड़े के 4 सदस्य भी शामिल थे। वे सब के सब दुर्घटना में मारे गए। विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इस दुर्घटना की जांच के लिए एक जांच अदालत का आदेश दिया गया। इस सम्बन्ध में और अधिक विवरण जांच अदालत की पूरी कार्यवाहियों के बाद ही मालूम होंगे।

वैलिंगटन छावनी

1487. श्री नंजा गोडर : क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीलगिरी जिले (मद्रास राज्य) में जिस भूमि पर वैलिंगटन छावनी है, क्या वह 99 वर्ष के पट्टे पर है;

(ख) यदि हां, तो पट्टे की शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या ग्रामिणों को भूमि के बदले भूमि के आधार पर समुचित प्रतिकर के दावे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) सन् 1850 में या उसके करीब वैलिंगटन छावनी में 796.96 एकड़ भूमि, लगातार उपयोग के

लिए 650 रुपये की इकमुश्त धनराशि की अदायगी पर और 165 रुपए प्रति वर्ष की वार्षिक अदायगी पर, ली गई थी।

(ग) : मद्रास में नीलगिरी जिले के जगथला गांव के कुछ निवासियों से वैलिंगटन छावनी में उस भूमि को वापस लेने के लिए प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें उन्होंने यह दावा किया था कि यह भूमि उनके पूर्वजों से 100 वर्ष के लिए पट्टे पर ली गई थी, इसके विकल्प में उन्होंने यह निवेदन किया कि इस भूमि की आज के मूल्य पर उन्हें कीमत दे दी जाय अथवा उसके स्थान पर और भूमि दे दी जाय। इस दावे पर विचार किया गया और भूमि के मालिकों को प्रतिवर्ष दी जाने वाली 165 रुपये की धनराशि के स्थान पर 4743.75 रुपये की इकमुश्त धनराशि उन लोगों को देने की पेशकस की गई जो कि प्रभावित थे। उन व्यक्तियों ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और सरकार के विरूद्ध मुकदमा दायर कर दिया, जिसका कि सरकार प्रतिवाद कर रही है, मामला न्यायाधीन है।

सऊदी अरब में भारतीय औद्योगिक संस्थान

1488. श्री य० अ० प्रसाद : **श्री ना० स्व० शर्मा :**
श्री न० कु० सांधी : **श्री वेदव्रत बरुआ :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सऊदी अरब में औद्योगिक संस्थानों से भारतीयों को हटाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रश्न पर सऊदी अरब सरकार के साथ बातचीत की है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) सऊदी अरब सरकार और प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले कुछ भारतीय कर्मचारियों को हाल में हटा दिया गया। यह संदेह था कि ऐसा भारतीयों को रोजगार देने पर रोक के अनुसार किया गया था। इसलिए, इस मामले को सऊदी अरब सरकार के साथ उठाया गया लेकिन उन्होंने इस तरह की किसी पाबंदी से इन्कार किया है।

भारत और चीन में फिर से राजदूतों की नियुक्तियाँ

1489. श्री दी० चं० शर्मा : **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री मधु लिमये : **श्री बलराज मधोक :**
श्री नायनार : **श्री श्रीचन्द्र गोयल :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि चीन सरकार सीमा विवाद पर फिर से अर्थपूर्ण वार्ता करने के लिए तैयार हो तो क्या सरकार भारत और चीन में फिर से राजदूत नियुक्त करने की इच्छुक है;

(ख) क्या इस बारे में चीन की सरकार की प्रतिक्रिया का पता लगा लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारत सरकार चीन के साथ सीमा विवाद पर अर्थपूर्ण बातचीत करने के लिए हमेशा से तैयार रही है; लेकिन दुर्भाग्य से पीकिंग की ओर से अभी ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वह भारत के साथ मामला तय करने को राजी हो। इसलिए, भारत सरकार का ख्याल है कि नए सिरे से राजदूतों की नियुक्ति के सुझाव से अभी कोई लाभ नहीं होगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापन

1490. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञापन तथा प्रचार निदेशालय उन समाचारपत्रों व दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र-पत्रिकाओं की एक सूची रखता है जिन्हें सरकारी विज्ञापन दिये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में इन श्रेणियों के समाचारपत्रों को अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में अलग अलग कितने विज्ञापन दिये जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय उन सब नियमित समाचार-पत्रों व पत्रिकाओं के बारे में आवश्यक ब्यौरों का रिकार्ड रखता है जो सरकार से विज्ञापन मांगते हैं। इस सूचना का विशिष्ट विज्ञापनों को देने के लिए समाचार-पत्रों को चुनने में उपयोग किया जाता है।

(ख) सजावटी विज्ञापनों के बारे में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 519/67]** वर्गीकृत विज्ञापनों के बारे में ऐसी ही सूचना संकलित की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

बड़े समाचार पत्रों को रियायतें

1491. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं को कच्चा माल, अखबारी कागज़ आदि प्राप्त करने के मामले में केन्द्रीय सरकार से बहुत अधिक रियायतें मिलती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि समाचार पत्रों आदि के लिये नियत अखबारी कागज़ तथा मशीनों के कुल अलाटमेंट में से 80 प्रतिशत तो 26 बड़े व्यापारियों को दिया जाता है तथा शेष 20 प्रतिशत ही भारत के शेष समाचारपत्रों को दिया जाता है; और

(ग) गत बारह महीनों में 5 लाख रुपये और उससे अधिक मूल्य के आयात लाइसेंस प्राप्त करने वाले समाचारपत्रों के मालिकों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) 26 बड़े समाचार पत्रों को 1966–67 के कुल की अलाटमेंट में से 60.9 प्रतिशत अखबारी कागज़ और 65.1 प्रतिशत छपाई मशीनें मिली।

(ग) 1966–67 में जिन समाचार पत्रों के मालिकों को अखबारी कागज़ और छपाई मशीनों के लिये 5 लाख रुपये से अधिक के लाइसेन्स जारी किये गये, उनके नाम नीचे दिये गये हैं :

अखबारी कागज़ के लिये

1. आनन्द बाजार पत्रिका, प्रा० लि०, कलकत्ता।
2. हिन्दुस्तान टाइम्स लि०, नई दिल्ली।
3. इन्डियन एक्सप्रेस लि०, न्यूजपेपर्ज (बम्बई) लि०, बम्बई।
4. इन्डियन एक्सप्रेस (मदुरई) लि०, मदुरई।
5. आंध्र प्रभा लि०, विजयवाड़ा।
6. बेनैट कालमैनएण्ड कं० लि०, बम्बई।
7. अमृत बाजार पत्रिका प्रा० लि०, कलकत्ता।
8. थान्थी ट्रस्ट, मद्रास।
9. मलयाला मनोरमा कं० लि०, कोट्टायम्।
10. स्टेटस्मैन लि०, कलकत्ता।
11. सकाल पेपर्ज लि०, मद्रास।
12. कस्तूरी एण्ड सन्स लि०, मद्रास।
13. लोक प्रकाशन लि०, अहमदाबाद।
14. दी मातृभूमि प्रिन्टिग एण्ड पब्लिशिंग कं० लि०, कोजी कोड।
15. दी स्टेटस पीपल प्रा० लि०, बम्बई।
16. बम्बई समाचार प्रा० लि०, बम्बई।
17. न्यूजपेपर्ज एण्ड पब्लिकेशन्स (प्रा०) लि०, पटना।
18. नागेश्वर राव स्टेटस प्रा० लि०, मद्रास।
19. इन्डियन नेशनल प्रेस (बम्बई) प्रा० लि०, बम्बई।

छपाई मशीनों के लिये

1. इन्डियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्ज लि०, बम्बई।
2. वसुमति प्रा० लि०, कलकत्ता।
3. श्री एन० एल० शाह, जयहिन्द, राजकोट और अहमदाबाद।
4. श्री पी० यू० रेशमवाला, गुजरातमित्र और गुजरात दर्पण, सूरत।
5. श्री वाई० के० खाडिलकर, नव काल, बम्बई।

6. श्री नरकेसरी प्रकाशन लि०, नागपुर।
7. अमृत बाजार पत्रिका प्रा० लि०, कलकत्ता।
8. मलयाला मनोरमा कं० लि०, कोट्टायम।
9. मातृभूमि प्रिन्टिंग एण्ड पब्लिशिंग कं० लि०, कोजिकोड।
10. इन्डियन नेशनल प्रेस (बम्बई) लि०
11. श्री जे० आर० रावल, नूतन सौराष्ट्र, राजकोट।
12. वासन पब्लिकेशन्स प्रा० लि०, मद्रास।
13. श्री आर० जे० माहेश्वरी, नवभारत, नागपुर।

प्रेस परिषद्

1492. श्री शिवचन्द्र झा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान प्रेस परिषद् को ऐसा कानूनी अधिकार नहीं है जिससे वह समाचारपत्रों को उत्तेजना फैलाने वाले समाचार तथा लेख प्रकाशित न करने के लिए बाध्य कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उसे ऐसा अधिकार देने का है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) प्रेस परिषद् को प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 13 और 14 के अन्तर्गत पहले ही पर्याप्त अधिकार दिए हुए हैं।

(ख) परिषद् को और अधिकार देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1, 2 और 2883 (1966) के उत्तर में शुद्धि
Correction in answer to Unstarred Question Nos. 1, 2 and 2883 (1966)

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (1) डा० म० मो० दास के अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के (ख) और (घ) भागों के, 25 जुलाई, 1966 को दिए गए उत्तरों में टेलीविजन के बारे में खर्चे के जो आंकड़े दिए गये थे, उनकी जांच की गई है और वे इस प्रकार पाए गए:

प्रश्न	पहले दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर
(ख) निर्णय की तारीख से लेकर अब तक इस काम के लिए कितना खर्च किया गया है।	66.96 लाख रूपए (लगभग)	83.28 लाख रूपए (लगभग)

(घ)	"चालू पत्री वर्ष में अब तक टेलीविजन के लिए कितना खर्च किया गया है तथा वह धन विदेशी मुद्रा के रूप में कितना है ।"	"चालू पत्री वर्ष में जून, 1966 तक टेलीविजन पर कुल खर्च लगभग 25.84 लाख रूपए हुआ इसमें लगभग 5.28 लाख रूपए की विदेशी मुद्रा थी ।"	"चालू पत्री वर्ष में जून, 1966 तक टेलीविजन पर कुल खर्च लगभग 27.86 लाख रूपए हुआ । इसमें लगभग 5.28 लाख रूपए की विदेशी मुद्रा थी ।"

(2) डा० म० मो० दास के अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के भाग (क) के 25 जुलाई, 1966 को दिए गए उत्तर में टेलीविजन के खर्चे के बारे में जो आंकड़े दिए गए थे, उनकी जांच की गई है और वे इस प्रकार पाए गए हैं :—

	प्रश्न	पहले दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर
(क)	"चालू पत्री वर्ष में अब तक टेलीविजन पर कितनी राशि खर्च की गई और उसमें विदेशी मुद्रा कितनी थी ।"	"चालू पत्री वर्ष में जून, 1966 तक टेलीविजन पर कुल खर्च लगभग 25.84 लाख रूपया था । इसमें लगभग 5.28 लाख रूपए की विदेशी मुद्रा थी ।"	"चालू पत्री वर्ष में जून, 1966 तक टेलीविजन पर कुल खर्च लगभग 27.86 लाख रूपया था । इसमें लगभग 5.28 लाख रूपए की विदेशी मुद्रा थी ।"

(3) सर्वश्री स० च० सामंत, भागवत झा आजाद, म० ला० द्विवेदी और सुबोध हंसदा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2883 के भाग (ग) के 22 अगस्त, 1966 को दिए गए उत्तर में टेलीविजन के खर्च के बारे में जो आंकड़े दिए गए थे, उनकी जांच की गई है, और ये इस प्रकार पाए गए हैं:—

	प्रश्न	पहले दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर
(ग)	"इस कार्यक्रम के आरंभ किए जाने के पश्चात उस पर कितना खर्च किया गया है ।"	"जब से टेलीविजन शुरू हुआ है, तब से जून, 1966 तक इस पर लगभग 66.96 लाख रूपए खर्च हुए हैं ।"	"जब से टेलीविजन शुरू हुआ है, तब से जून 1966 तक इस पर लगभग 83.28 लाख रूपए खर्च हुए हैं ।"

स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)

Re. MOTION FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES (QUERY)

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं पर चर्चा की जायेगी ।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैंने स्थगन प्रस्ताव के बारे में सूचना दी थी । पहले उसको लिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसको स्थगित कर दिया है। यह कोई गुप्त दस्तावेज नहीं है। इस मामले को अब पुनः उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया है। मेरे पास कोई एक दर्जन स्थगन प्रस्ताव आये हुए हैं। यदि सभी उनपर बोलने लगे तो उसका कोई अन्त नहीं होगा।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : क्या यह समझ लिया जाये कि आप अभी इस पर विचार कर रहे हैं और कि आपने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है और कल इसको सभा के समक्ष रखा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : सभा में नहीं। ऐसे मामलों पर अध्यक्ष द्वारा चैम्बर में निर्णय लिया जाता है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

राजस्थान सीमा पर पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन और पाकिस्तानी सेना का भारी जमाव।

Shri Yashwant Singh Kushwah (Bhind) : Sir, I call the attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

"Air violations by Pakistan on Rajasthan border and heavy concentration of Pakistan troops there."

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सरकार को यह सूचना है कि पाकिस्तानी सेनायें पश्चिमी पाकिस्तान में राजस्थान के उस पार मौजूद हैं। इस क्षेत्र में इन दिनों पाकिस्तानी सेना का कोई असाधारण जमाव नहीं हुआ है, जिससे कि हमें चिन्ता हो।

6 जनवरी, 1967 को राजस्थान के बारमेर क्षेत्र में पाकिस्तान लड़ाकू विमान ने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया था। पाकिस्तान सरकार को इस विषय में विरोध-पत्र भेज दिया गया था।

मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सीमा के बाहर जो कुछ हो रहा है और जिससे भारतीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है उसे हम भली-भांति सतर्कता से देख रहे हैं और देश की प्रभुसत्ता की रक्षा करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने में कोई संकोच नहीं किया जायगा।

Shri Yashwant Singh Kushwah : May I know whether the hon. Minister does not consider such activities of Pakistan on our border which endangers our security against the spirit of the Tashkent Declaration and if he considers so why such preparations are not made on our side to counteract their preparations.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बहुत लम्बा है। माननीय मन्त्री केवल सम्बन्धित प्रश्न का ही उत्तर दें।

श्री स्वर्ण सिंह : ताशकंद घोषणा दो देशों के बीच विवादों को हल करने के लिए किया गया एक समझौता है । यह सच है कि पाकिस्तान हथियार लेकर तथा संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करके अपनी तैयारी कर रहा है । हम भी आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : During the last Indo Pakistan conflict Jodhpur was made a target by the Pakistani Air Force. I would like to know whether any preparations have been made since then and that area is not being neglected now ?

श्री स्वर्ण सिंह : इसमें कोई सन्देह नहीं कि गत भारत-पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी विमानों ने अनेक बार जोधपुर पर आक्रमण किये थे । परन्तु सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वह हवाई अड्डे तथा वहां के संस्थानों, कोई विशेष क्षति नहीं पहुँचा सके । किसी भी देश के लिए यह कहना कि युद्ध के समय उस पर कोई आक्रमण नहीं होगा उचित नहीं होगा । हम अपने तौर पर विमान गिराने वाली तथा अन्य कार्यवाहियां कर रहे हैं ।

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : May I know whether the Government is aware that Pakistan is strengthening her position in the Rajasthan sector as has been done in the Sialkot Sector ?

श्री स्वर्ण सिंह : राजस्थान की सीमा के बारे में हमें पूरी जानकारी है । हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Pakistani aircrafts has violated the air space on the eastern border as was done on the Rajasthan border. I would like to know why the intruding aircraft was not brought down ? A new item was published in the 'New York Times' that India is negotiating with Russia forthe purchase of Bomber and fighter aircrafts and as a result of these negotiations these aircrafts are likely to be supplied to us. I would like to know how this news leaked out ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस विशिष्ट मामले में उनका विमान केवल तीन मील हमारी सीमा के अन्दर आया था और जेटविमान के लिए यह एक मिनट से भी कम समय का काम है । सभा को याद होगा कि हमने ऐसे ही एक विमान के विरूद्ध पंजाब पश्चिम पाकिस्तान सीमा पर कार्यवाही करके उसे नीचे गिरा लिया था । न्यूयार्क टाइमस में छपा समाचार ठीक नहीं है ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : I would like to know the depth of the penetration made by our Canberra aircraft which was shot down by Pakistan few years ago ? What is the definite yard stick to mean deap penetration ?

श्री स्वर्ण सिंह : उस समय हमारा पक्ष यह था कि वह विमान अवैध तौर पर गिराया गया है । उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था । हमने उन्हें विरोध-पत्र भी भेजा था **

Dr. Ram Manohar Lohia : May I know whether any action can be taken against him for telling a lie ?

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

*° Expunged as orderd by the chair.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : जैसा कि सभा में बताया गया था सरकार का पक्ष उस समय यह नहीं था। यही बताया गया था कि विमान भारतीय क्षेत्र में था।

श्री स्वर्ण सिंह : उस समय यह विभाग मेरे अधीन नहीं था।

Shri Madhu Limaye : I would like to know which of the two statements is false ? If the present statement is false then we can bring a motion of privilege against him.

श्री स्वर्ण सिंह : वर्तमान प्रश्न राजस्थान सीमा पर पाकिस्तानी सेना के जमाव तथा वायुसीमा उल्लंघन के बारे में है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष वक्तव्य के बारे में पूछना चाहते हैं तो उस के लिए पूर्व सूचना देना आवश्यक है क्योंकि सभी बातों को याद नहीं रखा जा सकता।

Dr. Ram Manohar Lohia : My question has not been answered, what he meant by deep penetration; one feet, mile or how many miles ?

श्री स्वर्ण सिंह : 20 मील अथवा उससे अधिक को गहरा घुसाव (डीप पेनीट्रेशन) कह सकते हैं।

श्री नाथ पाई : ** पहले यह बताया गया था कि विमान भारतीय क्षेत्र में था। इस मामले पर श्री हेम बरूआ के नाम से तब स्थगन प्रस्ताव रखा गया था। उसके उत्तर में ही यह बताया गया था। ** तब प्रश्न उठाया गया था......

अध्यक्ष महोदय : क्या यह व्यवस्था का है ?

श्री नाथ पाई : किस जानकारी के आधार पर हमें कार्यवाही करनी है ** इस मामले में हमारे अधिकार क्या हैं ? यदि पहले यह बताया गया था कि विमान भारतीय क्षेत्र में था **क्या सरकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ? आपकी क्या व्यवस्था है ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मन्त्री महोदय ने सूचना के लिए कहा है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : ** हमारा आरोप यह है कि विमान को उस समय गिराया गया जबकि वह भारतीय क्षेत्र में था ** सभा में ऐसी गैर-जिम्मेदारी की बातें कहना क्या माननीय सदस्य के लिए उचित है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि हम इसी प्रकार समय व्यतीत करते रहे तो सूची पर जिन सदस्यों के नाम हैं उनको समय देना कठिन हो जायेगा।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

** Expunged as orderd by the chair

श्री रंगा (श्री काकुलम) : यदि कुछ अन्य सदस्य उसी विषय पर कुछ कहना चाहते हैं तो उनको अवसर दिया जाना चाहिए। श्री मधोक एक प्रश्न उठाया गया है। यह आप पर निर्भर है कि आप सम्बन्धित निदेशा अथवा परामर्श दें कि उनको सभा में किस ढंग से वक्तव्य देने चाहिए। आपने उनको चेतावनी देकर ठीक किया है कि यदि वह चाहें तो पूर्व सूचना लेकर जानकारी दे सकते हैं बजाय इसके कि वह ऐसी जानकारी दें जिस बारे में उनको पूरी तरह मालूम न हो, मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप माननीय मन्त्री को यह सुझाव दें कि तकनीकी मामलों के बारे में उनके लिए तथा देश के लिए अच्छा यही होगा कि वह विशेषज्ञों से परामर्श के बिना सूचना न दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बात मन्त्री महोदय को पहले ही बता चुका हूं। जब की तथ्यों की जानकारी न हो तो समय अवश्य ही मांग लेना चाहिये।

सूची में उन सदस्यों में से केवल पांच ने प्रश्न पूछे हैं। दूसरों को भी समय मिलना चाहिये। इस प्रकार व्यवस्था के प्रश्न उठाने से समय नष्ट हो रहा है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : * *

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : माननीय मंत्री ने एक ऐसा वक्तव्य दिया है जिससे एक मंत्री ने जो कहा है, वह हास्यास्पद हो जाता है। हमें बताया गया था कि उस समय हमारा विमान हमारे राज्य क्षेत्र के अन्दर था। हमने इसके बारे में विरोध किया था और पाकिस्तान को बताया था **

श्री स्वर्ण सिंह : आज वक्तव्य देने में मेरा अभिप्राय श्री कृष्ण मेनन अथवा श्री चव्हाण द्वारा पहले दिये गये किसी वक्तव्य का खण्डन करना नहीं था, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं और ऐसा वक्तव्य वापिस लेता हूँ **

श्री बाबूराव पटेल (शाजापुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने कहा है कि सदस्य दूसरों को बोलने का अवसर नहीं देते हैं, परन्तु मेरे विचार में आप हमारी ओर देखते ही नहीं और हमें बोलने का अवसर नहीं देते।

अध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्य से आपका नाम सूची में नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : डा० लोहिया के एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने 20 मील तक अन्दर आने को बहुत अन्दर आना बताया है। क्या उनका अर्थ यह है कि यदि पाकिस्तानी विमान 18, 19 मील तक घुस आये तो उसे गिराया नहीं जायेगा।

---

* * अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

* * Expunged as ordered by the chair.

श्री स्वर्ण सिंह : घुसपेठ तो उल्लंघन ही है चाहे घुसपैंठ अधिक दूर तक हो अथवा कम। इस प्रकार उल्लंघन करने वाले विमान को गिराया जा सकता है और गिराया जाना चाहिये।

Shri Kameshwar Singh : I would like to know the exact duration of flight of a Pakistani aircraft in the Indian territory on Rajasthan border near Etanda.

श्री स्वर्ण सिंह : मैं ठीक समय नहीं बतला सकता।

श्री स० कुन्डू (बालासौर) : राजस्थान सीमा के पार पश्चिमी पाकिस्तान में कितनी पाकिस्तानी सेना जमा है और क्या सीमा का उल्लंघन युद्ध को बढावा देना नहीं है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह जानकारी देना राष्ट्रीय हित में नहीं है। सीमा पर किसी भी घटना से युद्ध को बढ़ावा मिल सकता है।

Shri O. P. Tyagi (Moradabad) : May I know whether the Government have made any arrangements to see that our forces could be despatched to border areas of Rajasthan without any loss of time. I also want the Defence Ministry to withdraw the definaition of deep penetration. Penetration is penetration.

श्री स्वर्ण सिंह : हमने संचार व्यवस्था में सुधार करने के लिए बहुत सी कार्यवाहियां की है। प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि घुसपैंठ हमारी सीमा का उल्लंघन है। घुसपैंठ के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने का हमें अधिकार है।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : May I know when the information of this incident was received by the Ministry and when the protest was sent to Pakistan.

श्री स्वर्ण सिंह : विरोध-पत्र 19 जनवरी को भेजा गया था। उस बात की हमें ठीक जानकारी नहीं है कि हमें घुसपैंठ के बारे में जानकारी कब मिली।

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : May I know whether Government have taken any steps to see that Pakistan does not dare to violate our territory.

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय मंत्री के इस कथन से पाकिस्तान पर बहुत प्रभाव पड़ेगा।

श्री हेम० बरुआ (मंगलदाई) : श्री चव्हाण ने कहा था कि जब कोई विमान घुसपैंठ करे तो उसे गिराने की हिदायतें जारी की गई हैं। क्या यह हिदायतें अब भी लागू हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : हिदायतों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्या किसी अमरीकी समवाय को जैसलमेर तथा बीकानेर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करने का काम सौंपा गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात का विश्वास है कि इस समवाय ने पाकिस्तान को कोई जानकारी नहीं दी।

श्री स्वर्ण सिंह : किसी अमरीकी समवाय को प्रतिरक्षा मंत्रालय ने विमान द्वारा सर्वेक्षण का कार्य नहीं सौंपा है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : पाकिस्तान के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सेना जमा करने कि और सभी ओर सैनिक तैयारी करने के साथ साथ राजस्थान क्षेत्र में अधिक सेना जमा होना हमारे लिए चिन्ता का कारण होना चाहिये। क्या यह सच है कि भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो पंच तथा सरपंच पाकिस्तान चले गये थे उन्हें भारत में वापिस आने की अनुमति दे दी गई है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने यह सुझाव ध्यान में रख लिये हैं। प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री बलराज मधोक (दिल्ली-दक्षिण) : भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध अब बड़ी गम्भीर परिस्थिति में हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री पाकिस्तान के साथ पिछले युद्ध से शिक्षा प्राप्त करेंगे जब पाकिस्तानियों ने बिना गोली चलाये हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं सभा को विश्वास दिलाता हूँ कि हमने उस समय के अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। हम आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयत्न करेंगे।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : During the last war with Pakistan, it was said that Rajasthani followers of Pir of Pagaru of Sindh had passed on some information to Pakistan. May I know the steps taken by Government to prevent recurrence of such incidents.

श्री स्वर्ण सिंह : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : क्या सरकार सीमा पर साम्प्रदायिक एकता बनाये रखने की आवश्यकता पर कोई ध्यान देगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम सदा देश में साम्प्रदायिक एकता बनाये रखने का प्रयत्न करते हैं।

Shri Dhuleshwar Meena (Udaipur) : I would like to know whether Government would consider the question of extending Rajasthan canal from Ramgarh to Kutch. Apart from economic gain, the purpose of security of Rajasthan would also be served .

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक सुझाव है।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : May I know whether the are any arrangements to detect if there are any aerial flights over our territory ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी हाँ, हमारे पास उनके लिए व्यवस्था है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : क्या हमारे छोटे, बड़े तथा मध्यम आकार के टैंक सीमा की सड़कों का प्रयोग कर सकते हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : यह रास्ता कठिन नहीं है।

श्री बृजराज सिंह–कोटा (झालावाड़) : क्या बाड़मेर क्षेत्र में विशेष रूप से कोई हवाई अड्डे बनाने का प्रस्ताव है ।

श्री स्वर्ण सिंह : इस बारे में जानकारी नहीं दी जाती ।

Shri N. S. Sharma (Domariaganj) : Whether the Hon. Minister has explained in his recent protest note that India is not bound to abide by the Tashkent Declaration unilatering and whether he proposes to take some concrete steps besides sending these protest notes ?

श्री स्वर्ण सिंह : ऐसा इस बात पर बल देने के उद्देश्य से कहा गया है कि ताशकन्द घोषणा के बारे में विरोध पत्र भेजने का कोई लाभ नहीं है । प्रत्येक विरोध–पत्र में यह नहीं दोहराया जाता कि हम भी ताशकन्द घोषणा का पालन नहीं करेंगे ।

श्री म० ला सोंधी (नई दिल्ली) : चूंकि मंत्री महोदय ने पाकिस्तानी विमानों द्वारा की गई घुसपैठ पर चिन्ता प्रकट की है इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने रक्षा हेतु वहां पर कितने प्रक्षेपणास्त्रों की व्यवस्था की है ? इस आशय के समाचार पाश्चात्य पत्रिकाओं में भी छपे हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : पश्चिमी देशों की पत्रिकाओं की यह एक चाल है जिसके द्वारा वे हमसे इस सम्बन्ध में ठीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं । परन्तु हम उनकी चाल में आने वाले नहीं हैं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बाया (नन्दयाल) : पाकिस्तान की झगडालू प्रवृति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि राजस्थान के सामरिक महत्व के सीमान्त क्षेत्रों तथा राजस्थान नहर का किसी भी विदेशी ऐजेंसी द्वारा हवाई सर्वेक्षण किये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह चिन्ता वास्तव में विचारणीय है । मैं आश्वासन देता हूं कि हवाई सर्वेक्षणों पर यथोचित नियंत्रण रखकर सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जायेगा ।

Shri S. M. Joshi (Poona) : Hon. Minister has asked for the time to see the records to assure whether he has given the wrong statement. May I know the time by when he will be able to give correct information to the House ? (Interruptions)

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री महोदय सभा को लगातार गुमराह करते जा रहे हैं । क्या आप उन्हें इस्तीफा देने की सलाह देंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे इस प्रकार के आरोप लगाये जाने पर भारी आपत्ति है । व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर ऐसी बाते नहीं की जानी चाहिये ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : May I know whether the Central Government have received any note regarding intrusion and espionage by Pakistan in Rajasthan area from Rajasthan Government; if so, the action taken by the Government in respect thereto ?

श्री स्वर्ण सिंह : राजस्थान सरकार से हमें इस सम्बन्ध में समय समय पर रिपोर्ट मिलती रहती है, तथा राज्य और केन्द्र दोनों मिलकर परिस्थिति का सामना करते हैं ।

Dr. Surya Prakash Puri (Nawada) : May I know whether the Government have authorized any of the military personnel to give information to some newspapers regarding all the happenings which take place in the protected areas of India-Pakistan border ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी, नहीं ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : May I know whether the Radars installed in Jodhpur were not functioning properly ; if so, why ? Rajasthan Government have invited the attention of Central Government towards the activities of Pakistan through their note, but no proper action has been taken in time by the Central Government. Why ?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में मैं कोई जानकारी नहीं दूंगा। दूसरे भाग के सम्बन्ध में जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ , यह निवेदन है कि हमें राजस्थान सरकार से समय समय पर रिपोर्ट मिलती रहती है और तदनुसार दोनों सरकारें उस क्षेत्र की सुरक्षा हेतु संयुक्त रूप से कार्य करती रहती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ने विशेषाधिकार प्रश्नों की दो सूचनाएं दी है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It will take some time, so it should be taken after lunch.

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

इसके पश्चात लोकसभा मध्याहृन् भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोकसभा मध्याहृन् भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker ***in the Chair***]

ध्यान दिलाने के बारे में प्रश्न

RE. CALLING ATTENTION (QUERY)

श्री नाथ पाई (राजापुर) : जैसे ही हमने संयुक्त अरब गणराज्य और इजरायली सेनाओं में संघर्ष की खबर सुनी तैसे ही सरकार का इस ओर ध्यान दिलाने के लिये हमने सूचना दी थी । हम चाहते हैं कि सरकार इस विषय पर वक्तव्य दे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे भी इस बारे में उतनी ही चिन्ता है जितनी कि पूरी सभा को है। मैं इस बारे में संसद कार्य मंत्री से पता करके आपको कुछ देर बाद बताऊंगा।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : It is an important matter and the Prime Minister or Deputy Prime Minister should immediately make a statement in this respect in the House.

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : I suggest that the Government should make a statement on it at 5.00 P. M. to-day.

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : यह खेद की बात है कि हमारे द्वारा सूचना दिये जाने तथा वास्तव में युद्ध शुरू हो जाने के बाद भी सम्बन्धित मंत्रीगण सभा में अपने स्थानों पर नहीं हैं।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : सभा की इच्छाओं को सम्बन्धित मंत्री के पास भेजा जा रहा है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : चूंकि इसरायल तथा मिश्र दोनों देशों से परस्पर विरोधी समाचार मिले हैं, इसलिये सरकार द्वारा वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

श्री हि० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना मिलने और युद्ध शुरू होने का सामाचार मिलने के बाद सरकार को इस बारे में स्वयं ही वक्तव्य दे देना चाहिये था या उसे बताना चाहिये था कि सरकार वक्तव्य तैयार कर रही है। यह खेद की बात है कि इसके लिये भी सरकार को कहने की जरूरत पड़ रही है।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : यह तो ठीक है कि हम सबको इस बारे में चिन्ता है। परन्तु वक्तव्य तैयार करने के लिये सरकार को पूरी जानकारी एकत्र करनी होती है जिसमें समय लगता है। अतः सरकार इस बारे में कल सवेरे वक्तव्य दे सकती है।

श्री उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों की इस बारे में चिन्ता से मंत्री महोदय को अवगत करा दिया गया है; आधा घंटे में वैदेशिक-कार्य मंत्री यहां उपस्थित होंगे तथा इस सम्बन्ध में जो उन्हें कहना होगा, कहेंगे।

हिन्दी "हिन्दुस्तान" के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE "HINDUSTAN"--HINDI

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to raise a question of privilege today against the Hindi daily namely "Hindustan". In its issue of 2nd June the Editor has written an editorial under the heading 'Baseless, Absurd and Improper'. This is a paper which belongs to Birlas and so it does not care for the privileges and immunities enjoyed by the Members of Parliament. In the said editorial the editor has criticised the Members of Parliament for their observations made by them in Parliament in connection with the business tactics of Birla Group while discussing the Hazari Report. The editorial says that baseless charges have been levelled against some business concerns in Rajya Sabha and the Government do not intend to consider these charges. It further says that some

Members of Parliament have used the Hazari Report for defaming some particular Individual or business establishments, ignoring its main object and they have made mala fide crooked and cowardly attacks on Birlas from the forum of Parliament. It further deplores the debate on this issue and termed it as character-assassination.

These are the reflections upon the Members of Parliament which constitute a high violation of the privileges of Members as well as of the House. Under the constitution the Members of Indian Parliament enjoy the same privileges as are enjoyed by the Members of British Parliament and according to May's Parliamentary Practice, the reflecting on the proceedings of the House constitutes the definite violation of privileges of the House. Secondly we have got the freedom of speech and our speech in Parliament cannot be challenged even in courts.

In view of all this I hold that the editorial in the 'Hindustan' is clearly a contempt of the House and a gross breach of privilege of the Members. I, therefore, request you that this matter should be referred to the Committee of Privileges and the committee should be instructed to give the Report as early as possible.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि यह विषय प्रतिवेदन के लिये विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : यह विषय विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया है ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : My point is that proprietor of the newspaper should also be called before the Privileges Committee.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे इत्यादि

अणु शक्ति विभाग में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, बम्बई, के 1965–66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां, सभा-पटल पर रखता हूँ । (पुस्तकालय में रखी गयी–देखिये संख्या एल. टी 512/67)

गार्डन रीच वर्कशाप्स लिमिटेड के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे आदि

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : श्री ब० रा० भगत की ओर से मैं गार्डन रीच वर्कशाप्स लिमिटेड, कलकत्ता, के 1965–66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ, सभा-पटल पर रखता हूँ । (पुस्तकालय में रखी गयी–देखिये संख्या एल. टी. 513/67)

लाभ पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति जो लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति कहलायेगी जिसमें पन्द्रह सदस्य, इस सभा के 10 सदस्य और राज्य सभा के पांच सदस्य होंगे, जो एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक सभा के सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे, गठित की जाये ;

कि संयुक्त समिति के कृत्य ये होंगे:—

(एक) सब विद्यमान 'समितियों' और उन सब समितियों के जो इस के बाद गठित की जायें रचना और स्वरूप की जांच करना जिनकी सदस्यता से कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन संसद की किसी सभा के सदस्य चुने जाने और रहने से अनर्ह हो जाये ;

(दो) इसके द्वारा जांच की गई 'समितियों' के सम्बन्ध में यह सिफारिश करना कि कौन से पदों से अनर्ह हो जायेगा और कौन से पदों से अनर्ह नहीं होगा ;

(तीन) संसद् (अनर्हता निवारण) अधिनियम 1959 की अनुसूची की समय समय पर जांच करना और परिवर्धन लोप अथवा अन्यथा उक्त अनुसूची में किन्हीं संशोधनों की सिफारिश करना ;

कि संयुक्त समिति समय-समय पर उपरोक्त किसी एक अथवा सब विषयों के बारे में संसद की दोनों सभाओं को प्रतिवेदन देगी ;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा के कार्यकाल तक अपना पद धारण करेंगे ;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपमदों के साथ जो अध्यक्ष करें लागू होंगे ; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें।"

श्री उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : माननीय मंत्री ने यह नहीं बताया है कि वह इस प्रस्ताव को क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या इस स्थायी समिति का चुनाव कराया जाना नियमानुसार है, यदि हां, तो पहली समिति ने क्या कार्य किया है ? नई समिति किस अवधि तक कार्य करेगी ?

श्री गोविन्द मेनन : ये सब बातें प्रस्ताव में दी हुई हैं। नई समिति इस लोक-सभा के अन्त तक बनी रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति जो लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति कहलायेगी जिनमें पन्द्रह सदस्य, इस सभा के 10 सदस्य और राज्य सभा के पांच सदस्य होंगे, जो एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक सभा के सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे, गठित की जायेगी ;

कि संयुक्त समिति के कृत्य ये होंगे :-

(1) सब विद्यमान 'समितियों' और उन सब 'समितियों' के जो इसके बाद गठित की जायें, रचना और स्वरूप की जाँच करना जिनकी सदस्यता से कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन संसद की किसी सभा के सदस्य चुने जाने और रहने से अनर्ह हो जाये ;

(2) इसके द्वारा जांच की गई 'समितियों' के सम्बन्ध में यह सिफारिश करना कि कौन से पदों से अनर्ह हो जायेगा और कौन से पदों से अनर्ह नहीं होगा ;

(3) संसद् (अनर्हता निवारण) अधिनियम 1959 की अनुसूची की समय-समय पर जांच करना और परिवर्धन लोप अथवा अन्यथा उक्त अनुसूची में किन्ही संशोधनों की सिफारिश करना ;

कि संयुक्त समिति समय समय पर उपरोक्त किसी एक अथवा सब विषयों के बारे में संसद की दोनों सभाओं को प्रतिवेदन देगी ;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक-सभा के कार्यकाल तक अपना पद धारण करेंगे ;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभदों के साथ जो अध्यक्ष करें लागू होंगे ; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

पश्चिम एशिया की स्थिति के बारे में वक्तव्य
STATEMENT ON SITUATION IN WEST ASIA

उपाध्यक्ष महोदय : रेलवे बजट को लेने से पहले, वैदेशिक कार्य मंत्री यदि वक्तव्य देना चाहें तो दे सकते हैं।

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : श्रीमान्, हमें टेलेक्स पर सूचना मिली है कि इसराईल और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच लड़ाई छिड़ गई है। यह हमारे लिये गम्भीर चिन्ता का विषय है। हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि पश्चिम एशिया में शांति स्थापित की जाये। हमारे न्यूयार्क स्थित स्थायी प्रतिनिधि बहुमत से प्रस्ताव परित कराने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं जिससे कि तनाव कम होगा और महासचिव अपनी बातचीत द्वारा कोई हल निकाल सकेंगे। संयुक्त अरब गणराज्य, इसराईल और समस्त संसार के लिये युद्ध भयंकर संकटपूर्ण होगा। हम शांतिप्रिय राष्ट्र के नाते, शांति बनाये रखने के लिये आतुर हैं।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) What are the facts ?

Shri M. C. Chagla : How can I have more information ?

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : श्री आर० के० नेहरू काहिरा में क्या कर रहे हैं ? हमें कुछ तथ्य बताइये।

श्री मु० क० चागला : तथ्य यह है कि लड़ाई छिड़ गई है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : The Hon, Minister has greater resources than the member. and as such he should be in a position to give us more facts. He should try to evade the issue by equating the members with him.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : There is no need to make a hasty statement. He can make a statement later on after collecting full facts.

Shri M. C. Chagla : That is what I had stated.

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जो मैं कहने जा रही थी वास्तव में वही श्री वाजपेयी ने कह दिया है। काहिरा और मास्को रेडियो से जो जानकारी प्राप्त हुई है हमारे पास केवल वही जानकारी है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, my suggestion is that the resolution standing in the name of Shrimati Tarkeshwari Sinha regarding West Asia be taken up tomorrow.

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपने ध्यान आकर्षण की सूचना दी तो स्थिति भिन्न थी। अतः वक्तव्य को सुनने के बाद हम कल इसका निर्णय करेंगे।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं कि वह कोई ऐसी बात न करे जिससे पक्षपात का आभास मिलता हो या जिससे स्थिति और खराब हो जाये।

रेलवे आयव्ययक (1967-68)—सामान्य चर्चा जारी

RAILWAY BUDGET 1967-68 GENERAL DISCUSSION-CONTD.

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : माननीय सदस्यों ने रेलवे बजट में जो रुचि दिखाई है उसके लिये में उनका धन्यवाद करता हूं। 1967 में जब अन्तरिम बजट पेश किया गया था तो हमने अनुमान लगाया था कि 15 करोड़ रु० का घाटा होगा किन्तु वास्तव में घाटा 46 करोड़ का हुआ है। हमने निस्सन्देह अनुमान लगाया था कि वर्ष 1966–67 में प्रारम्भ यातायात में 1.2 करोड़ टन की वृद्धि होगी। यह आशा पूरी नहीं की जा सकी क्योंकि जहां तक इस्पात और कोयले का सम्बन्ध है। उनमें भारी कमी थी। प्रत्याशित प्रारम्भ यातायात में प्रतिवर्ष उतार-चढ़ाव आ रहा है। यदि हम समूचे औद्योगिक विकास को लें तो उसमें भी निरन्तर गिरावट आई है। इसलिये इस उतार-चढ़ाव के कारण, हमने यातायात की जो क्षमता बनाई थी उसका पूरा उपयोग नहीं किया जा सका।

माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि रेलवे का काफी यातायात मोटर परिवहन के के हाथों में जा रहा है क्योंकि रेलवे के काम में कार्यकुशलता नहीं है और रेलवे इतनी सेवाएं प्रदान नहीं करतीं जितनी कि मोटर परिवहन करती है। मैं मानता हूं कि किसी हद तक यह बात सच है। देश में जो अन्य विकास हो रहा है उसकी ओर भी माननीय सदस्य को ध्यान देना चाहिये। देश में अनेकों सड़कों और राजपथों का निर्माण किया गया है और संचार व्यवस्था का विकास किया गया है जिससे सड़क परिवहन की दशा में काफी सुधार हुआ है।

जैसे जैसे देश में विकास होता जा रहा है परिवहन की मांग भी उसी अंश में बढ़ेगी। मोटर वाले कुछ आकर्षक सुविधायें दे रहे हैं ताकि उन्हें भी यातायात मिले। मैं यह नहीं कहता कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इससे निरुत्साह नहीं होना है।

यह भी सच है कि इस्पात तथा कोयले के सामान में कुछ कमी हुई है। इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य 1 करोड़ टन था परन्तु हम 70.7 लाख टन ही प्राप्त कर सके। इसी प्रकार कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 9 करोड़ टन था परन्तु उसमें हम कठिनता से 7 करोड़ टन ही प्राप्त कर सके। हमने धन लगा कर अब काफी क्षमता उत्पन्न कर ली है परन्तु कुछ कारणों के वशीभूत जो कि रेलवे के नियन्त्रण से बाहर हैं, यातायात पूरा नहीं हो सका। मैं आशा करता हूं कि यातायात बढ़ जावेगा और जो धन लगाया है उसका ठीक उपयोग हो सकेगा।

रेलवे को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों तथा सामान पर पहले से बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। 1961–62 से कार्य करने के व्यय 130–140 करोड़ रु० अधिक हो गये हैं। गत 4–5 वर्षों में केवल कर्मचारीगण पर 77 करोड़ रु० का व्यय बढ़ा है। उसके पश्चात मंहगाई भत्ता बढ़ा और अब एक बार फिर बढ़ने वाला है जिसका अर्थ होगा कि 30 करोड़ रु० अधिक व्यय होगा। उसी प्रकार इस्पात के मूल्य भी बढ़ रहे हैं और गत पांच-छः वर्षों में यह 42–45 प्रतिशत बढ़ गये हैं। इस्पात, कोयला तथा संचालन का व्यय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। रेलवे तो मितव्ययता की नीति पर चल रही हैं परन्तु एक हद आ गई है जहां यह भी कुछ नहीं कर सकी।

गत 15 वर्षों में किराया 30 प्रतिशत बढ़ा है जब कि अन्य वस्तुओं के मूल्य 70 से 80 और 100 प्रतिशत तक बढ़ गये हैं। हम धीरे धीरे कार्यकुशलता बढ़ाते जा रहे हैं तथा व्यय में कमी कर रहे हैं और अधिक निर्यात बाजार प्राप्त कर रहे हैं तथा कमी होने के बावजूद भी अधिक सामान ले जा रहे हैं।

गत वर्ष हमारे पास 24 करोड़ रु० का घाटा था। यह सारा व्यय रिज़र्व फंड से लिया गया है। गत वर्ष इस निधि में 63 करोड़ रु० था परन्तु इस वर्ष यह केवल 38 करोड़ रु० रह गया है। कुछ लोग कहते हैं कि किराये क्यों बढ़ाते हो, इस व्यय को भी रिज़र्व निधि से क्यों नहीं ले लेते। परन्तु यह बुद्धिमत्ता की नीति नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ कि हमें असामान्य परिस्थितियों के लिए रिज़र्व निधि रखनी चाहिए। हमें स्कूल के बच्चों की भाँति आचरण नहीं करना है।

यदि आप उन कागज़ों पर देखें जो बजट के सम्बन्ध में हमने आपको दिये हैं तो पता चलेगा कि इस वर्ष हमने विकास निधि में कुछ नहीं दिया है। उसमें जो सामान्य 20 करोड़ रु० होता है वह भी नहीं है। उल्टे मैंने उसमें से 19 करोड़ रु० विकास निधि से निकाला है। ऐसे ही अवक्षयण निधि (डेप्रिसियेशन फंड) मे 115 करोड़ रु० होना चाहिए था परन्तु 105 करोड़ रु० ही उसमें दिया है। यह 10 करोड़ रु० कम है। इस प्रकार का धन इसलिए है कि हम कठिनाई के समय में से गुजर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि अच्छा समय आयेगा और उस समय रेलवे अच्छा कार्य करेंगी तथा अधिक धन कमायेंगी।

श्री दांडेकर ने ठीक ही कहा है कि डिब्बों (वैगनों) का प्रयोग सफल नहीं रहा। जहां तक इंजिनों के उपयोग का सम्बन्ध हैं उनमें भी, उनके अनुसार सुधार नहीं हुआ है। वेगनों की बेकारी बढ़ रही है। यह बातें ठीक हैं परन्तु श्री दांडेकर को यह याद रखना चाहिए कि अब बड़े बडे औद्योगिक समूह स्थापित हो गये हैं जैसे इस्पात के कारखाने, कोयले की पेटी, इस्पात, कच्चा लोहा निर्यात आदि। इनमें अधिकतर एक ही ओर की यातायात होती है तथा जब वह वेगन खाली होकर आते हैं तो वापसी पर उन्हें यातायात नहीं मिलता है। जहां तक कोयले के लाने ले जाने का सम्बन्ध है उसके लिए विशेष प्रकार का सामान है। उसे एक दम से दूसरे सामान पर नहीं लगाया जा सकता था। इसलिए यह निहित कठिनाइयाँ हैं। इसी प्रकार की स्थिति खाद्यान्न के यातायात की है। हम मद्रास से बिहार को खाद्यान्न ले जाते हैं। यह यातायात इतनी बढ़ गई है कि हम इसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार आंध्र से केरल को प्रतिदिन 9 गाड़ियाँ एक एक ओर से चल रही हैं। वैसे तो यह बम्बई से बिहार तथा कलकत्ता से बिहार होना चाहिए था परन्तु इस देश में इस प्रकार की परि-योजना हो नहीं सकती क्योंकि जहां खाद्यान्न के उतारने की योजना होती है वहां हड़ताल होती है। इसलिए हमें देश में इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और रेलवेज़ को कार्य करना पड़ता है।

सड़क यातायात का भी कार्य हो रहा है और रेल का सामान उससे भी जा रहा है। यह एक स्वाभाविक बात है परन्तु जहां तक दूर की यात्रा का सम्बन्ध है वह सामान रेल द्वारा ही जाता है। सड़क वाले इन मामलों में अपनी मर्जी से कार्य करते हैं परन्तु रेलों को तो सारा सामान उठाना पड़ता है। इस प्रकार जहां अधिक किराया मिलता है वह सामान रेलवे के

हाथ से निकल रहा है परन्तु जो लम्बी यात्रा का सामान है जिसमें किराया कम है वह रेलवे के पास रह गया है। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है यह कठिनाइयां और अधिक बढ़ेंगी।

कोयले के सम्बन्ध में भी काफी कमी हुई है। मध्य भारत में सिंगारेनी तथा पैंच घाटी में लक्ष्य पूरे नहीं कर सके। फिर भी हम बंगाल–बिहार कोयला के क्षेत्र से कोयला ले जा रहे हैं। इससे रेलों पर जोर पड़ता है। इन बातों के बावजूद हम आशा करते हैं कि अगले वर्ष हम अच्छा कार्य करेंगे तथा 85 लाख टन के अधिक यातायात की हम आशा करते हैं। सामान, कोयला तथा कर्मचारीगण पर खर्च बढ़ता जा रहा है और इससे रेलवे के वित्त पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए कुछ विकास के कार्यों को पूरा करने के लिए हमें किराया बढ़ाना पड़ता है ताकि रेलवे को और आय हो जावे।

सदस्य महोदय यह चाहते हैं कि यात्रियों के लिए सुविधायें बढ़ा दी जावें, रेल गाड़ियां तेजी से चलने लगे। यह कार्य बिना किराये में बढ़ोतरी किये नहीं हो सकता।

{श्री प्र० के० देव पीठासीन हुए
Shri P. R. K. Deo In the Chair.}

मैं यह सुझाव लेकर आया हूँ कि किराये बढ़ा दिये जायें। कहा गया है कि इसका औद्योगिक क्षेत्र तथा सामान्य यात्रियों विशेषकर तीसरे दर्जे के यात्रियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मुझे पूरी आशा है कि इसका प्रभाव मूल्यों पर नहीं पड़ेगा। इस बढ़े हुए किराये का एक प्रतिशत से भी कम होगा। इसलिये इसका मूल्यों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि उससे मुद्रास्फीति बढ़े। यह कहना उचित नही कि किराये में 3 प्रतिशत के बढ़ावे से मूल्यों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा।

मेरे मित्र श्री जार्ज फरनेन्डीज ने रेल दुर्घटनाओं का जिक्र किया कि वह बढती जा रही हैं। हमने भी रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा बजट के कागजों के साथ प्रसारित की गई एक पुस्तिका में दिया हुआ है। मैं उन से कहूंगा कि रेलों के अन्दर मृत्यु होना और बात है और दुर्घटनाओं में मृत्यु होना और बात है। अपनी रिपोर्ट में दुर्घटनाओं के बारे में लिखा है कि 1965–66 में उनकी संख्या 45 अथवा 44 है। कोई प्लेटफार्म से उतरते हुए और कोई प्लेट-फार्म पर चढ़ते हुए तथा कोई पटरी पर दुर्घटना के कारण मर गया। यह मृत्यु रेल की दुर्घटना के कारण नहीं हुई।

उन्होंने लोक लेखा समिति का भी उल्लेख किया। उन्हें शायद लोक लेखा समिति के कार्य करने के तरीके का पूरा पता नहीं है। यह समिति पूरा ब्यौरा प्राप्त करती है तथा फाईलें और जवाब मांगती है। इसलिए 126 करोड़ रु० का मामला असामान्य नहीं है।

मेरे मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा कि डीज़ल प्रयोग में लाने के बारे में तथा विद्युतीकरण के बारे में विदेशी सहयोगियों पर आधारित रहना पड़ता है और उन्होंने इस पर आपत्ति उठाई। उन्होंने यह भी कहा कि वाराणसी डीज़ल लोकोमोटिव वर्क तथा चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के बारे में हम पर दूसरों का प्रभाव पड़ा है

मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि उन्हें इस विषय को इस प्रकार नहीं लेना चाहिये था। आखिर हमारा कितने मामलों में विदेशियों से सहयोग है? जब हम किसी देश के साथ सहयोग की बात करते हैं तो हमें कुछ सामान टुकड़ों की स्थिति में आयात करना होता है और उन्हें यहाँ जोड़ करके प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात बिक्री आरंभ होती है। साथ ही साथ तकनीकी जानकारी प्राप्त की जाती है और आप अपने तकनीशियनों को प्रशिक्षण दिया जाता है। हम ट्रैक्टरों का आयात करते थे परन्तु अपने यहां भी बनाने आरंभ कर दिये और अब उसमें 50 प्रतिशत के लगभग देशी सामान होता है। इसी प्रकार वाराणसी डीज़ल लोकोमोटिव वर्क्स में हम यह प्राप्त करके जोड़ते थे। पहला इंजिन जो हमने बनाया उसमें देशी सामान केवल 2 प्रतिशत था परन्तु जो सौवां इंजिन बना उसमें 38 प्रतिशत देशी सामान था। परन्तु तकनीकी जानकारी कोई एक दिन में तो प्राप्त नहीं की जा सकती। इसमें समय लगता है।

यात्रियों के लिए सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। हमें उसकी आवश्यकता का पता है और उसमें काफी कार्य करने की आवश्यकता है।

जहां तक जलपान व्यवस्था की सुविधा का सम्बन्ध है यह ऐसा कार्य है कि उस पर कार्य करते हुए भी नियंत्रण करना कठिन है। फिर भी मैं यह नहीं कहता कि जो त्रुटियां हैं वह उसमें रहनी चाहिए।

रेलों में भीड़ का जिक्र किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यह समस्या काफी समय तक रहेगी। इसका कारण लोगों की आदत से है तथा बहुत सी औद्योगिक, शैक्षणिक तथा अन्य गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। यह रेलवे में ही नहीं अपितु हवाई जहाज और सड़क यातायात के लिए भी लागू होती है। बिना टिकट के यात्रा करने की समस्या का भी जिक्र किया गया। यह एक सामाजिक समस्या है। जब तक हम सामान्य जनता का सहयोग नहीं प्राप्त करेंगे, इस समस्या का निवारण सरल नहीं होगा। फिर भी हमने बिना टिकट यात्रा करने के प्रशासन को मज़बूत करने का प्रयास किया है। हम इसके बारे में एक मुहिम आरम्भ करेंगे ताकि जहाँ तक संभव हो इसे दूर किया जा सके।

नई रेलवे लाइनों के निर्माण की बात भी कही गई है। यदि देश में इसके लिए धन होगा तो यह कार्य बढ़ेगा। यह कहा गया है कि एक ही लाइन हो। मैं तो समझता हूं कि एक बड़ी लाइन ही सारे देश में होनी चाहिये।

कुछ सदस्यों ने कहा है 3 प्रतिशत अनुपूरक अधिभार को खाद्यान्न पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि खाद्यान्न एक आवश्यक वस्तु है और इसका प्रभाव थोड़ी आय के लोगों पर पड़ेगा परन्तु मैं समझता हूं कि इसका फुटकर मूल्यों पर बहुत अधिक नहीं पड़ेगा। गेहूं पर इसका प्रभाव 0.84 प्रति क्विंटल अर्थात् आयात किये गेहूँ पर 0.14% है। फिर भी इसकी आवश्यकता को अनुभव करता हुआ तथा सदस्यों के कहने का आदर करता हुआ मैंने यह निर्णय लिया है कि खाद्यान्न पर से अनुपूरक अधिभार समाप्त किया जाये।

किराये बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्तावों पर हमने बहुत ध्यान दिया हैं। हम जानते हैं कि रेलवे की आय का मुख्य भाग तीसरे दर्जे के यात्रियों से प्राप्त होता है। माननीय सदस्यों की माँग

को ध्यान में रखते हुए वृद्धि की दर को $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे लगभग 2.7 करोड़ रुपये की हानि होगी परन्तु इस रियायत से 87 प्रतिशत यात्रियों को राहत मिलेगी।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : दक्षिण-केन्द्र क्षेत्र के पुनर्गठन की मांग की गई है। हम चाहते है कि गुन्टाकल डिवीज़न इस क्षेत्र में शामिल कर दिया जाये। मैं जानना चाहता हूँ कि विन्ध्या के दक्षिण की ओर पुराने डिब्बे तथा कोच ही क्यों दिये जाते हैं।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : I suggest the S. S. Light Railway should be taken over by Government. This line should be converted into broad gauge. I request that a statement showing income and expenditure of this Railway should be laid on the table of the House. The passengers of this line should be provided more amenities.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : रेल कर्मचारियों के वेतनमान बढ़ाने के लिये एक मजूरी बोर्ड की स्थापना की गई है। इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं डीज़ल द्वारा अधिक गाड़ियाँ चलाने को ठीक नहीं समझता। क्योंकि इसमें हमें विदेशों पर निर्भर करना पड़ता है। युद्ध की स्थिति में हमें अन्य देशों से सप्लाई बन्द हो जायेगी और हमें बहुत मुश्किल होगी। इस तथ्य को ध्यान में रखा जाये।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : The Hon. Minister has not said anything about the Railway employees. I want to know whether the assurances given to Station Masters would be honoured or not ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to know whether the Railway employees living in famine-stricken areas of Bihar and U. P. will be given some assistance ?

***श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा)** : पारादीप को मिलाने वाली नई लाईन के बनाने का काम कब आरम्भ होगा ? क्या 1967-68 के अन्त तक काम आरम्भ हो जायेगा ?

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I want to know whether Government has got any policy to do away with saloons, special cars and special coaches. Only officials use saloons these days.

श्री चे० मु० पुनाचा : दक्षिण-मध्य क्षेत्र जो एक नया क्षेत्र है, में फेरबदल करने के बारे में सुझाव दिये गये हैं उन पर विचार किया जायेगा। यह बात गलत है कि दक्षिणी क्षेत्रों में पुराने कोच भेजे जाते हैं। रेलवे कर्मचारी वेतन आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत वेतन पाते हैं। इनके लिये अलग से मजूरी बोर्ड की आवश्यकता नहीं है।

हमें डीज़ल के इंजनों को युद्ध के भय से नहीं चलाना चाहिये। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। युद्ध की स्थिति में हमें बहुत सी अन्य व्यवस्था करनी पड़ती है। युद्ध तो एक राष्ट्रीय समस्या होती है। इस कारण से हमें डीज़ल इंजन चलाने से घबराना नहीं चाहिये।

*मूल उड़िया प्रश्न के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित

*English translation of the original qusetion put in Oriya.

मैं चाहता हूं कि रेलवे कर्मचारी एक ही संघ बनायें। परन्तु वर्तमान स्थिति में यह कठिन है। हमारे लगभग सभी वर्ग के कर्मचारियों के अपने अपने संघ हैं। हमें स्वस्थ परम्पराएं स्थापित करनी है जिनसे कर्मचारियों को तो लाभ हो ही साथ में रेलवे का काम भी ठीक प्रकार से चले। पारादीप बन्दरगाह के बारे में सर्वेक्षण हो रहा है और शीघ्र ही वहाँ कार्य आरम्भ हो जायेगा। इस बारे में सम्बन्धित कार्य शीघ्रता से चल रहा है।

सामान्य आयव्ययक 1967–68 सामान्य चर्चा

GENERAL BUDGET 1967--68 GENERAL DISCUSSION

सभापति महोदय : अब सभा सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा आरम्भ करेगी जिसके लिए 20 घन्टे का समय निर्धारित किया गया है।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : वित्त मंत्री ने अपने भाषण के भाग क में उन कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया है जिनका इस समय देश को सामना है। वे समस्याएं हैं; अनाज की कमी, मूल्यों में वृद्धि, औद्योगिक स्थिरता तथा निर्यात में प्रतिकूल प्रवृत्ति। इनके लिए उन्होंने कुछ ठीक सिद्धान्तों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की कार्यकुशलता के बारे में सन्देह प्रगट किया है तथा इस बात को स्वीकार किया है कि कुछ गलतियां हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि नियंत्रण उद्देश्य पूर्ति के लिए एक साधन है। ये सब ठोस सिद्धान्त हैं परन्तु इनको कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने किसी ठोस कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया है।

देश की अर्थव्यवस्था में जो स्थिरता आ गई है उसको दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं सुझाये गये हैं। अर्थव्यवस्था को पुनः प्रगतिशील बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिये गये हैं। केवल प्रत्यक्ष कर देने वालों को मामूली रियायत दी गई है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

इस समय प्रगतिशील बजट की आवश्यकता थी न कि पुराने ढंग के बजट की। वित्त मंत्री ने राज्यों को दिये जाने वाले ऋणों तथा अग्रिम धनों की राशि को कम करके बजट को संतुलित करने का प्रयत्न किया है। गत वर्ष 921 करोड़ की अपेक्षा इस वर्ष राज्यों को कुल 838 करोड़ रुपये दिये जायेंगे जिनमें से 38 करोड़ रुपये अकालग्रस्त लोगों की सहायतार्थ दिये जायेंगे।

वित्त मंत्री ने यह दावा किया है कि इस बजट से मुद्रास्फीति नहीं होगी। परन्तु यह दावा गलत है। अप्रत्यक्ष करों के रूप में जो उत्पादन शुल्कों में वृद्धि की गई है उससे मुद्रास्फीति का बढ़ना आवश्यक है। यद्यपि नये करों से मुद्रास्फीति पर केवल पांच अथवा छः प्रतिशत ही प्रभाव पड़ेगा तथापि वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह बहुत है।

चाय, काफी तथा सिगरेट के मूल्यों में वृद्धि हो जायेगी। इससे बाबुओं तथा मध्यवर्ग के लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। यह लोग पहले ही करों से दबे हुए हैं। ऐल्यूम्यूनियिम पर लगे उत्पादन शुल्क में जो वृद्धि की गई है उससे बिजली के उपकरणों तथा अन्य कई वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होगी।

8 अप्रैल को बम्बई पत्रकार संघ को वित्त मंत्री ने बताया कि गरीबों को भी कर देना चाहिए। यह उनके आत्मसम्मान का प्रश्न है। मेरे विचार में यह गरीबों के साथ एक बहुत बड़ा मज़ाक है। अमरीका में प्रो० मिल्टन फ्रीडमेन ने इस बात की वकालत की है कि जो लोग न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम अर्जित कर पाते हैं उनको सरकार की ओर से सहायता दी जानी चाहिए। यदि क्षमता हो तो हमें भी चार हजार रुपये वार्षिक से कम पाने वाले लोगों को न्यूनतम स्तर बनाये रखने के लिए सहायता देनी चाहिए। कल्याणकारी राज्य में गरीबों से आत्मसम्मान की बात कहकर कर लेना उनसे मज़ाक करना है।

पेट्रोलियम उच्च शक्ति वाले डिजल के उत्पादन शुल्क तथा रेलवे के माल भाड़े में जो वृद्धि की गई वह सबसे बुरी है। इससे परिवहन व्यय बढ़ेगा और उसके फलस्वरूप सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होगी। बस, टैक्सी तथा स्कूटरों के किरायों में वृद्धि हो जायेगी। इसलिए मेरा विचार है कि इस बजट से मूल्यों में वृद्धि होगी तथा मुद्रास्फीति बढ़ेगी।

सरकारी नीति यह है कि अधिकतम राजस्व के लिए अधिकतम कर लगाये जायें। हमारी नीति इसके बिल्कुल विपरीत है। वह नीति यह है कि अधिक राजस्व की प्राप्ति के लिए करों की दरों को न्यूनतम किया जाना चाहिए। यदि इस नीति का अनुसरण किया जाये तो एक अथवा दो वर्षों में ही देश की अर्थव्यवस्था में क्रान्ति आ सकती है।

वित्त मंत्री को व्यय में मितव्ययता से काम लेना चाहिए था। यह दुख की बात है कि 5150 करोड़ रुपये के व्यय में वह कोई विशेष कटौती नहीं कर सके केवल प्रतिव्यय से ही छः करोड़ रुपये की कटौती का प्रस्ताव है। असैनिक गैर-विकासकारी व्यय के लिए दस करोड़ रुपये अधिक रखे गये हैं, जो कि पूर्ण रूप से अपव्यय है। यदि वित्त मंत्री किफायतसारी से काम लेते तो 150 करोड़ रुपये आसानी से बचाये जा सकते थे।

प्रतिरक्षा व्यय में भी किफायतसारी की जा सकती है। सेना को प्रभावशाली बनाये रखने की दृष्टि से भी ऐसा करना उचित है। अपव्यय को दूर करके सेना को अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है। सेना में आधुनिक हथियारों तथा आधुनिक तकनीकी जानकारी से मितव्ययिता लाई जा सकती है तथा सेना को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। प्रतिरक्षा की उत्पादन परियोजनाओं में भी बहुत अपव्यय हुआ है। यदि सब पर ठीक तरह से नियंत्रण रखा जावे तथा मेकनमारा टाईप ओपरेशन सेना में किया जाये तो पचास करोड़ रुपये की बचत की जा सकती है।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में सबसे अधिक बचत की गुंजाइश है। यदि बोकारो इस्पात परियोजना तथा सीमेंट कारपोरेशन की परियोजनाओं को पंचवर्षीय योजना से निकाल दिया जाये तो 80 करोड़ रुपये की आसानी से बचत की जा सकती है। बोकारो परियोजना

को बिना अर्थव्यवस्था को कोई हानि पहुँचाये कई वर्षों तक स्थगित किया जा सकता है। यहां पर अभी से ही ऐसे अधिकारी नियुक्त किये गये हैं जो बहुत अधिक वेतन पाते हैं जो बंगाल तथा बिहार के बड़े बड़े कांग्रेसियों के सम्बन्धी हैं अथवा वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के रिश्तेदार हैं। मैं चाहता हूँ कि वित्त मंत्री इन सभी बातों की जांच करें कि किस प्रकार अभी से इस परियोजना पर धन अपव्यय किया जा रहा है।

उद्योग मंत्री चकोस्लोवाकिया के साथ ट्रैक्टर बनाने की परियोजना पर बातचीत कर रहे हैं। इस परियोजना की रिपोर्ट तैयार करने में सोलह लाख रुपये खर्च किये गये हैं हालांकि ऐसे कारखाने की हमारे देश में कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय फर्मों द्वारा पहले ही प्रतिवर्ष 8,000 ट्रैक्टर बनाये जा रहे हैं जो कि मेरे विचार में हमारी आवश्यकता के लिए पर्याप्त हैं। इस समय भारतीय उद्योग किसी प्रकार अर्थात छोटे अथवा बड़े ट्रैक्टरों के निर्माण में सक्षम है। इसलिए प्रस्तावित परियोजना की कोई आवश्यकता नहीं है। आशा है कि माननीय मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

माननीय मंत्री को वार्षिकी जमा योजना को हटाने, छूट की राशि को प्रतिवर्ष 4,000 से 6,000 करने, आयकर से अधिभार को हटाने तथा कम्पनियों पर लगे 10 प्रतिशत अधिभार को हटाने से करदाता को 150 करोड़ रुपये की छूट मिलेगी। इससे रुपये लगाने तथा बचत करने में प्रोत्साहन मिलेगा। एक अनुमान के अनुसार यदि 10 करोड़ रुपये की राहत दी जाये तो कम से कम 25 प्रतिशत रुपये लोग उत्पादन उपक्रमों में लगायेंगे। परन्तु इतने रुपये से सरकार को केवल चार करोड़ रुपये ही राजस्व प्राप्त होता है। इसलिए सरकार लोअर मिडिल क्लास के लोगों को विभिन्न अत्यावश्यक वस्तुओं अर्थात मिट्टी के तेल आदि पर करों में राहत देनी चाहिए थी। जहाँ तक ट्रकों का सम्बन्ध है देश की प्रतिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। इसके उत्पादन शुल्क में भी राहत दी जानी चाहिए थी।

कांग्रेस कार्यकारी समिति ने अपने एक संकल्प में सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में कहा है। यह बिल्कुल अवांछनीय है। केवल $3\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये के सामान्य बीमा की राष्ट्रीयकरण उचित नहीं है। यह उद्योग की बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। इस सेवा को इतनी तुच्छ राशि के लिए समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। लोगों को इस समय रूचि न होकर अच्छे जीवन, कम मूल्य, अधिक भोजन तथा अधिक उपभोक्ता वस्तुओं में रूचि है। कांग्रेस के इस संकल्प से ऐसा लगता है कि इससें लोगों का वर्तमान कठिनाइयों की ओर से ध्यान हटाने का यत्न किया गया है।

प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन श्री हनुमन्तैया तथा उनके सहयोगियों द्वारा 29 अप्रैल को दिया गया था। परन्तु इस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने में टालमटोल कर रही है। प्रधान मंत्री अथवा वित्त मंत्री को इस निकाय का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। यद्यपि इन का योजना आयोग से निकट सम्बन्ध हो सकता है। योजना आयोग को केवल एक सलाहकार निकाय की ही हैसियत होनी चाहिए। मेरे विचार में इन सिफारिशों को तुरन्त ही स्वीकार कर लिया जाना चाहिए था।

ऐसा विचार है कि दलगत हितों के लिए राष्ट्रीय आयोजन का दुरुपयोग किया जाता रहा है। योजना आयोग पर राज्य सरकारों का भी उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना

कि केन्द्र का है। इस पर केन्द्र का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। परन्तु राज्य सरकारों को इसके क्षेत्राधिकार से पूर्णतया बाहर रखा गया है। अब उचित समय है जबकि सरकार को इसमें उचित परिवर्तन करने चाहिए। श्री हनुमन्तैया तथा उनके साथियों ने यह प्रतिवेदन बनाने में बहुत अच्छा कार्य किया है जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

ख्रुश्चेव के समय में भी श्री ऐम० ऐस० साबुरोव पर दल के विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाया था तथा उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब भी मास्को में राष्ट्रीय योजना आयोग के सभापति की औसत आयु एक से डेढ़ वर्ष तक रहती है।

रूस में 20वीं शताब्दी में भी बड़े दुःखों के साथ साम्यवाद पर चला जा रहा है। हमारे देश में लोकतन्त्र है तथा संसद है और बुद्धिमान जनता है। क्या हम भी उन्हीं दुःखों को सहन करते रहें। हम क्यों नहीं उनकी ग़लतियों से पाठ सीखें और जैसा कि श्री हनुमन्तैया ने कहा है जहाँ आवश्यक हो परिवर्तन करें ?

अब मैं हजारी रिपोर्ट के बारे में कहूँगा जिस पर कांग्रेस दल में बड़ा शोर मचा है। मेरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जिन्हें समाजवाद के दुःखों के कारण दुःख उठाना पड़ रहा है। वे श्री हजारी के साथ अन्याय कर रहे हैं। यद्यपि मेरी श्री हजारी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है परन्तु उसने अपने प्रतिवेदन में वही कहा है जो हम गत पाँच वर्षों से कहते चले आये हैं। मैं बहुत हद तक उस सम्पादकीय प्रतिक्रिया से सहमत हूं जिसने कहा है कि बहुत से विधायक प्रतिवेदन को बिना पढ़े ही हजारी रिपोर्ट के बारे में कह रहे हैं। यदि वे रिपोर्ट पढ़ लेते तो इतना नहीं चिल्लाते। उस प्रतिवेदन में कहा गया है कि :

(1) लाईसेन्स वितरण करने की पद्धति में एकाधिपत्य के आश्वासन निहित हैं।

(2) लाईसेन्सों के देने में औद्योगिक क्षमता को बढ़ा-चढ़ा कर तस्वीर दी गई है जिसे देख कर कई वास्तविक उपक्रमी दूर भागते हैं।

(3) लाईसेन्स देने की प्रक्रिमा के कारण देर हो जाती है तथा लागत बढ़ जाती है।

(4) यह असफलतायें तथा कमियां लाईसेन्स देने की पद्धति में निहित हैं।

(5) यह कमियां इतनी मौलिक हैं कि इन पर प्रक्रियात्मक तथा प्रशासनिक परिवर्तनों से काबू नहीं पाया जा सकता तथा वह लाईसेन्स की पद्धत्ति को बदलने की आवश्यकता पर जोर देता है जिसे हम परमिट-लाईसेन्स राज की समाप्ति कहते हैं।

(6) यदि लाईसेन्स को रखना ही है तो इसे वर्तमान 25 लाख रुपये के नये उपक्रमों के स्थान पर उन नये उपक्रमों में रखा जाये, पर 1 करोड़ रुपये की लागत हो।

यह सुझाव बुद्धिमत्ता के हैं तथा उचित हैं और जिन वाम पक्ष के सदस्यों ने प्रतिवेदन को पढ़े बिना इसके बारे में चिल्लाना आरम्भ कर दिया है वह उचित नहीं है।

हम लाईसेन्सों, परमिटों तथा नियन्त्रणों की पद्धति ने भ्रष्ट राजनीतिज्ञों, अधिकारियों तथा उनके मित्र व्यापारियों के कारण अधिक असमानता उत्पन्न कर दी है। यदि हमें समाज

में समानता लानी है तो परमिट–लाईसेन्स–नियन्त्रण के ढांचे को समाप्त करना होगा। उद्योग-पतियों को साधारण लोग तथा उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा न कि राजनीतिज्ञों, अधिकारियों तथा उनके व्यापारी मित्रों के हितों के लिए जैसा कि अब हो रहा है। इस समय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बेकार लोगों की एक सेना ने कब्जा कर रखा है, उसे हमें समाप्त करना होगा।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

हमारे देश में भ्रष्ट मंत्रियों तथा भ्रष्ट व्यापारियों का गठजोड़ होकर एक नया वर्ग उत्पन्न हो रहा है जो लोगों का शोषण करते हैं तथा मुनाफे में हिस्सेदार होते हैं। श्री मोरारजी के बजट के बारे में दुःख की बात यह है कि इस नये वर्ग से भारत की जनता को मुक्त कराने के बारे में कुछ नहीं किया हैं। यह तो वर्तमान स्थिति को मजबूत करता है। आज देश की अर्थव्यवस्था तथा राजनीति का तकाज़ा है कि एक क्रान्तिकारी समाधान हो। जनता को गलत आशाओं पर रखा गया है। लोग अब परिणाम चाहते है और मैंने उसका रास्ता बता दिया है। दुर्भाग्य से वह रास्ता हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया है और देश के लाखों निर्दोष लोगों को हानि उठानी पड़ रही है।

मैं अब भी वित्त मन्त्री तथा उनके दल से प्रार्थना करूंगा कि यदि उनमें कुछ बुद्धि बाकी है तो इसमें परिवर्तन कर लें अन्यथा अपने साथ देश को नष्ट कर देंगे।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : बजट को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री महोदय ने देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति का ठीक अनुमान लगाया। उन्होंने बताया कि मुख्य कठिनाइयां तो अन्न की कमी, बढ़ते हुए मूल्य तथा भारत-पाकिस्तान युद्ध के कारण प्रतिरक्षा में खर्च का बढ़ना है। इसका उपचार वह केन्द्रीय सरकार के व्यय को सीमित करना कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि निजी उद्योग को उत्पादन बढ़ाने से नहीं रोका जायेगा। यह एक व्यावहारिक तरीका है। वित्त मंत्री ने कहा है कि जो कार्यवाही मैंने की है उसके लिए थोड़ी इन्तजार करो और फिर मुझे जांचो। उनकी पहुँच बहुत स्पष्ट तथा ईमानदाराना है।

आर्थिक सर्वेक्षण ने भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा उदावसा चित्र खींचा है। अन्न उत्पादन 1964–65 के बाद से 17 प्रतिशत कम हो गया है और उसके कारण सब को विदित हैं। औद्योगिक उत्पादन में भी नाम मात्र ही बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल 1966 से फरवरी 1967 तक निर्यात में 12 करोड़ डालर की कमी हुई है। निर्वाह व्यय अधिक हो गया है तथा गत तीन वर्षों में मूल्य 46 प्रतिशत अधिक हो गये हैं।

सब आशा करते हैं कि वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे तथा निर्यात बढ़ायेंगे और मूल्यों को बढ़ने से रोकेंगे। जब से वह वित्त मंत्री बने हैं उन्होंने घाटे की अर्थव्यवस्था को हटाने का निर्णय कर लिया है और एक संतुलित बजट पेश किया है। जब हमारी अर्थव्यवस्था इतनी हद तक खराब हो तो पहला कार्य तो मजबूती लाने का है और उसके बाद आगे प्रगति के बारे में विचार करेंगे।

उन्होंने कुछ रियायतें ही हैं। वह उन उद्योगों को सहायता दे रहे हैं जिन पर अवमूल्यन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वह उन औद्योगिक उपक्रमों को भी सहायता दे रहे हैं जो शरणार्थियों को रोजगार दे रहे हैं तथा उन उद्योगों को भी जिन्हें शत्रु की कार्यवाही से हानि उठानी पड़ी।

व्यापारियों का कहना है कि पूंजी बाजार को फिर से मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया है। परन्तु वह तो गत तीन बजटों के बारे में भी यही कह रहे थे। आज वास्तविक स्थिति यह है कि बड़े बड़े उद्योगपति तो वित्त प्राप्त कर लेते हैं परन्तु मध्यम और छोटे वर्ग के उद्योगपतियों के लिए ऐसा करना बहुत कठिन है। वित्त मंत्री ने इशारा किया है कि वह विकास के व्यय को बढ़ावा देने के बारे में पूरा जोर लगायेंगे।

उद्योगपतियों का मुख्य कहना यह है कि करों में कमी की जाये, वे चाहते हैं कि निगमित कर, निजी कर तथा बिना कमाये धन और सम्पति करों में कमी की जाये। उनका कहना यह है कि यदि इन करों में कमी नहीं हुई तो उद्योग बढ़ नहीं सकेगा। परिस्थितियां ऐसी हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। यदि पूंजी लगाने में सहायक हो सके तो निगमित कर को शायद कम किया जा सके। परन्तु अधिक आय के लोगों के निजी करों में क्यों कमी की जाये ?

उन्होंने कृषि के बढ़ाने के बारे में कुछ कारगर कदम उठाये हैं। कृषि आज सब से बड़ी समस्या है। इसलिए हमें इसके बढ़ाने पर पूरा जोर लगाना होगा। केन्द्र द्वारा राज्यों की सहायता 535 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 590 करोड़ रुपये कर दी है तथा 5 करोड़ रुपये भूमि गिरवी बैंकों के लिए दे दिया है।

मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर कह सकती हूं कि नीतियां ठीक हों, उद्देश्य ऊंचे हों कि विकास होना चाहिए परन्तु जब कार्यान्वित करने का समय आता है तो कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। मैंने भी हजारी प्रतिवेदन को पढ़ा है और मुझे उसमें बिरला परिवार के विरुद्ध ऐसा नहीं दिखाई दिया कि हम इतने उत्तेजित हो जायें। उस प्रतिवेदन में जो कारगर भाग है वह नीति को कार्यान्वित करने का है। मैं श्री मसानी के साथ सहमत हूं कि यदि हमें उद्योगों का विकास करना है तो हमें नीति के कार्यान्वित करने पर जोर देना होगा।

गत तीन वर्षों में मूल्य 46 प्रतिशत बढ़ गये हैं। वित्त मंत्री जो पग उठाये हैं उनमें एक घाटे की अर्थव्यवस्था को समाप्त करने का है। मजबूती लाने के लिए यह सब से बड़ी कार्यवाही है। ऐसे ही उन्होंने प्रशासनिक व्यय में कमी करने के बारे में कहा है। परन्तु जब से उन्होंने अन्तरिम बजट पेश किया है, तब से 169 करोड़ रुपये और बजट में जोड़ दिये गये हैं। यदि उसे हटा दिया जाता तो देश को और अधिक लाभ होता।

मैं $3\frac{1}{2}$ वर्ष के अनुभव के बाद कह सकती हूं कि प्रशासनिक व्यय में कमी करना कितना कठिन है क्योंकि ऐसा करने में लोगों को नौकरी से हटाना पड़ता है और फिर आन्दोलन होते हैं। बहुत प्रयत्न के बाद में 13 करोड़ रुपये की बचत कर सकी। परन्तु अब समय आ गया है कि प्रशासनिक व्यय में जहां भी सम्भव हो कमी की जाये।

गत 15 वर्षों में गैर-विकास सम्बन्धी खर्च 260 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1528 करोड़ रुपये हो गया है अर्थात् सात गुना अधिक हो गया है। हमारे जैसा गरीब देश इस खर्च को सहन नहीं कर सकता।

करों की वसूली के बारे में 25 मई को ही वित्त मंत्री ने कहा था कि 528.11 करोड़ रुपये की वसूली बकाया पड़ी है। इसे वसूल करने के लिए बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता है। मेरे अनुमान के अनुसार तो 300 करोड़ रुपये का कर अपवंचन प्रतिवर्ष होता है। विकास सम्बन्धी खर्च में भी जांच की आवश्यकता है।

गत तीन योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं पर भी व्यय बढ़ता जा रहा है। हमें आशा थी कि इस पूंजी से आय होने लगेगी परन्तु जो आय आरम्भ हुई है वह पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अधिक से अधिक योजना का व्यय इन औद्योगिक इकाइयों से आना चाहिए। अब समय आ गया है कि करों का बोझ कम किया जाना चाहिए। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इस प्रकार से काम करना चाहिए कि उनसे आय हो और अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना चाहिए।

मूल्यों को कम करने के बारे में बहुत से कार्य किये गये हैं जैसे खाद्यान्न तथा उर्वरकों में सहायता, सहकार संस्थाओं का खोलना, आवश्यक वस्तुओं का विनियमित करना आदि। परन्तु सारे कार्यों का हमारी मांग के अनुसार परिणाम नहीं निकला। इसलिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है अन्यथा मूल्यों का प्रभाव वेतनों पर पड़ेगा और वेतनों का मूल्यों पर और यह कुचक्र आरम्भ हो जायेगा।

अवमूल्यन की मैं आलोचना करूंगी। इससे प्रोत्साहन बढ़ने की बजाय निरुत्साह बढ़ा है। यदि ऐसा करने से पूर्व और कार्य कर लिए जाते तो वर्तमान स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अव-मूल्यन से आशा थी कि मूल्यों का बढ़ना रुक जायेगा तथा भारत का भुगतान संतुलन ठीक हो जायेगा। परन्तु वह पूरी नहीं हुई। जो समस्यायें अवमूल्यन से उत्पन्न हुई उनको दक्षता से नहीं सुलझाई गई। दूसरे अवमूल्यन के निर्णय से पहले पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन आवश्यक है। हमने अन्धेरे में छलांग लगाई और उसके फलस्वरूप हमारे निर्यात को क्षति पहुँची।

निर्यात का बढ़ाना हमारे लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। निर्यात बढ़ाने के लिए बजट में कुछ रियायतें दी गई हैं तथा निर्यात की कुछ चीज़ों से कर हटा दिये गये हैं। विदेशी मुद्रा के देने में भी निर्यात सम्बन्धी उद्योगों को सहायता दी जायेगी। मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहती हूं कि जो निर्यात सम्बन्धी उद्योग सरकार से विदेशी मुद्रा तथा ऋणों के मामले में सुविधायें प्राप्त कर रहे हैं क्या वह कार्य कर रहे हैं जिनकी उनसे आशा थी। वे अपना सामान किस हद तक निर्यात कर रहे हैं। मुझे पता लगा है कि इनमें से अधिकतर उद्योग कुछ भी निर्यात नहीं कर रहे हैं। इसका कारण यह दिया जा रहा है कि उनका सामान यहाँ देश में अच्छी प्रकार बिक जाता है। इसके बारे में हमें निर्यातकों को विश्वास में लेना चाहिए क्योंकि उनका काम उत्पादन करना नहीं वरन निर्यात करना है।

यद्यपि मैंने आलोचना की है परन्तु स्थिति कठिन है और वित्त मंत्री को प्रशासन चलाना है तथा साधन जुटाने हैं। मेरी उनके साथ पूरी सहानुभूति है।

कुछ करों का प्रभाव गरीब लोगों पर पड़ेगा। चाय भी मेरे अनुसार कोई विलास की वस्तु नहीं है। ऐसी ही बात जूतों के बारे में है। इसलिए कुछ उपयोग की वस्तुओं पर जो कर लगाये गये हैं उन पर फिर विचार करना चाहिए। इस कमी का हम कम खर्ची तथा बचत द्वारा मुकाबला कर सकते हैं।

वित्त मन्त्री के सामने बहुत बड़ा तथा कठिन कार्य है जिसमें उन्हें न केवल हमारी सहानुभूति की बल्कि सहयोग की आवश्यकता है। यदि हमें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है तथा हमने पक्का इरादा किया हुआ है कि वर्तमान कठिनाइयों को पार करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन पर काबू पालेंगे।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi): The budget presented by the Finance Minister is most disappointing. It will neither improve the economy of the country nor will provide any relief to the people.

The Finance Minister has submitted us a very summary of the economy of the country. The inflation is at its climax. The production has gone down. There is no food in the country. We have a deficit balance of trade. The prerequisites of a sound economy are sufficient food for the people in the country, there should be self-reliance and it should be in a position to defend itself against external aggression. If it is does not get external aid, it should be able to depend on itself. If there are no rains in the country, we will be on the verge of starvation. This is all the result of the 20 years of Congress rule in the country. Even after 20 years we are dependent on foreign aid for food grains.

You have not given even a fraction of the facilities to the agriculture which you gave to industrialists. You gave loans to the industrialists, machinery to them on hire-purchase basis, relief in income-tax to them and other concessions. Against it no such concessions were given to the agriculturists.

There was ceiling on land holdings which created difficulty to the agriculturists. But no such ceiling was put on urban property. The agriculturists should have been given good seeds, good, fertilisers and proper irrigation facilities. But they were all ignored. The result is that we have to depend on foreign food.

We have been told that due to adverse food situation in the country there is rise in the prices and they have gone up to the extent of 40 percent during the last 3 years. But the figures which we have got about these are against it. A Delhi economist has stated that prices during one year alone have gone up by 47 percent. In regard to food grains alone the prices have gone to the extent of 38 percent. What remedial measures have been suggested about it in the budget ? The indirect taxes on textiles, shoes and of other essential commodities of daily use have increased. Yet it is stated that prices will not be permitted to rise. We have been listening to such arguments for the last so many years. The same argument was advanced at the time of devaluation and at the time of the presentation of last budget. Yet they have gone up by 46 percent.

Therefore when you tax the essential commodities and consequently the prices rise you should not expect them not to rise.

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

---

* ब्रिटेन की सरकार द्वारा हिन्द महासागर में द्वीपों की खरीद

PURCHASE OF ISLANDS IN INDIAN OCEAN BY BRITISH GOVERNMENT *

श्री चक्रपाणि (पुन्नाणि) : इस विषय को यहां पहले भी कई बार उठाया गया है परन्तु सरकार का उत्तर अस्पष्ट ही रहा है । ब्रिटेन सरकार इन द्वीपों को सैनिक अड्डे बनाने के लिये खरीद रही है । हमारी सरकार का रवैया इस बारे में बहुत खेदजनक है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस सब के सामरिक महत्व पर विचार किया है ? हमें ब्रिटेन सरकार की ऐसे ही नहीं मान जाना चाहिये । ब्रिटेन सरकार इन अड्डों से ऐशिया के लिये हानिकारक कार्य कर सकती है । जैसा कि अमरीका प्रशान्त सागर के अपने अड्डों से वियतनाम में कर रहा है । ब्रिटेन सरकार विश्व के इस क्षेत्र में अपना आर्थिक प्रभुत्व बनाये रखना चाहती है । वह अपनी साम्राज्य-वादी नीति को बदलना नहीं चाहती है । क्या हमें इस प्रकार की नीति का समर्थन करना चाहिये ? हमारी सरकार की नीति में परिवर्तन होना चाहिये । हमारी सरकार को अमरीकी तथा ब्रिटेन के दबाव में न आकर स्वतन्त्र नीति अपनानी चाहिये । ये देश अफ्रीका तथा एशिया में अपनी लूट जारी रखना चाहते हैं । माननीय मन्त्री ने स्वयं माना है कि ब्रिटेन सरकार ने हमारी सरकार से पूछा तक नहीं है । इसमें हमारी सरकार का अपमान है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस बीच इस बारे में कोई कार्यवाही की है । इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने से भी कोई लाभ नहीं होगा ।

सरकार को अफ्रीकी-एशियाई देशों में जनमत एकत्र करके इस चाल का विरोध करना चाहिये । भारत को इस मामले में पहल करनी चाहिये । इससे हमारे देश का मान बढ़ेगा । अरब देशों की एकता का उदाहरण हमारे समक्ष है । हमें अफ्रीकी एशियाई देशों के साथ मिलकर साम्राज्यावादी देशों की चालों को असफल बना देना चाहिये ।

यह एक गम्भीर स्थिति का प्रश्न है । और इसका हमारे देश की सुरक्षा पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है । हमारा देश शान्तिप्रिय देश है परन्तु ब्रिटेन की इस चाल से हमारी सुरक्षा को खतरा हो सकता है ।

श्री प० गोपालन (तेल्लीचेरी) : यह समाचार मिला है कि इसराइल ने अरब देशों पर आक्रमण कर दिया है ।······

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर-नगर) : हमें इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय हम पश्चिमी एशिया पर विचार नहीं कर रहे हैं ।

श्री प० गोपालन : इसराइल अमरीका तथा ब्रिटेन के साम्राज्यवाद की उपज है । यदि ब्रिटेन ये द्वीप खरीद लेता है तो दक्षिणी एशिया युद्ध का अखाड़ा बनेगा । इससे हमारे देश को खतरा बढ़ जायेगा । हमारी सरकार इस पर गम्भीरता से विचार नहीं कर रही है । हमें इस चाल के प्रति सतर्क हो जाना चाहिये । मैं जानना चाहूंगा क्या सरकार यह घोषणा करेगी

---

* आधे घंटे की चर्चा ।

* Half an hour discussion.

कि यदि ब्रिटेन यहां द्वीप खरीद कर अड्डे बनाती है तो हम राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेंगे ।

श्री नायनार (पालघाट) : 6 अप्रैल को वैदेशिक कार्य मन्त्री ने कहा था कि हम इस बारे में ब्रिटेन से बात कर रहे हैं और हम ब्रिटेन द्वारा इन द्वीपों की खरीद के विरुद्ध हैं। अब जबकि ब्रिटेन ने ये द्वीप खरीद लिये हैं तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? अमरीका तथा ब्रिटेन इन द्वीपों को सामरिक गतिविधियों के लिये प्रयोग में लाना चाहते हैं। इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : भारत की नीति के बारे में किसी प्रकार की संदिग्धता नहीं है। मेरे पिछले वक्तव्य में वह स्पष्ट थी। 1965 में ब्रिटेन ने हमें सूचित किया कि वे द्वीप खरीद रहे हैं। हमने कहा कि ऐसा करना संयुक्त राष्ट्रसंघ के संकल्पों के विरूद्ध होगा। ब्रिटेन सरकार ने मोरिशस को 30 लाख पाउंड का भुगतान कर दिया है। ब्रिटेन ने हमें आश्वासन दिया है कि इन द्वीपों को सैनिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग में नहीं लाया जायेगा। इन द्वीपों को मार्ग की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये प्रयोग में लाया जायेगा। ब्रिटेन की मलेशिया, हांककांग आदि में कुछ जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने के लिये इन द्वीपों को प्रयोग में लाया जायेगा।

इसके अतिरिक्त हिन्द महासागर के कुछ द्वीपों के बारे में ब्रिटेन तथा अमरीका सरकारों के बीच 13 दिसम्बर 1966 को एक समझौता हुआ है।

ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी सरकार ने ब्रिटेन से गठजोड़ किया हो। हमने तो संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों के उल्लंघन की बात उठायी है। जिसके अनुसार एक अन्य देश के किसी क्षेत्र को कोई देश खरीद आदि नहीं सकता। हमने इन द्वीपों की खरीद पर आपत्ति की है। जब मोरिशस आदि देश स्वतन्त्र हो जायेंगे उसके बाद इन्हें खरीदा जा सकता है। हमारी स्थिति इस प्रकार स्पष्ट है।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : क्या इस से हिन्द महासागर में शक्ति सन्तुलन में अन्तर उत्पन्न नहीं हो जायेगा ? क्या इससे हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा नहीं हो जायेगा ?

श्री मु० क० चागला : इन द्वीपों में सैनिक अड्डे नहीं बनाये जायेंगे। हमें यह आश्वासन दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : हमें समूचे देश के बारे में सोचना है। मन्त्री महोदय को ऐसे सूचना देने के लिये नहीं कहना चाहिये। अब सभा की बैठक कल तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोकसभा मंगलवार, 6 जून, 1967 ज्येष्ठ 16, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED TILL ELEVEN Of THE CLOCK ON TUESDAY, JUNE 6, 1967 JYAISTHA, 16, 1889 (SAKA)